2025

# लोक सभा

# उत्तर

**मानसून सत्र, 2025**
**[18वीं लोक सभा का पाँचवाँ सत्र]**
**[21 जुलाई, 2025 से 21 अगस्त, 2025]**

# अनुक्रमणिका



| पृष्ठ संख्या | पृष्ठ संख्या | पृष्ठ संख्या | पृष्ठ संख्या | पृष्ठ संख्या | पृष्ठ संख्या | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **88** | **तारांकित** | **21.07.2025** | **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण-III** | **ई-कोर्ट** | **1-6** |
| 2. | 944 | अतारांकित | 21.07.2025 | कानूनी जागरूकता शिविर | एल. ए .पी | 7-10 |
| 3. | 951 | अतारांकित | 21.07.2025 | निःशुल्क कानूनी सलाह का प्रावधान | ए 2 जे | 11-12 |
| 4. | 971 | अतारांकित | 21.07.2025 | न्यायिक पोर्टलों का खराब डिजिटल बुनियादी ढांचा | ई-कोर्ट | 13-15 |
| 5. | 984 | अतारांकित | 21.07.2025 | सर्वोच्च न्यायालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग | ई-कोर्ट | 16-18 |
| 6. | 1020 | अतारांकित | 21.07.2025 | न्यायालयों में लंबित मामले | एन एम | 19-25 |
| 7. | 1025 | अतारांकित | 21.07.2025 | महिलाओं के मामलों के लिए न्यायालय | जे-II | 26-29 |
| 8. | 1028 | अतारांकित | 21.07.2025 | न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता | एन एम | 30-34 |
| 9. | 1031 | अतारांकित | 21.07.2025 | एनआइए, 1881 के तहत पंजीकृत मामले | एन एम | 35-38 |
| 10. | 1044 | अतारांकित | 21.07.2025 | उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में कार्य दिवस | जे-1 | 39-40 |
| 11. | 1065 | अतारांकित | 21.07.2025 | धुबरी में न्याय और कानूनी सहायता तक पहुंच | एल. ए .पी | 41-42 |
| 12. | 1072 | अतारांकित | 21.07.2025 | अदालती मामलों के समाधान का समय | एन एम | 43-49 |
| 13. | 1075 | अतारांकित | 21.07.2025 | सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया में सुधार | नियुक्ति | 50-51 |
| 14. | 1128 | अतारांकित | 21.07.2025 | उच्च न्यायालयों की अलग पीठों की स्थापना | जे-II | 52-52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 1134 | अतारांकित | 21.07.2025 | पारिवारिक मामलों की बढ़ती संख्या | जे-II | 53-59 |
| **16.** | **188** | **तारांकित** | **01.08.2025** | **मदरसा उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन** | **नियुक्ति** | **60-62** |
| **17.** | **197** | **तारांकित** | **01.08.2025** | **न्यायपालिका में सामाजिक विविधता** | **नियुक्ति** | **63-64** |
| 18. | 2079 | अतारांकित | 01.08.2025 | सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग | समन्वय | 65-66 |
| 19. | 2081 | अतारांकित | 01.08.2025 | रिक्त पदों को भरना | एन एम | 67-70 |
| 20. | 2095 | अतारांकित | 01.08.2025 | निचली अदालतों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा | जे आर | 71-72 |
| 21. | 2097 | अतारांकित | 01.08.2025 | उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति और स्थानांतरण | नियुक्ति | 73-74 |
| 22. | 2100 | अतारांकित | 01.08.2025 | कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता | एल. ए .पी | 75-77 |
| 23. | 2119 | अतारांकित | 01.08.2025 | अदालती कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग | जे-1 | 78-79 |
| 24. | 2142 | अतारांकित | 01.08.2025 | लंबित मामलों का बैकलॉग | एन एम | 80-86 |
| 25. | 2159 | अतारांकित | 01.08.2025 | न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता | ई-कोर्ट | 87-88 |
| 26. | 2163 | अतारांकित | 01.08.2025 | निचली न्यायपालिका में रिक्तियां | जे आर | 89-91 |
| 27. | 2175 | अतारांकित | 01.08.2025 | उच्च न्यायपालिका में समावेशिता | नियुक्ति | 92-93 |
| 28. | 2188 | अतारांकित | 01.08.2025 | न्यायिक के लिए बुनियादी ढांचे का विकास | जे आर | 94-98 |
| 29. | 2215 | अतारांकित | 01.08.2025 | फास्ट ट्रैक कोर्ट | जे-II | 99-104 |
| 30. | 2249 | अतारांकित | 01.08.2025 | न्यायालय कक्ष में आईटी अवसंरचना | ई-कोर्ट | 105-109 |
| 31. | 2250 | अतारांकित | 01.08.2025 | लद्दाख में न्यायालय अवसंरचना | जे आर | 110-113 |
| 32. | 2267 | अतारांकित | 01.08.2025 | हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान | **ए 2 जे** | 114-114 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 2273 | अतारांकित | 01.08.2025 | प्रौद्योगिकी और केस बैकलॉग | ई-कोर्ट | 115-116 |
| **34.** | **287** | **तारांकित** | **08.08.2025** | **टेली-ला 2.0 सेवाएं और नोटरी पोर्टल आधुनिकीकरण** | **ए 2 जे** | **117-119** |
| 35. | 3231 | अतारांकित | 08.08.2025 | फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना | जे-II | 120-129 |
| 36. | 3272 | अतारांकित | 08.08.2025 | सांसद/विधायक अदालतों का कामकाज | जे-II | 130-134 |
| 37. | 3282 | अतारांकित | 08.08.2025 | कानूनी प्रणाली में ए.आई | ई-कोर्ट | 135-137 |
| 38. | 3289 | अतारांकित | 08.08.2025 | नैनीताल उच्च न्यायालय का स्थानांतरण | नियुक्ति | 138 |
| 39. | 3296 | अतारांकित | 08.08.2025 | कानूनी सहायता और डिजिटल न्याय वितरण तक पहुंच। | एल. ए .पी | 139-142 |
| 40. | 3297 | अतारांकित | 08.08.2025 | दादरा और नगर हवेली में ग्राम न्यायालय | जे आर | 143-155 |
| 41. | 3360 | अतारांकित | 08.08.2025 | कमजोर समूहों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट | जे-II | 156-163 |
| 42. | 3375 | अतारांकित | 08.08.2025 | तमिलनाडु में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण | एल. ए .पी | 164-168 |
| 43. | 3386 | अतारांकित | 08.08.2025 | आंध्र प्रदेश में ई-कोर्ट पहल का कार्यान्वयन | ई-कोर्ट | 169-171 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | 3388 | अतारांकित | 08.08.2025 | असम में ग्राम न्यायालय की स्थापना | जे आर | 172-173 |
| 45. | 3417 | अतारांकित | 08.08.2025 | न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति | नियुक्ति | 174-176 |
| 46. | 3424 | अतारांकित | 08.08.2025 | फास्ट ट्रैक अदालतें और ग्राम न्यायालय | जे-द्वितीय | 177-179 |
| 47. | 3432 | अतारांकित | 08.08.2025 | न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता | एनएमजेआर-I | 180-186 |

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *88
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण**

***88. श्री अरुण भारती :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय न्यायपालिका की दक्षता और सुलभता बढ़ाने के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को अनुमोदित कर दिया है, यदि हां, तो इस चरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या इस परियोजना का उद्देश्य न्यायालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और पेपरलेस न्यायालयों की स्थापना करना है, यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या इस पहल के अंतर्गत न्यायालयों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है, यदि हां, तो देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ऐसी कुल कितनी सुविधाएं स्थापित की गई हैं ;

(घ) क्या ई-न्यायालय सेवाओं के संबंध में नागरिकों की सहायता करने के लिए न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ऐसे कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां इस परियोजना का हिस्सा हैं और यदि हां, तो न्यायपालिका में मामलों के प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में किस प्रकार सुधार होने की आशा है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ङ)** : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*******

**<u>'ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण' के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *88 जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।</u>**

**(क) :** जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायिक उत्पादकता में अभिवृद्धि के लिए न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार हेतु 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-3 (2023-2027) को 13.09.2023 को मंजूरी दे दी है।

**(ख) :** ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण का एक घटक मामला, अभिलेख की

स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण है, जिसके लिए 2038.40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30.06.2025 तक उच्च न्यायालयों में 213.29 करोड़ पृष्ठों और जिला न्यायालयों में 307.89 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जैसा कि **उपाबंध-1** पर दिया गया है । उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के न्यायिक अभिलेखों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों को कागज रहित तरीके से काम करने में सहायता के लिए डिजिटल न्यायालय 2.1 सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है ।

**(ग) :** जेलों, न्यायालयों और जिला अस्पतालों सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपलब्ध बुनियादी ढांचे की अभिवृद्धि और उन्नति के लिए 228.48 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, न्यायालयों और जेलों को प्रदान की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विवरण **उपाबंध-2** पर दिया गया है ।

**(घ)** : ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के अधीन, न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए 394.48 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 24 उच्च न्यायालयों और उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन जिला न्यायालयों में 1814 ई-सेवा केंन्द्र प्रचालन में हैं, जैसा कि **उपाबंध-3** पर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय में 5 ई-सेवा केंन्द्र कार्यरत हैं ।

**(ङ) :** जी हां, महोदय, भविष्य की तकनीकी प्रगति जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन आदि के कार्यान्वयन के लिए 53.57 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संवैधानिक न्यायपीठ के मामलों में मामला प्रबंधन और मौखिक बहस के प्रतिलेखन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है । अंग्रेजी निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के समन्वय में भारत से उच्चतम न्यायालय द्वारा एआई/एमएल आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। त्रुटियों को ठीक करने, डेटा, मेटा डेटा निष्कर्षण के लिए आईआईटी मद्रास के सहयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एआई और एमएल उपकरणों के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जा रहा है और इसे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और एकीकृत मामला प्रबंधन और सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) के साथ एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है।

*****

उपाबंध-1

**'ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण' के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *88 जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

डिजिटलीकरण का विवरण निम्नानुसार है:

| # | उच्च न्यायालय का नाम | चालू माह में उच्च न्यायालय में डिजिटलीकृत पृष्ठों की संख्या | उच्च न्यायालय में वर्तमान माह तक डिजिटलीकृत पृष्ठों की कुल संख्या | संबंधित उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय (तालुका न्यायालयों सहित) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | चालू माह में जिला न्यायालयों में डिजिटलीकृत पृष्ठों की संख्या | जिला न्यायालयों में वर्तमान माह तक डिजिटलीकृत पृष्ठों की कुल संख्या |
| 1 | इलाहाबाद | 29,57,532 | 55,00,37,986 | 6,99,98,747 | 1,26,30,50,913 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 17,50,450 | 2,02,81,917 | 30,62,018 | 6,45,96,742 |
| 3 | बंबई | 48,08,004 | 5,84,86,329 | 58,758 | 18,14,777 |
| 4 | कलकत्ता | 10,41,766 | 5,27,75,761 | - | - |
| 5 | छत्तीसगढ | 2,70,681 | 13,49,920 | 6,94,957 | 24,04,904 |
| 6 | दिल्ली | 5,82,532 | 23,15,93,708 | 4,02,446 | 9,11,13,986 |
| 7 | गुवाहाटी | 94,917 | 3,12,51,154 | 1,23,696 | 15,74,91,856 |
| 8 | गुजरात | 91,675 | 7,43,051 | 1,21,440 | 6,02,173 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | - | 71,42,331 | - | - |
| 10 | जम्मू-कश्मीर | 1,10,278 | 3,98,69,492 | 21,46,472 | 1,24,96,788 |
| 11 | झारखंड | 17,43,187 | 1,95,65,535 | 1,95,655 | 86,08,416 |
| 12 | कर्नाटक | 33,08,850 | 3,63,81,003 | 7,01,094 | 3,87,17,734 |
| 13 | केरल | 19,29,589 | 6,69,47,293 | 6,98,440 | 1,08,70,987 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 16,49,364 | 23,12,22,106 | 1,30,00,000 | 58,76,95,995 |
| 15 | मद्रास | 74,39,073 | 16,67,83,534 | 53,27,906 | 10,39,82,590 |
| 16 | मणिपुर | 51,577 | 55,93,992 | 78,527 | 52,94,272 |
| 17 | मेघालय | 18,844 | 9,98,123 | 9,221 | 35,63,523 |
| 18 | उड़ीसा | 6,46,588 | 4,77,94,951 | 58,36,296 | 13,75,57,843 |
| 19 | पटना | 1,13,025 | 2,31,83,083 | 9,62,483 | 95,41,218 |
| 20 | पंजाब और हरियाणा | 12,25,655 | 28,18,05,829 | 29,36,852 | 51,27,43,212 |
| 21 | राजस्थान | 31,66,277 | 11,67,82,238 | 21,27,017 | 1,01,79,759 |
| 22 | सिक्किम | 2,264 | 11,67,321 | 80,785 | 46,59,148 |
| 23 | तेलंगाना | 12,68,241 | 11,41,58,358 | 41,43,556 | 4,70,29,641 |
| 24 | त्रिपुरा | 92,538 | 73,84,185 | - | 6,19,005 |
| 25 | उत्तराखंड | 7,29,338 | 1,96,26,919 | 15,58,660 | 42,82,851 |
| | **कुल** | **3,50,92,245** | **2,13,29,26,119** | **11,42,65,026** | **3,07,89,18,333** |

उपाबंध-2

**'ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण' के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *88 जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

न्यायालयों और जेलों को प्रदान की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:

| ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **उच्च न्यायालय** | **न्यायालयों की संख्या (उच्च न्यायालय सहित)** | **जेलों की संख्या** |
| 1 | इलाहाबाद | जिला न्यायालय: 2532 न्यायालय कक्ष और 147 न्यायालय परिसर<br>उच्च न्यायालय : 2 पीटीजेड कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं | 70 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | जिला न्यायालय: 652 न्यायालय कक्ष<br>उच्च न्यायालय: चार (4) न्यायपीठ | 13 |
| 3 | बंबई | जिला न्यायालय: 372 न्यायालय परिसरों और 964 न्यायालयों को पूर्ण हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली प्रदान की गई है। (चरण 1 और चरण 2)<br>ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन, अतिरिक्त न्यायालय परिसरों को 102 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।<br>इसके अतिरिक्त, चरण-2 के अधीन कवर नहीं किए गए 381 न्यायालय कक्षों, जिनमें जिला और तालुका स्तर पर 129 जिला न्यायाधीश न्यायालय स्थापन सम्मिलित हैं, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली प्रदान की गई है।<br>उच्च न्यायालय: 60 न्यायालय कक्ष | 96 |
| 4 | छत्तीसगढ | 532 | 33 |
| 5 | कलकत्ता | 884 | 61 सुधार गृह |
| 6 | दिल्ली | जिला न्यायालय: 07 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग<br>हालांकि, आज की तारीख में, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से दिल्ली की सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यरत है। | ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 के अधीन दिल्ली की जिला जेलों को 35 वी.सी. इकाइयां प्रदान की गई हैं। |
| 7(क) | गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश) | जिला न्यायालय: 31 न्यायालय<br>उच्च न्यायालय: 2 न्यायालय कक्ष | जेलों/उप-जेलों की संख्या 8 (02 जिला जेल और 06 उप-जेल) |
| 7(ख) | गुवाहाटी (असम) | 417 | 31 |
| 7(ग) | गुवाहाटी (मिजोरम) | 39 न्यायालय (उच्च न्यायालय सहित) | 10 |
| 7(घ) | गुवाहाटी (नागालैंड) | 29 | 12 |
| 8 | गुजरात | जिला न्यायालय: 1076 न्यायालय<br>उच्च न्यायालय: 39 न्यायालय (आंशिक रूप से राज्य सरकार के कोष और ई-समिति कोष से) | 27 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | ज़िला न्यायालय: चरण-3 के अधीन ज़िला न्यायपालिका को 63 वी.सी. उपकरण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, राज्य के अस्पतालों को 22 ऑल-इन-वन (एआईओ) वी.सी. उपकरण प्रदान किए गए। | शून्य |
| 10 | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | जिला न्यायालय: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की 246 न्यायालयों में से 80 न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध है।<br>चरण-3 के अधीन 153 न्यायालयों को वी.सी. हार्डवेयर उपलब्ध कराया गया है।<br>उच्च न्यायालय: वी.सी. सुविधाओं से सुसज्जित। | 14 |
| 11 | झारखंड | 278 | 28 |
| 12 | कर्नाटक | 349 | 4 |



4

| ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई | | | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | उच्च न्यायालय | न्यायालयों की संख्या (उच्च न्यायालय सहित) | जेलों की संख्या |
| 13 | केरल | जिला न्यायालय: केरल सरकार के कारागार विभाग ने जिला न्यायपालिका के 370 न्यायालयों में रिमांड विस्तार के लिए, 'न्यायालयों और जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' स्कीम के अधीन न्यायालयों और जेलों में समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयां स्थापित की हैं। इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के कोष के साथ-साथ ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के अधीन आवंटित धन का भी उपयोग किया है।<br>इसके अतिरिक्त, चरण-2 के अधीन 27 जिला न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान की गई हैं।<br>इसके अलावा, चरण-3 के अधीन जिला न्यायपालिका में 106 न्यायालयों और 94 न्यायालय परिसरों को समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयां प्रदान की गई हैं। | शून्य |
| 14 | मद्रास | 1297 | 119 |
| 15 | उड़ीसा | 803 न्यायालय | 53 |
| 16 | पटना | 1293 (बिहार के जिला न्यायालय) | 59 |
| 17 | पंजाब और हरियाणा | 618 | 44 |
| 18 | राजस्थान | जिला न्यायालय: 1376 न्यायालय<br>उच्च न्यायालय: 46 न्यायालय कक्ष<br>इसके अतिरिक्त, चरण-3 के अधीन 45 नव निर्मित न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। | 105 |
| 19 | तेलंगाना | 537 | 37 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1858 | 405 |
| 21 | मणिपुर | 45 न्यायालय (उच्च न्यायालय में 4 सहित) | 2 |
| 22 | मेघालय | न्यायालय परिसर-19<br>न्यायालय कक्ष-78 | |
| 23 | सिक्किम | 35 | |
| 24 | त्रिपुरा | 91 | 13 |
| 25 | उत्तराखंड | 241 | 11 |

**उपांबंध–3**

**‘ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण’ के संबंध में 25/07/2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

विवरण निम्नानुसार हैं:

| 30.06.2025 तक ई- सेवा केन्द्र के कार्यान्वयन की स्थिति | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रमांक** | **उच्च न्यायालय** | **क्या ई-सेवा केंन्द्र उच्च न्यायालय में क्रियान्वित है?** | **उच्च न्यायालयों में क्रियान्वित ई-सेवा केंद्र (क)** | **क्या जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंन्द्र क्रियान्वित किया गया है?** | **जिला न्यायालयों में क्रियान्वित ई-सेवा केंद्र (ख)** | **कुल (क+ख)** |
| 1 | इलाहाबाद | हाँ | 2 | हाँ | 74 | 76 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | नहीं | 0 | नहीं | 0 | 0 |
| 3 | बंबई | हाँ | 3 | हाँ | 40 | 43 |
| 4 | कलकत्ता | हाँ | 1 | हाँ | 14 | 15 |
| 5 | छत्तीसगढ | हाँ | 1 | हाँ | 23 | 24 |
| 6 | दिल्ली | हाँ | 1 | हाँ | 13 | 14 |
| 7 | गुवाहाटी | हाँ | 5 | हाँ | 126 | 131 |
| 8 | गुजरात | हाँ | 1 | हाँ | 192 | 193 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | हाँ | 1 | हाँ | 22 | 23 |
| 10 | जम्मू-कश्मीर | हाँ | 1 | हाँ | 26 | 27 |
| 11 | झारखंड | हाँ | 2 | हाँ | 62 | 64 |
| 12 | कर्नाटक | हाँ | 3 | हाँ | 25 | 28 |
| 13 | केरल | हाँ | 1 | हाँ | 161 | 162 |
| 14 | मध्य प्रदेश | हाँ | 1 | हाँ | 185 | 186 |
| 15 | मद्रास | हाँ | 7 | हाँ | 310 | 317 |
| 16 | मणिपुर | हाँ | 1 | हाँ | 20 | 21 |
| 17 | मेघालय | हाँ | 1 | हाँ | 16 | 17 |
| 18 | उड़ीसा | हाँ | 1 | हाँ | 160 | 161 |
| 19 | पटना | हाँ | 1 | हाँ | 37 | 38 |
| 20 | पंजाब और हरियाणा | हाँ | 1 | हाँ | 113 | 114 |
| 21 | राजस्थान | हाँ | 2 | हाँ | 1 | 3 |
| 22 | सिक्किम | हाँ | 1 | हाँ | 10 | 11 |
| 23 | तेलंगाना | हाँ | 1 | हाँ | 98 | 99 |
| 24 | त्रिपुरा | हाँ | 1 | हाँ | 15 | 16 |
| 25 | उत्तराखंड | हां | 1 | हां | 30 | 31 |
| | **कार्यान्वित** | **24** | **41** | **24** | **1773** | **1814** |
| | **कार्यान्वित नहीं किया गया** | **1** | | **1** | | |

***************



6

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 944
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**विधिक जागरूकता शिविर**

**944. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**

**श्री भोजराज नाग :**

**श्री पी. पी. चौधरी :**

**श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :**

**श्री रमेश अवस्थी :**

**श्रीमती स्मिता उदय वाघ :**

**श्री जनार्दन मिश्राः**

**श्री सुरेश कुमार कश्यप :**

**सुश्री कंगना रनौत :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ बनाने में सरकार की जिला/राज्यवार प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में, विशेषकर राजस्थान में कितने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए ;

(ग) देश भर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों और कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है और उनका कितना विस्तार हुआ है ;

(घ) पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में निःशुल्क कानूनी रक्षा प्रदान करने में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) का दायरा और उनकी कार्यान्वयन स्थिति क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं ;

(ङ) क्या एलएडीसीएस और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कोई कार्य- निष्पादन मूल्यांकन किया गया है या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है ; और

(च) क्या अल्पसेवित क्षेत्रों, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता की अवसंरचना, जागरूकता या प्रशिक्षण का विस्तार के करने लिए कोई विशेष पहल की गई है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ;**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**)क)** : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन सम्मिलित किए गए लाभार्थी भी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। इसके अतिरिक्त, नालसा ने निवारक और रणनीतिक विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न योजनाएं भी तैयार की हैं, जिन्हें विभिन्न स्तरों जैसे राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-क** में है । तथापि, जिले-वार जानकारी नालसा द्वारा नहीं रखी जाती है।

**(ख) और (ग)** : विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा देश भर में बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और योजनाओं के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों में वितरण के लिए विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पैम्फलेट भी तैयार करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में (राजस्थान सहित) विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

| वर्ष | राजस्थान में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम | उपस्थित व्यक्तियों की संख्या | देश भर में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम | उपस्थित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1,42,253 | 65,28,772 | 4,90,055 | 6,75,17,665 |
| 2023-24 | 72,331 | 56,40,045 | 4,30,306 | 4,49,22,092 |
| 2024-25 | 62,011 | 33,62,084 | 4,62,988 | 3,72,32,850 |
| कुल | 2,76,595 | 1,55,30,901 | 13,83,349 | 14,96,72,607 |

**(घ)** : भारत सरकार 2023-24 से नालसा के माध्यम से विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता प्रणाली (एलएडीसीएस) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना भी लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता के पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान करना है। 30 जून 2025 तक , देश भर के 662 जिलों में एलएडीसी कार्यालय कार्यरत हैं। स्थापना के बाद से, विधिक सहायता बचाव परामर्शदाताओं (एलएडीसी) को 8,69,243 आपराधिक मामले सौंपे गए हैं, जिनमें से 5,85,255 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

**(ङ)** : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ) विनियम, 2010 सभी स्तरों, अर्थात् उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और तालुका विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) पर निगरानी और परामर्श समिति (एमएमसी) के माध्यम से विधिक सहायता सेवाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु एक सुदृढ़ ढाँचा प्रदान करते हैं। ये समितियाँ न्यायालय-आधारित विधिक सहायता वितरण की देखरेख, सौंपे गए मामलों की प्रगति की निगरानी, और गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएँ प्रदान करने में पैनल वकीलों एवं विधिक सहायता बचाव परामर्शदाताओं (एलएडीसी) का मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

एमएमसी विधिक सहायता मामलों की दिन-प्रतिदिन की प्रगति और अंतिम परिणामों पर नज़र रखने के लिए रजिस्टर बनाए रखते हैं। वे विधिक सहायता वकीलों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, उनके प्रदर्शन का आकलन करते हैं, और प्रगति असंतोषजनक होने पर संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह देते हैं। यह निरंतर अनुवर्ती तंत्र विधिक सेवाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करती है। एमएमसी वकीलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करती हैं ताकि कम प्रदर्शन या कदाचार की पहचान की जा सके। इसके अतिरिक्त, एलएडीसीएस के अधीन कार्यरत प्रत्येक मानव संसाधन के प्रदर्शन का मूल्यांकन एसएलएसए द्वारा एसएलएसए के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हर छह महीने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एलएडीसी द्वारा किए गए मामला कार्य की मासिक रिपोर्टिंग एसएलएसए द्वारा एनएएलएसए को की जाती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय पर निगरानी और डेटा-आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित होता है।

**(च)** : कानूनी सहायता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विधिक जागरूकता बढ़ाने और विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नालसा (संवाद - हाशिये पर पड़े, कमजोर आदिवासियों और अधिसूचित न किए गए/घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करना) योजना, 2025 जो जागरूकता और सहायता पर आधारित समुदाय-संचालित दृष्टिकोण को अपनाकर विशेष रूप से हाशिये पर पड़े आदिवासी और घुमंतू समुदायों पर ध्यान केंद्रित करती है।

(ii) नालसा जागृति - (जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता पहल के लिए न्याय जागरूकता) योजना, 2025 जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में विधिक जागरूकता को संस्थागत बनाना है।

*********

**उपाबंध-क**

**विधिक जागरूकता शिविर के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 944, जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अधीन विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्तियों को दर्शित करने वाला विवरण ।**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 134 | 220 | 341 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 9,473 | 8,265 | 11,266 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 5,559 | 5,696 | 9,236 |
| 4 | असम | 38,335 | 63,749 | 82,694 |
| 5 | बिहार | 2,09,809 | 1,51,413 | 84,505 |
| 6 | चंडीगढ़ | 2,653 | 2,822 | 2,951 |
| 7 | छत्तीसगढ | 44,106 | 62,164 | 80,874 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली | 28 | 55 | 45 |
| | दमण और दीव | 24 | 34 | 119 |
| 9 | दिल्ली | 96,433 | 1,21,882 | 76,526 |
| 10 | गोवा | 2,041 | 1,558 | 1,889 |
| 11 | गुजरात | 32,422 | 40,569 | 50,467 |
| 12 | हरियाणा | 43,098 | 76,863 | 82,194 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 5,998 | 7,346 | 6,222 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 7,992 | 11,396 | 18,602 |
| 15 | झारखंड | 1,45,217 | 2,69,303 | 3,28,365 |
| 16 | कर्नाटक | 45,663 | 53,406 | 51,245 |
| 17 | केरल | 23,418 | 36,498 | 26,571 |
| 18 | लद्दाख | 711 | 505 | 324 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 1 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1,91,921 | 2,25,510 | 2,33,009 |
| 21 | महाराष्ट्र | 36,663 | 53,756 | 59,454 |
| 22 | मणिपुर | 26,929 | 62,635 | 99,062 |
| 23 | मेघालय | 2,769 | 2,371 | 2,754 |
| 24 | मिजोरम | 5,038 | 4,801 | 3,713 |
| 25 | नागालैंड | 7,390 | 4,603 | 5,012 |
| 26 | ओडिशा | 11,880 | 19,289 | 22,134 |
| 27 | पुडूचेरी | 788 | 621 | 616 |
| 28 | पंजाब | 56,448 | 60,361 | 65,513 |
| 29 | राजस्थान | 13,472 | 20,290 | 22,216 |
| 30 | सिक्किम | 1,127 | 1,074 | 901 |
| 31 | तमिलनाडु | 49,570 | 45,180 | 52,528 |
| 32 | तेलंगाना | 12,615 | 13,193 | 16,021 |
| 33 | त्रिपुरा | 5,055 | 9,964 | 10,303 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 24,890 | 29,079 | 22,732 |
| 35 | उत्तराखंड | 5,386 | 21,339 | 34,208 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 49,714 | 62,354 | 92,914 |
| **कुल** | | **12,14,769** | **15,50,164** | **16,57,527** |

*************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 951
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**निः शुल्क कानूनी सलाह प्रदान करना**

**951. श्री विष्णु दत्त शर्मा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से, विशेषकर मध्य प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में निः शुल्क कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस योजना के अंतर्गत खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी और पन्ना जिलों तथा खजुराहो शहर को शामिल किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने लाभार्थी हैं, इसमें कितने सीएससी शामिल हैं और किस प्रकार के कानूनी मुद्दों का समाधान किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों में टेली-लॉ सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख) :** टेली-लॉ कार्यक्रम "डिजाईनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इंडिया (दिशा)" स्कीम के अधीन कार्यक्रमों में से एक है, जिसे न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दिशा स्कीम का उद्देश्य संविधान की उद्देशिका और अनुच्छेद 39क, 14 और 21 के अधीन यथा प्रतिपादित संवैधानिक अधिदेश को पूरा करना है दिशा स्कीम टेली-लॉ और अन्य घटकों के माध्यम से नागरिकों के लिए आसान, सुलभ, वहन योग्य और नागरिक केंद्रित विधिक सेवाओं का उपबंध करती है टेली-लॉ देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रसुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ता है। टेली-लॉ के अधीन टेली-लॉ मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर 14454 के माध्यम से भी सेवाएं उपलब्ध हैं। टेली-लॉ कार्यक्रम मध्य प्रदेश के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो (छतरपुर जिला) सहित सभी जिलों में व्याप्त है ।

**(ग) और (घ) :** कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो (छतरपुर जिला) शहर में हिताधिकारी और संबद्ध सीएससी की संख्या निम्नानुसार है: -

| **जिले/कस्बे का नाम** | **सक्रिय सीएससी की संख्या** | **लाभार्थियों (30 जून, 2025 तक )** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| कटनी | 151 | 6,518 |
| पन्ना | 218 | 34,998 |
| खजुराहो (छतरपुर) | 558 | 1,10,320 |

इसके अतिरिक्त, टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन दी जाने वाली मुकदमे-पूर्व सलाह में राजस्व मामले, संपत्ति विवाद, दुर्घटना दावे, महिला एवं बाल सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद से संबंधित विवाद्यक सम्मिलित है ।

***********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 971
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**न्यायिक पोर्टलों की खराब डिजिटल अवसंरचना**

**971. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की वेबसाइटों पर निर्णयों, आदेशों, वाद सूचियों और दैनिक कार्यवाहियों के विलंबित या असंगत अपलोडिंग की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बार-बार डाउनटाइम, पुराने उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, गैर-मानकीकृत प्रारूप और टूटे हुए लिंक जैसे मुद्दे न्यायिक जानकारी तक जनता की पहुँच को प्रभावित कर रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विशेषकर निचली न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों जैसे न्यायालयों की वेबसाइटों की कोई तकनीकी ऑडिट या निष्पादन समीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हैं ;

(घ) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सामग्री का मानकीकरण और डिजिटल अवसंरचना में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या प्रस्तावित हैं ; और

(ङ) क्या देश भर में न्यायालयों की वेबसाइटों के निष्पादन और पहुँच पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीकृत निगरानी तंत्र या डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन किए जा रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति पणधारियों के हितों के लिए निर्णयों और आदेशों को समय पर और निरंतर अपलोड करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है। ई-कोर्ट परियोजना के अधीन विकसित केस इन्फारमेशन प्रणाली सिस्टम (सीआईएस) सॉफ्टवेयर, वादियों और नागरिकों की जानकारी के लिए निर्णयों, न्यायालयों के आदेशों, वाद सूचियों और दैनिक कार्यवाहियों के प्रकाशन की सुविधा प्रदान करता है, जो ई-कोर्ट परियोजना के विभिन्न सेवा वितरण प्रणाली के माध्यम से इन दस्तावेजों का अभिगम कर सकते हैं ।

इसके अलावा, ई-न्यायालय परियोजना के अधीन शुरू किया गया राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) 25.60 करोड़ अदालती मामलों और 31.78 करोड़ अंतरिम आदेशों व निर्णयों से संबंधित डेटा संग्रहीत करता है। वाद सूचियों और अदालती आदेशों की वास्तविक समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एसएमएस अलर्ट, मोबाइल एप्लिकेशन और समर्पित पोर्टल जैसी विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, जिन अदालती मामलों की सुनवाई की अगली तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, उनका विवरण एनजेडीजी पर उपलब्ध है। इसके अलावा, ई-कोर्ट परियोजना के अधीन विकसित जस्टिस ऐप के माध्यम से न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को मामलों की कुशल मानीटरी की सुविधा प्रदान की गई है।

**(ख)** : सभी ई-न्यायालय पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की क्लाउड सुविधा (मेघराज 2.0) पर होस्ट किए गए हैं। उपयोगकर्ताओं की निर्बाध अभिगम सुनिश्चित करने के लिए, इन पोर्टलों का भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा, ई-कोर्ट परियोजना का उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), पुणे नेटवर्क और महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की स्थिति की निरंतर मानीटरी के लिए एक स्वचालित मानीटरी पोर्टल का उपयोग करता है ।किसी भी अप्रत्याशित डाउनटाइम या आउटेज की स्थिति में, टीम तुरंत उपचारात्मक उपाय करती है। हालाँकि, कभी-कभी, महत्वपूर्ण रखरखाव संबंधी गतिविधियों के लिए नियोजित डाउनटाइम किया जाता है।

**(ग) से (घ)** : ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के भाग के रूप में, जिला न्यायालयों की वेबसाइटों को S3WAAS (सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट एज़ अ सर्विस) प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है। S3WAAS प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी वेबसाइटों का NIC और CERT-in के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक ऑडिट किया जाता है। ई-कोर्ट परियोजना के अधीन विकसित अन्य वेबसाइट राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट की जाती हैं । परिणामस्वरूप, वेबसाइट सुरक्षित और सुलभ बनी रहती हैं।

न्यायिक सूचना का अभिगम और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड प्रोजेक्ट के अधीन अनेक उपाय किए गए हैं ।केस सूचना प्रणाली से आदेश, निर्णय और वाद सूचियों सहित डेटा को लगभग वास्तविक समय में राष्ट्रीय डेटा केंद्र पर दोहराया जाता है । प्रत्येक न्यायालय परिसर में एक समर्पित टीम इन गतिविधियों की मानीटरी करती है। इसके अतिरिक्त, देश के सभी न्यायालयों में एक मानकीकृत राष्ट्रीय कोर केस सूचना प्रणाली लागू की गई है। न्यायालयों में डिजिटल अवसंरचना के संबंध में, इसे ई-कोर्ट परियोजना के भाग के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत किया जा रहा है ।जिला और उच्च न्यायालय स्तर पर, न्यायालयों के प्रदर्शन, कार्यावधि और डेटा सटीकता पर नज़र रखने के लिए समर्पित टीमें कार्यरत हैं ।आज की तारीख तक, **उपाबंध-1** में दिए गए विवरण के अनुसार,18,735 न्यायालयों को डिजिटल अवसंरचना प्रदान की जा चुकी है ।

*********

**उपाबंध- 1**

**न्यायिक पोर्टलों के खराब डिजिटल बुनियादी ढांचे से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 971 जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

| क्र. सं. | उच्च न्यायालय | राज्य | न्यायालय परिसरों की संख्या | न्यायालयों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश | 180 | 2222 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश | 218 | 617 |
| 3 | बंबई | दादरा और नगर हवेली | 1 | 3 |
| | | दमन और दीव | 2 | 2 |
| | | गोवा | 17 | 39 |
| | | महाराष्ट्र | 471 | 2157 |
| 4 | कलकत्ता | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 4 | 14 |
| | | पश्चिमी बंगाल | 89 | 827 |
| 5 | छत्तीसगढ | छत्तीसगढ | 93 | 434 |
| 6 | दिल्ली | **दिल्ली** | **6** | **681** |
| 7 | गुवाहाटी | अरुणाचल प्रदेश | 14 | 28 |
| | | असम | 74 | 408 |
| | | मिजोरम | 8 | 69 |
| | | नगालैंड | 11 | 37 |
| 8 | गुजरात | गुजरात | 376 | 1268 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश | 50 | 162 |
| 10 | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | 86 | 218 |
| 11 | झारखंड | झारखंड | 28 | 447 |
| 12 | कर्नाटक | कर्नाटक | 207 | 1031 |
| 13 | केरल | केरल | 158 | 484 |
| | | लक्षद्वीप | 1 | 3 |
| 14 | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश | 213 | 1363 |
| 15 | मद्रास | पुदुचेरी | 4 | 24 |
| | | तमिलनाडु | 263 | 1124 |
| 16 | मणिपुर | मणिपुर | 17 | 38 |
| 17 | मेघालय | मेघालय | 7 | 42 |
| 18 | उड़ीसा | ओडिशा | 185 | 686 |
| 19 | पटना | बिहार | 84 | 1142 |
| 20 | पंजाब और हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 | 30 |
| | | हरियाणा | 53 | 500 |
| | | पंजाब | 64 | 541 |
| 21 | राजस्थान | राजस्थान | 247 | 1240 |
| 22 | सिक्किम | सिक्किम | 8 | 23 |
| 23 | तेलंगाना | तेलंगाना | 129 | 476 |
| 24 | त्रिपुरा | त्रिपुरा | 14 | 84 |
| 25 | उत्तराखंड | उत्तराखंड | 69 | 271 |
| **कुल** | | | **3452** | **18735** |

************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 984
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**सर्वोच्च न्यायालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग**

**984. श्रीमती पूनमबैन माडम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों के प्रबंधन और निर्णय लेने में सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) एसयूपीएसीई (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी) जैसे एआई-संचालित उपकरणों की तैनाती की स्थिति क्या है ; और

(घ) गुजरात राज्य में जिलावार कितने ई-न्यायालय कार्यरत हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ख) :** भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन अधिगम (एमएल) आधारित साधनों को मामला प्रबंधन में परिनियोजित किया जा रहा है। इन साधनों का प्रयोग सांविधानिक न्यायपीठ के मामलों में मौखिक दलीलों का लिप्यन्तरण करने में प्रयोग किया जा रहा है। कृत्रिम मेधा सहायता प्राप्त लिप्यन्तरित वकीलों को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है ।

भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के साथ निकट समन्वय करके एआई और एमएल आधारित साधनों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा से निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं अर्थात्, - असमिया, बंगला, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कशमीरी, खासी, कोंकणी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, में अनुवाद करने में भी प्रयोग कर रहा है। इन निर्णयों को भारत के उच्चतम न्यायालय के ईएससीआर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने आई आई टी मद्रास के निकट समन्वय से, त्रुटियों की पहचान के लिए इलैक्ट्रानिक फाइलिंग साफ्टवेयर के साथ एकीकृत एआई और एमएल आधारित साधनों को परिनियोजित किया है। हाल ही में प्रोटोटाइप की पहुंच को दो सौ अभिलेख पर अधिवक्ताओं को प्रदान किया गया है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय आईआईटी मद्रास के सहयोग से त्रुटियों, डाटा, मेटा डाटा निष्कर्षण को संसाधित करने के लिए, एआई और एमएल के प्रोटाटाइप का भी परीक्षण कर रहा है । यह साधन आधारित एआई और एमएल इलेक्ट्रानिक फाइलिंग मॉड्यूल और मामला साफ्टवेयर

अर्थात् एकीकृत मामला प्रबंधन और सूचना पद्धति (आईसीएमआईसी) के साथ एकीकृत किया जाएगा ।

तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी साधन आधारित एआई और एमएल का प्रयोग विनिश्चय निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं ।

**(ग) :** एआई आधारित साधन न्यायालय दक्षता में उच्चतम न्यायालय पोर्टल सहायता (एसयूपीएसी), का उद्देश्य मामलों की पहचान करने के अलावा पूर्व उदाहरणों की मेधावी शोध के साथ मामलों के वास्तविक मेट्रिक्स को समझने के लिए एक मॉड्यूल विकसित करना है, यह विकास की एक प्रयोगात्मक-प्रक्रम है ।एसयूपीएसीई को ग्राफिक प्रसंस्करण यूनिट (यूनिटों) तथा टेंसर प्रसंस्करण यूनिट जैसी अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित यूनिटों के उपापन और परिनियोजन के पश्चात् परिनियोजित किया जा सकेगा ।

**(घ) :** गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं का प्रयोग करते हुए अनिवार्य ई-फाइलिंग और सुदूर न्यायनिर्णयन अहमदाबाद शहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की अधिकारिता के लिए बैंकों और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा संस्थित किए जा रहे प्रक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम, 1881 के अधीन चैकों के अनादर के मामले से निपटने के लिए प्रदान किया गया है ।इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के प्रक्राम्य लिखत अधिनियम, के सभी ई-फाइल किए गए मामलों पर सुदूर न्यायनिर्णयन के माध्यम से विचार करने के लिए राज्य के सभी दंडाधिकारिय न्यायालयों की अधिकारिता विस्तारित की है । तदनुसार , अधिसूचना के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद शहर के ई-फाइल किए गए मामलों के लिए सुदूर न्यायनिर्णयन प्रणाली तक राज्सवार पहुंच (एसएआरएएस) संख्या 1 न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में अहमदाबाद, आणंद, नर्मदा और गिर, सोमनाथ में तैनात पांच न्यायिक अधिकारियों को नामनिर्देशित किया है ।इन न्यायिक अधिकारियों का कार्य स्थान इन सुदूर न्यायनिर्णयन अधिकारियों पर अध्यक्षता करने के लिए नहीं बदला जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय परियोजना के तत्वाधान में वर्चुअल यातायात न्यायालय को कार्यान्वित किया गया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

| **क्र.सं.** | **जिला** | **वर्चुअल यातायात न्यायालयों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | नवसारी | 3 |
| 2 | पंचमहल | 1 |
| 3 | भावनगर | 1 |
| 4 | दाहोद | 2 |
| 5 | पोरबंदर | 1 |
| 6 | तापी | 1 |
| 7 | अमरेली | 3 |
| 8 | गिर सोमनाथ | 1 |
| 9 | सुरेंद्रनगर | 1 |
| 10 | बनासकांठा | 2 |
| 11 | साबरकांठा | 1 |
| 12 | अहमदाबाद शहर | 1 |
| 13 | अहमदाबाद ग्रामीण | 1 |
| 14 | जूनागढ़ | 1 |
| 15 | पाटन | 1 |
| **कुल** | | **21** |

*************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1020
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**न्यायालयों में लंबित मामले**

**1020. श्री मलविंदर सिंह कंग :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय/पहल की गई है ;

(ग) देश भर में राज्य-वार कितनी फास्ट-ट्रैक अदालतें कार्यरत हैं ; और

(घ) विगत दो वर्षों में, विशेषकर पंजाब में, न्यायिक अवसंरचना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 21.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

| **क्र. सं.** | न्यायालय **का नाम** | लंबित मामले |
|---|---|---|
| 1. | उच्चतम न्यायालय | 86,742 |
| 2. | उच्च न्यायालय | 63,30,409 |
| 3. | जिला और अधीनस्थ न्यायालय | 4,65,27,906 |

**(ख) :** सरकार ने न्यायालयों में मामलों के तेजी से निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जो निम्नानुसार हैं :

i. न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यमों से लंबित मामलों में कमी करके और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि करके तथा पालन मानक और क्षमताओं की स्थापना करके पहुंच में अभिवृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों से अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था ।मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की पदसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय,

मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर बल देते हुए, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना भी है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के सन्निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे विभिन्न पणधारियों जिसके अंतर्गत वादकारी भी है, का जीवन आसान हो जाएगा, जिससे न्याय के परिदान में सहायता होगी ।1993-94 में इस स्कीम के प्रारंभ से आज30.06.2025 तक, 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या (30.06.2014 तक) 15,818 से बढ़कर (30.06.2025 तक) 22,372 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या (30.06.2014 तक) 10,211 से बढ़कर (30.06.2025 तक)19,851 हो गई है।

iii. ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण 1 और 2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी समर्थता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया था और 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय कम्प्यूटरीकृत किए गए थे ।2977 स्थानों में वॉन कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी ।3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा समर्थ बनाई गई थी ।778 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए स्थापित किए गए थे ।17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए थे जिनमें मार्च 2023 तक 2.78 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 384.14 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने की वसूली की है।

13.09.2023 को, 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना (2023-2027) के चरण-3 को अनुमोदित किया गया था, इसका लक्ष्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागजरहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय में अधिकतम आसानी की व्यवस्था शुरू करना है ।इसका आशय न्याय परिदान को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है ।अब तक, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में 506.05 करोड़ पृष्ठों के न्यायालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.65 करोड़ से अधिक सुनवाई हो चुकी हैं और 11 उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 1814 हो गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला प्रबंधन सुनवाई और मौखिक निर्णयों के लिप्यंतरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग किया जा रहा है।

iv. सरकार समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से 21.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीश नियुक्त किए गए ।उक्त समय के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 794 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए थे ।उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

| तारीख को | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत पद संख्या |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 21.07.2025 | 25,843 | 21,122 |

स्रोत : न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों और संबद्ध उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है ।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में पारित एक संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं । जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियां स्थापित की गई हैं ।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, जघन्य अपराधों के मामलों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है । तारीख 30.06.2025 तक, देश भर में 865 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े दांडिक मामलों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम को अनुमोदित किया है । तारीख 30.06.2025 तक, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने इसके आरंभ से 3,34,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है ।

vii. लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों में रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसी विभिन्न विधियों में संशोधन किया है ।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को आनुक्रमिक रुप से बढ़ावा दिया गया है । तदनुसार, वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटारा (पीआईएमएस) को आज्ञापक बनाते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था । पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। विवादों के शीघ्र समाधान हेतु माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए हैं|

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है, जो किसी मामले में दक्ष, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का उपबंध करता है, जिससे किसी विवाद का समय पर और गुणात्मक समाधान प्राप्त किया जा सके । यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान करने, मामले के काल के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है ।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए प्रारंभ की गई एक और नई सुविधा कलर बैंडिंग प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जाने सकने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को मामलों के लंबित स्तर के अनुसार

उनकी सूची के बारे में सचेत करती है।

ix. साधारण लोगों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालत बहुत महत्वपूर्ण है, जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व स्तर के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-नियत तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है :--

| वर्ष | मुकदमा-पूर्व मामले | लंबित मामले | कुल योग |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,06,294 | 55,81,743 | 1,27,88,037 |
| 2022 | 3,10,15,215 | 1,09,10,795 | 4,19,26,010 |
| 2023 | 7,10,32,980 | 1,43,09,237 | 8,53,42,217 |
| 2024 | 8,70,19,059 | 1,75,07,060 | 10,45,26,119 |
| 2025 (मार्च तक) | 2,58,28,368 | 50,82,181 | 3,09,10,549 |
| **योग** | **22,21,01,916** | **5,33,91,016** | **27,54,92,932** |

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

*टेली-लॉ डाटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

| 30 जून , 2025 तक | रजिस्ट्रीकृत माम | % वार विवरण | सलाह दी गई | % वार विवरण |
|---|---|---|---|---|
| **लिंग-वार** | | | | |
| महिला | 44,81,170 | 39.58% | 44,21,450 | 39.55% |
| पुरुष | 68,39,728 | 60.42% | 67,58,085 | 60.45% |
| **जाति प्रवर्ग-वार** | | | | |
| सामान्य | 26,89,371 | 23.76% | 26,48,100 | 23.69% |
| अ.पि.व. | 35,64,430 | 31.49% | 35,16,236 | 31.45% |
| अ.जा. | 35,27,303 | 31.16% | 34,90,737 | 31.22% |
| अ.ज.जा | 15,39,794 | 13.60% | 15,24,462 | 13.64% |
| **कुल** | **1,13,20,898** | | **1,11,79,535** | |

xii. देश में प्रो-बोनो संस्कृति और प्रो-बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं ।एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां अधिवक्ता स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने के लिए न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो-बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रर कर सकते हैं ।न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में वकीलों का प्रो-बोनो पैनल प्रारंभ किया गया है ।उभरते वकीलों में प्रो-बोनो संस्कृति स्थापित करने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो-बोनो क्लब प्रारंभ किए गए हैं ।

**(ग) :** उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 30.06.2025 तक 14,38,198 मामलों की लंबितता के साथ 21 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों में 865 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) कार्यशील हैं। राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र -वार ब्यौरे उपाबंध-1 पर हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के अनुसरण में और स्वप्रेरणा रिट (दांडिक) संख्या 1/2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में, केंद्रीय सरकार अक्तूबर, 2019 से त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालय भी हैं। ये न्यायालय बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध परीक्षण और निपटान के लिए समर्पित हैं। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार, 30.06. 2025 तक 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 392 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। स्कीम के प्रारंभ से अब तक, इन न्यायालयों ने सामूहिक रूप से 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है, जबकि 2,00,349 मामले वर्तमान में लंबित हैं। राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र–ब्यौरे **उपाबंध-2** में दिया गया है।

**(घ) :** पिछले दो वर्षों में न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन आबंटित और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे, विशेष रूप से पंजाब में, निम्नानुसार है:

***(रु. करोड़ में)***

| **पिछले दो वर्षों में आबंटित और उपयोग की गई कुल निधियां** | | |
|---|---|---|
| वित्त वर्ष | आबंटित निधियां | उपयोग की गई निधियां |
| 2023-24 | 1051 | 1060.17 |
| 2024-25 | 1123.40 | 1123.40 |
| 2025-26 | 998 | 50.48 (30.06.2025 ….) |
| **पिछले दो वर्षों में पंजाब के लिए आबंटित और उपयोग की गई धनराशि** | | |
| वित्त वर्ष | आबंटित निधियां | उपयोग की गई निधियां |
| 2023-24 | 47.28 | 18.42 |
| 2024-25* | 46.88 | 0.00 |
| 2025-26* | 49.25 | 0.00 (30.06.2025) |

* निधियां जारी नहीं की जा सकी, क्योंकि राज्य के एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) खाते में अनुज्ञेय राशि से अधिक निधियां अव्ययित थी और वह केन्द्रीय निधि के नए अनुदान के लिए पात्र नहीं था।

**उपाबंध- 1**

**'न्यायालयों में लंबित मामले से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1020 जिसका उत्तर 25.07.2025 को दिया जाना है के भाग (ग) में निर्दिष्ट उत्तर|**

**30.06.2025 तक कार्यशील त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे**

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम | कार्यशील एफटीसी की संख्या | लंबित |
|---|---|---|---|
| **1** | आंध्र प्रदेश | 21 | 6915 |
| **2** | अंदमान और निकोबार द्वीप | 0 | 0 |
| **3** | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 |
| **4** | असम | 16 | 13713 |
| **5** | बिहार | 0 | 0 |
| **6** | चंडीगढ़ | 0 | 0 |
| **7** | छत्तीसगढ | 27 | 5816 |
| **8** | दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव | 0 | 0 |
| **9** | दिल्ली | 26 | 6625 |
| **10** | गोवा | 4 | 1349 |
| **11** | गुजरात | 54 | 5316 |
| **12** | हरियाणा | 6 | 774 |
| **13** | हिमाचल प्रदेश | 3 | 332 |
| **14** | जम्मू-कश्मीर | 8 | 1423 |
| **15** | झारखंड | 41 | 9110 |
| **16** | कर्नाटक | 0 | 0 |
| **17** | केरल | 0 | 0 |
| **18** | लद्दाख | 0 | 0 |
| **19** | लक्षद्वीप | 0 | 0 |
| **20** | मध्य प्रदेश | 0 | 0 |
| **21** | महाराष्ट्र | 102 | 153896 |
| **22** | मणिपुर | 6 | 199 |
| **23** | मेघालय | 0 | 0 |
| **24** | मिजोरम | 2 | 259 |
| **25** | नागालैंड | 0 | 0 |
| **26** | ओडिशा | 0 | 0 |
| **27** | पुडुचेरी | 1 | 4458 |
| **28** | पंजाब | 7 | 152 |
| **29** | राजस्थान | 0 | 0 |
| **30** | सिक्किम | 2 | 17 |
| **31** | तमिलनाडु | 72 | 80244 |
| **32** | तेलंगाना | 0 | 0 |
| **33** | त्रिपुरा | 2 | 1049 |
| **34** | उत्तर प्रदेश | 373 | 1057849 |
| **35** | उत्तराखंड | 4 | 1103 |
| **36** | पश्चिम ी बंगाल | 88 | 87599 |
| | कुल | **865** | **1438198** |

उपाबंध -2

**'न्यायालयों में लंबित मामले से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1020 जिसका उत्तर 25.07.2025 को दिया जाना है के भाग (ग) में निर्दिष्ट उत्तर|**

**30.06.2025 तक कार्यशील त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे**

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम | कार्यशील न्यायालय | | लंबित |
|---|---|---|---|---|
| | | अनन्य पॉक्सो न्यायालय सहित एफटीएससी | अनन्य पॉक्सो न्यायालय | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 16 | 16 | 6303 |
| 2 | असम | 17 | 17 | 6435 |
| 3 | बिहार | 46 | 46 | 18459 |
| 4 | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 214 |
| 5 | छत्तीसगढ | 15 | 11 | 1739 |
| 6 | दिल्ली | 16 | 11 | 3560 |
| 7 | गोवा | 1 | 0 | 155 |
| 8 | गुजरात | 35 | 24 | 5315 |
| 9 | हरियाणा | 18 | 14 | 4420 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 6 | 3 | 643 |
| 11 | जम्मू-कश्मीर | 4 | 2 | 497 |
| 12 | कर्नाटक | 30 | 17 | 5220 |
| 13 | केरल | 55 | 14 | 6292 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 67 | 56 | 10713 |
| 15 | महाराष्ट्र | 2 | 1 | 290 |
| 16 | मणिपुर | 2 | 0 | 49 |
| 17 | मेघालय | 5 | 5 | 1097 |
| 18 | मिजोरम | 3 | 1 | 75 |
| 19 | नागालैंड | 1 | 0 | 59 |
| 20 | ओडिशा | 44 | 23 | 9065 |
| 21 | पुडुचेरी | 1 | 1 | 218 |
| 22 | पंजाब | 12 | 3 | 1451 |
| 23 | राजस्थान | 45 | 30 | 4892 |
| 24 | तमिलनाडु | 14 | 14 | 5234 |
| 25 | तेलंगाना | 36 | 0 | 8782 |
| 26 | त्रिपुरा | 3 | 1 | 224 |
| 27 | उत्तराखंड | 4 | 0 | 1094 |
| 28 | उतार प्रदेश। | 218 | 74 | 92700 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 8 | 8 | 5154 |
| 30 | झारखण्ड* | 0 | 0 | 0 |
| 31 | अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह** | 0 | 0 | 0 |
| 32 | अरुणाचल प्रदेश*** | 0 | 0 | 0 |
| 33 | दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव | 0 | 0 | 0 |
| 34 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 |
| 36 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | **725** | **392** | **200349** |

टिप्पण: स्कीम के आरंभ में, देश भर में त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) का आबंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, अर्थात प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी ) स्थापित किया जाएगा। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ही इस स्कीम में सम्मिलित होने के पात्र थे।

* झारखंड राज्य ने तारीख 07.07.2025 के पत्र द्वारा त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम से बाहर निकलने का विनिश्चय किया है।

** अंदमान और निकोबार द्वीप ने इस स्कीम में सम्मिलित होने के लिए सहमति व्यक्त की है, किंतु अभी तक कोई भी न्यायालय परिचालित नहीं हुआ है।

***अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर होने का विकल्प चुना है।

*******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1025
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

## महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए न्यायालय

**1025. डॉ. निशिकान्त दुबे :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं पर अत्याचार संबंधी मामलों के निपटारे के लिए अब तक राज्य/स्थानवार कितने महिला न्यायालय स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का कई अन्य राज्यों में भी ऐसे न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ;**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** चौदहवें वित्त आयोग (2015-2020) की संस्तुति के अनुसार, त्वरित निपटान न्यायालयों को जघन्य अपराधों, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों, महिला, बच्चों इत्यादि से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं, से निपटने के लिए स्थापित किया गया है । **उपाबंध -1** में दिये गए ब्योरे के अनुसार 30.06.2025 तक विभिन्न राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 865 त्वरित निपटान न्यायालय प्रकार्यात्मक हैं।

इसके अतिरिक्त, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा रिट (आपराधिक) संख्या 22/1991 में दिए गए निदेशों के अनुसरण में अक्टूबर 2019 से केंद्रीय सरकार त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों, अनन्य पोस्को (इ-पोस्को) न्यायालयों सहित की स्थापना हेतु केंद्रीकृत प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करती रही है। ये न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम, 2012 के तहत अपराधों और बलात्कार संबंधी लंबित प्रकरणों के समयबद्ध विचारण और निष्पादन के लिए समर्पित हैं। 30.06.2025 को 29 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पोस्को (इ-पोस्को) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान न्यायालय प्रकार्यात्मक हैं, योजना की शुरुआत से इन न्यायालयों ने 3,34,213 प्रकरणों को निष्पादित किया है। **उपाबंध-2** में राज्यवार / राज्यक्षेत्रवार त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की सूची दी गई है।

31 मार्च, 2026 तक नवीनतम विस्तार के साथ 1952.23 करोड़ रुपये के परिव्यय पर, जिसमें 1207.24 करोड़ रुपये निर्भया निधि से केंद्रीय अंश के तौर पर व्यय किया जाएगा, अब तक इस योजना को दो बार विस्तारित किया गया है। एक न्यायिक अधिकारी के साथ में सात सहायक कर्मचारीवृंद के वेतन का भुगतान करने और दैनिक खर्चों के नम्य

अनुदान हेतु केंद्र राज्य अंश प्रतिमान ( केंद्रीय अंश : राज्य अंश :: 60:40, 90:10) पर निधि जारी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, सरकार ने महिलाओं की चिंताओं और मुद्दों पर ध्यान देने और उनका समाधान करने हेतु एकीकृत नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' का शुभारम्भ किया है। 'मिशन शक्ति' की उप योजना का घटक 'नारी अदालत', एक प्रायोगिक परियोजना और पहल है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर मामूली स्वरूप के प्रकरणों (उत्पीडन, विध्वंस, अधिकारों या हकदारिता में कटौती) के समाधान हेतु एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है। चरणबद्ध तरीके से 'नारी अदालत' के घटक को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 7-9 के समूह में महिलायें, जो पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि होती है और वे सुप्रतिष्ठित, सुशिक्षित और ख्याति प्राप्त हैं। अदालतों के लिए यह अनिवार्य है कि संकट में फंसी महिलाओं की सहायता करें और घरेलू हिंसा तथा अन्य लिंग आधारित हिंसा से संबंधित छोटे मुद्दों को पारस्परिक सहमति के साथ बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से हल करें। वे महिलाओं को उनके संवैधानिक और विधिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करते हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली विधिक सहायता सहित अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। असम राज्य और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर, प्रत्येक के पचास ग्राम पंचायतों में 'नारी अदालत' चलाईं जा रही है।

**(ख) और (ग) :** केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकार ने 790 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के स्थापना को अनुमोदित किया। तथापि, कुछ राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में योजना के तहत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की संख्या उद्दिष्ट से कम है। शेष न्यायालयों के संक्रियात्मीकरण हेतु केंद्रीय सरकार ऐसे राज्य / संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ समन्वयन करती रही है। इसके आगे, "नारी अदालत परियोजना" का 16 राज्यों अर्थात् गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में प्रत्येक के 10 ग्राम पंचायतों; 2 संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 5 ग्राम पंचायतों में मार्गदर्शन किया जा रहा है।

*************

**उपाबंध - 1**

**प्रकार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालयों का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा**
**(30.06.2025 को यथाविद्यमान)**

| क्र. सं. | राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के नाम | कार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या | लंबित मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 21 | 6915 |
| 2 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 0 | 0 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 0 | 0 |
| 4 | असम | 16 | 13713 |
| 5 | बिहार | 0 | 0 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 27 | 5816 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव | 0 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 26 | 6625 |
| 10 | गोवा | 4 | 1349 |
| 11 | गुजरात | 54 | 5316 |
| 12 | हरियाणा | 6 | 774 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 332 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 8 | 1423 |
| 15 | झारखंड | 41 | 9110 |
| 16 | कर्नाटक | 0 | 0 |
| 17 | केरल | 0 | 0 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 0 | 0 |
| 21 | महाराष्ट्र | 102 | 153896 |
| 22 | मणिपुर | 6 | 199 |
| 23 | मेघालय | 0 | 0 |
| 24 | मिजोरम | 2 | 259 |
| 25 | नागालैंड | 0 | 0 |
| 26 | ओडिशा | 0 | 0 |
| 27 | पुदुचेरी | 1 | 4458 |
| 28 | पंजाब | 7 | 152 |
| 29 | राजस्थान | 0 | 0 |
| 30 | सिक्किम | 2 | 17 |
| 31 | तमिलनाडु | 72 | 80244 |
| 32 | तेलंगाना | 0 | 0 |
| 33 | त्रिपुरा | 2 | 1049 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 373 | 1057849 |
| 35 | उत्तराखंड | 4 | 1103 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 88 | 87599 |
| | **योग** | 865 | 1438198 |

**प्रकार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों अनन्य पोस्को न्यायालयों सहित का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा (30.06.2025 को यथाविद्यमान)**

| क्र. सं. | राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों के नाम | प्रकार्यात्मक न्यायालय | | लंबित प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों अनन्य पोस्को न्यायालयों सहित | अनन्य पोस्को | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 16 | 16 | 6303 |
| 2 | असम | 17 | 17 | 6435 |
| 3 | बिहार | 46 | 46 | 18459 |
| 4 | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 214 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 15 | 11 | 1739 |
| 6 | दिल्ली | 16 | 11 | 3560 |
| 7 | गोवा | 1 | 0 | 155 |
| 8 | गुजरात | 35 | 24 | 5315 |
| 9 | हरियाणा | 18 | 14 | 4420 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 6 | 3 | 643 |
| 11 | जम्मू-कश्मीर | 4 | 2 | 497 |
| 12 | कर्नाटक | 30 | 17 | 5220 |
| 13 | केरल | 55 | 14 | 6292 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 67 | 56 | 10713 |
| 15 | महाराष्ट्र | 2 | 1 | 290 |
| 16 | मणिपुर | 2 | 0 | 49 |
| 17 | मेघालय | 5 | 5 | 1097 |
| 18 | मिजोरम | 3 | 1 | 75 |
| 19 | नागालैंड | 1 | 0 | 59 |
| 20 | ओडिशा | 44 | 23 | 9065 |
| 21 | पुदुचेरी | 1 | 1 | 218 |
| 22 | पंजाब | 12 | 3 | 1451 |
| 23 | राजस्थान | 45 | 30 | 4892 |
| 24 | तमिलनाडु | 14 | 14 | 5234 |
| 25 | तेलंगाना | 36 | 0 | 8782 |
| 26 | त्रिपुरा | 3 | 1 | 224 |
| 27 | उत्तराखंड | 4 | 0 | 1094 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 218 | 74 | 92700 |
| 29 | पश्चिमी बंगाल | 8 | 8 | 5154 |
| 30 | झारखंड** | 0 | 0 | 0 |
| 31 | अंदमान और निकोबार द्वीप*** | 0 | 0 | 0 |
| 32 | अरूणाचल प्रदेश**** | 0 | 0 | 0 |
| | **योग** | **725** | **392** | **200349** |

**टिप्पण** : योजना की शुरूआत में, प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित प्रकरणों के मानक के आधार पर देशभर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के आबंटन किया गया था, इसका अभिप्राय यह है कि एक त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्थापना प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित प्रकरणों के लिए की जाएगी। इस आधार पर इस योजना में शामिल होने के लिए सिर्फ इकतीस राज्य / संघ राज्यक्षेत्र पात्र थे।

* तारीख 07/07/2025 के पत्र के तहत झारखंड सरकार ने त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना से बाहर होने का निर्णय लिया है।

**अंदमान और निकोबार द्वीप ने योजना में शामिल होने की सहमति प्रदान की है, परंतु किसी न्यायालय का संक्रियात्मीकरण होना शेष है।

***बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के लंबित प्रकरणों की संख्या काफी न्यून को उद्धृत करते हुए अरूणाचल प्रदेश ने योजना से अलग हो गई है।

**************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1028
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता**

**1028. डॉ. अमर सिंह :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए कोई पहल की है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ग) :** सरकार ने देश की न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए अनेक पहल की हैं जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना, प्रणाली में विलंब को कम करके न्याय तक पहुंच में वृद्धि करने और संरचना परिवर्तन के माध्यम से तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करके जवाबदेही को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय तथा मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों,

वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे मुवक्किलों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन सुगम हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिल सके। वर्ष 1993-94 में इस स्कीम की शुरुआत से तारीख 30.06.2025 तक 12101.89 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 15,818 (तारीख 30.06.2014 को) से बढ़कर 22,372 (तारीख 30.06.2025 तक) हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 (तारीख 30.06.2014 को) से बढ़कर 19,851 (तारीख 30.06.2025 तक) हो गई है।

iii. ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है और वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 2977 साइटों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई । वकीलों और मुवक्किलों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल खाई को पाटने के लिए 778 ई-सेवा केंद्र (प्रसुविधा केंद्र) स्थापित किए गए थे । 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए, जिन्होंने मार्च 2023 तक 2.78 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला और 384.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है।

ई-न्यायालय परियोजना (2023-2027) के चरण-III को 7210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ तारीख 13.09.2023 को अनुमोदित किया गया, जिसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता के संवर्धन की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, सुगम और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है। आज की तारीख तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय अभिलेखों के 506.05 करोड़ पृष्टों को डिजिटाइज्ड किया जा चुका है । 3.65 करोड़ से अधिक सुनवाईयां विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई हैं और 11 उच्च न्यायालयों में सीधा प्रसारण कार्यशील है । सभी उच्च न्यायलयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों (प्रसुविधा केंद्रों) की संख्या 1814 तक बढ़ गई है । भारत के उच्चतम न्यायालय में कृत्रिम आसूचना और मशीन लर्निंग टूल मामला सुनवाई प्रबंधन और मौखिक निर्णयों के प्रतिलेखन के लिए उपयोग किए जा रहे हैं ।

iv. सरकार, समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से तारीख 21.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 794 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर आज की तारीख तक 1122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ

न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

| तारीख तक | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत पद संख्या |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 21.07.2025 | 25,843 | 21,122 |

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों की स्थापना की गई है । जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी अब बकाया समितियां गठित की गई हैं।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े जघन्य अपराधों के मामलों का निपटान करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की गई है। तारीख 30.06.2025 तक, देश भर में 865 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से जुड़े आपराधिक मामलों का त्वरित निपटान करने की दृष्टि से, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को मंजूरी दी है। तारीख 30.06.2025 तक, 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कार्यरत हैं, जिन्होंने इस स्कीम की शुरुआत से 3,34,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को सुचारू रूप से किए जाने की दृष्टि से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को उत्तरोत्तर बढ़ावा दिया गया है । वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थित-पूर्व मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य करने के लिए तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था । पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने माध्यस्थम् अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन

किया है। विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में संशोधन किए गए हैं ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला सुनवाई प्रबंधन का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे किसी विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्यों और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवनकाल के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और किसी विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों की अवस्था के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व की अवस्था में विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, किसी लोक लोक अदालत द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में माना जाता है और यह अंतिम तथा सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में पूर्व नियत तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं ।

विगत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं: -

| **वर्ष** | **मुकदमे-पूर्व मामले** | **लंबित मामले** | **कुल योग** |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,06,294 | 55,81,743 | 1,27,88,037 |
| 2022 | 3,10,15,215 | 1,09,10,795 | 4,19,26,010 |
| 2023 | 7,10,32,980 | 1,43,09,237 | 8,53,42,217 |
| 2024 | 8,70,19,059 | 1,75,07,060 | 10,45,26,119 |
| 2025 (मार्च तक) | 2,58,28,368 | 50,82,181 | 3,09,10,549 |
| **कुल** | **22,21,01,916** | **5,33,91,016** | **27,54,92,932** |

**x.** सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-विधि कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित साधारण सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं तथा टेली-विधि मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और

परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-विधि का प्रतिशतवार आंकड़ें

| 30 जून, 2025 तक | रजिस्ट्रीकृत मामले | % वार आंकड़ें | सलाह प्रदान की गई | % वार आंकड़ें |
|---|---|---|---|---|
| **लिंग-वार** | | | | |
| महिला | 44,81,170 | 39.58% | 44,21,450 | 39.55% |
| पुरुष | 68,39,728 | 60.42% | 67,58,085 | 60.45% |
| **जाति श्रेणी-वार** | | | | |
| सामान्य | 26,89,371 | 23.76% | 26,48,100 | 23.69% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 35,64,430 | 31.49% | 35,16,236 | 31.45% |
| अनुसूचित जाति | 35,27,303 | 31.16% | 34,90,737 | 31.22% |
| अनुसूचित जनजाति | 15,39,794 | 13.60% | 15,24,462 | 13.64% |
| **कुल** | **1,13,20,898** | | **1,11,79,535** | |

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं । एक तकनीकी ढाँचा तैयार किया गया है जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड, आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो-बोनो पैनल शुरू किया गया है । नवोदित वकीलों में प्रो-बोनो संस्कृति का संचार करने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं ।

********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1031
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

## एनआईए, 1881 के तहत दर्ज मामले

**1031. श्री दामोदर अग्रवाल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआईए), 1881 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों के निपटान का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों में एनआईए, 1881 के अंतर्गत पंजीकृत और दो वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का राज्य-वार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की आड़ में वित्तीय संस्थाओं द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों का शोषण किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो वित्तीय संस्थाओं द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ;**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख)** : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन मामलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रजिस्ट्रीकृत और निपटान का विवरण **उपाबंध-1** पर है । 23.07.2025 तक लंबित मामलों और दो वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का विवरण **उपाबंध-2** पर है ।

**(ग) से (ङ)** : परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 चैक, वचन पत्र और विनिमय पत्र के उपयोग के लिए विधिक ढांचा प्रदान करने के लिए एक अधिनियमित विधि है । इस अधिनियम के अधीन उपबंध, जिसमें चैक के अनादर से संबंधित धारा 138 भी शामिल है, वित्तीय लेनदेन की विश्वसनीयता को बनाए रखने और समाज के सभी वर्गों पर उनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान दिए बिना समान रूप से लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अपराधों के संक्षिप्त विचारण का उपबंध है । धारा 143

में आगे उपबंध है कि इस धारा के अधीन किसी मामले का विचारण, जहां तक व्यवहार्य हो, न्याय के हितों के अनुरूप, इसके निष्कर्ष तक दिन-प्रतिदिन जारी रहेगा, जब तक कि न्यायालय को लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से अगले दिन से परे परीक्षण का स्थगन आवश्यक न लगे। इसके अतिरिक्त, यह धारा यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक सुनवाई यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी और शिकायत अभिलिखित होने की तारीख से छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रयास किया जाएगा ।

******

उपाबंध-1

**परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1031, जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

**परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत और निपटाए गए मामले**

| | | 2024 | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | रजिस्ट्रीकृत मामले | निपटाए गए मामले | रजिस्ट्रीकृत मामले | निपटाए गए मामले | रजिस्ट्रीकृत मामले | निपटाए गए मामले | रजिस्ट्रीकृत मामले | निपटाए गए मामले | रजिस्ट्रीकृत मामले | निपटाए गए मामले |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 17063 | 15755 | 21060 | 17885 | 18741 | 15551 | 17077 | 6158 | 14038 | 9340 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 77 | 72 | 35 | 22 | 7 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | असम | 5044 | 4078 | 4687 | 3823 | 6028 | 3474 | 4483 | 1986 | 3026 | 1586 |
| 4 | बिहार | 13138 | 6822 | 12441 | 6314 | 13560 | 4976 | 10576 | 2258 | 6421 | 1505 |
| 5 | चंडीगढ़ | 12662 | 11622 | 10846 | 10381 | 8329 | 8721 | 8125 | 4514 | 7315 | 2406 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 17114 | 21402 | 19180 | 17536 | 18873 | 12179 | 19652 | 8122 | 7764 | 4023 |
| 7 | दिल्ली | 126059 | 101882 | 118110 | 109023 | 103034 | 96648 | 81769 | 54086 | 67311 | 39856 |
| 8 | गोवा | 3539 | 3929 | 3655 | 4973 | 4195 | 4783 | 3565 | 2368 | 2848 | 820 |
| 9 | गुजरात | 176991 | 169936 | 158120 | 168387 | 159682 | 132578 | 145184 | 92092 | 87649 | 30628 |
| 10 | हरियाणा | 60397 | 56585 | 68562 | 66131 | 64089 | 51557 | 60133 | 31635 | 53303 | 13210 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 15655 | 16167 | 16207 | 14695 | 16451 | 12596 | 11333 | 7212 | 10575 | 2732 |
| 12 | झारखंड | 14277 | 11667 | 11809 | 7598 | 9572 | 5948 | 6022 | 1980 | 4992 | 1583 |
| 13 | कर्नाटक | 122870 | 97191 | 97807 | 84480 | 77395 | 61635 | 68860 | 52312 | 40872 | 27714 |
| 14 | केरल | 39141 | 26069 | 41892 | 25354 | 34699 | 16944 | 12107 | 6470 | 9518 | 4539 |
| 15 | लक्षद्वीप | | | | | | | | | | |
| 16 | मध्य प्रदेश | 41375 | 49628 | 45966 | 44210 | 47212 | 36130 | 38488 | 22543 | 23681 | 8217 |
| 17 | महाराष्ट्र | 125200 | 109141 | 119129 | 114949 | 128185 | 100712 | 110411 | 72363 | 83247 | 30158 |
| 18 | मेघालय | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | नागालैंड | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 20 | ओडिशा | 8720 | 5345 | 8405 | 5388 | 9445 | 5700 | 7353 | 3491 | 5387 | 1878 |
| 21 | पुडुचेरी | 1047 | 2104 | 1795 | 770 | 1755 | 422 | 1435 | 183 | 674 | 98 |
| 22 | पंजाब | 75746 | 78387 | 69570 | 88515 | 66466 | 74685 | 58446 | 39786 | 49972 | 20147 |
| 23 | राजस्थान | 123652 | 100321 | 140020 | 80180 | 145164 | 64851 | 106588 | 38896 | 81217 | 19038 |
| 24 | सिक्किम | 21 | 12 | 13 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 25 | तमिलनाडु | 31337 | 31364 | 33549 | 35367 | 43433 | 27414 | 30692 | 16475 | 20502 | 9533 |
| 26 | तेलंगाना | 10835 | 8723 | 13258 | 8849 | 15770 | 27844 | 21938 | 7288 | 10163 | 3730 |
| 27 | दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव | 335 | 197 | 267 | 217 | 285 | 258 | 275 | 179 | 314 | 73 |
| 28 | त्रिपुरा | 160 | 82 | 116 | 70 | 169 | 82 | 100 | 47 | 80 | 21 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 104091 | 63982 | 80600 | 46148 | 82814 | 55231 | 64216 | 27774 | 53854 | 19017 |
| 30 | उत्तराखंड | 14957 | 10670 | 12405 | 10985 | 11293 | 9569 | 9436 | 7093 | 7959 | 2993 |
| 31 | पश्चिमी बंगाल | 59025 | 38434 | 58609 | 39696 | 49333 | 52342 | 69315 | 24543 | 25944 | 16659 |
| 32 | अंडमान और निकोबार | | | | | | | | | | |
| | **कुल** | **1220548** | **1041572** | **1168123** | **1011960** | **1136005** | **882844** | **967595** | **531861** | **678640** | **271508** |

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर तारीख 21.07.2025 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट।

· जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम और मणिपुर का डाटा राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

उपाबंध-2

**परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1031 में जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

| एनआई अधिनियम के अधीन लंबित मामले | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **लंबित मामले** | **2 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 57607 | 31351 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 79 | 31 |
| 3 | असम | 21944 | 13931 |
| 4 | बिहार | 70758 | 48221 |
| 5 | चंडीगढ़ | 22377 | 5251 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 64611 | 34213 |
| 7 | दिल्ली | 466163 | 239829 |
| 8 | गोवा | 11004 | 5868 |
| 9 | गुजरात | 515805 | 241990 |
| 10 | हरियाणा | 240024 | 134655 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 57430 | 33617 |
| 12 | झारखंड | 38475 | 18971 |
| 13 | कर्नाटक | 199390 | 74076 |
| 14 | केरल | 116917 | 56168 |
| 15 | लक्षद्वीप | | |
| 16 | मध्य प्रदेश | 182321 | 115942 |
| 17 | महाराष्ट्र | 638490 | 429049 |
| 18 | मेघालय | 0 | 0 |
| 19 | नागालैंड | 49 | 18 |
| 20 | ओडिशा | 67514 | 51240 |
| 21 | पुडुचेरी | 5950 | 4139 |
| 22 | पंजाब | 154850 | 46249 |
| 23 | राजस्थान | 629210 | 436012 |
| 24 | सिक्किम | 12 | 2 |
| 25 | तमिलनाडु | 122277 | 70689 |
| 26 | तेलंगाना | 55916 | 34233 |
| 27 | दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव | 1483 | 898 |
| 28 | त्रिपुरा | 515 | 137 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 394802 | 241441 |
| 30 | उत्तराखंड | 47501 | 25995 |
| 31 | पश्चिमी बंगाल | 291102 | 200285 |
| 32 | अंदमान और निकोबार | | |
| | **कुल** | **4474576** | **2594501** |

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर तारीख 23.07.2025 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट।

· जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम और मणिपुर का डाटा राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

* * * * * * * * * * * * * *

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1044
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कार्य दिवस**

**1044. श्री राजीव राय :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के दिनों की औसत संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रतिवर्ष निर्धारित अंतराल पर अवकाश होता है और न्याय-निर्णयन के लिए बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बावजूद सरकारी विभागों की तुलना में कम कार्य होता है ;

(ग) क्या सरकार लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए न्यायालयों के लिए एक वर्ष में न्यूनतम अनिवार्य कार्य दिवसों की संख्या निर्धारित करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ख) :** उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में कार्य दिवस/घंटे और छुट्टियों की अवधि संबद्ध न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होती है । संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा अधिसूचित उच्चतम न्यायालय नियम 2013, उच्चतम न्यायालय के कार्य दिवसों को विनियमित करते हैं । इन नियमों में उपबंध है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि सात सप्ताह से अधिक नहीं होगी । इन नियमों में यह और उपबंध है कि न्यायालय और न्यायालय के कार्यालयों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि और छुट्टियों की संख्या ऐसी होगी, जो मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा निर्धारित और राजपत्र में अधिसूचित की जाए, जो एक सौ तीन दिन से अधिक न हो (छुट्टियों में और न्यायालय की छुट्टियों के दौरान न आने वाले रविवार के सिवाए) । उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का, तारीख 05 नवंबर 2024 को अधिसूचित उच्चतम न्यायालय (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 के द्वारा और संशोधन किया गया, जिसमें उपबंध है कि न्यायालय और न्यायालय के कार्यालयों के लिए आंशिक न्यायालय कार्य दिवसों की अवधि और छुट्टियों की संख्या ऐसी होगी, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा निर्धारित और राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी, जो रविवार के सिवाए, पचानवे दिनों से अधिक नहीं होगी ।

**(ग) से (घ) :** न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । यद्यपि न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, फिर भी केंद्रीय सरकार मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायिक प्रणालियों में लंबित मामलों और मुकदमों के चरणबद्ध तरीके से निपटान के लिए न्यायपालिका की सहायता के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है । इसके लिए विभिन्न रणनीतिक पहलों, जैसे कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को भरना, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करना, विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटारे की पहल और वैकल्पिक विवाद समाधान पर जोर, आदि, सम्मिलित हैं ।

********

2

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1065
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

## धुबरी में न्याय और कानूनी सहायता तक पहुंच

**1065. मोहम्मद रकीबुल हुसैन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धुबरी में अधिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) या मोबाइल विधिक सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हाशिए पर रहने वाले और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध हो सके ;

(ख) विशेषकर ग्रामीण और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रही है कि धुबरी के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) योजनाओं के तहत निःशुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाए ; और

(ग) क्या कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने और न्याय तक पहुँच में अंतर को कम करने के लिए धुबरी में अधिक कानूनी पेशेवरों की भर्ती करने और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम स्थापित करने के लिए कोई पहल की जा रही है ?

### उत्तर

### विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ;
### संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
### (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

**(क)** : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) के लिए नीतियाँ, दिशा-निर्देश निर्धारित करता है और योजनाएँ तैयार करता है ताकि इन्हें देश भर में लागू किया जा सके और समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएस), धुबरी, जो असम एसएलएसए के पर्यवेक्षण में काम कर रहा है, ने न्याय तक पहुँच को मजबूत करने के लिए कई पहलों को किया है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले, आर्थिक रूप से कमजोर, और जलवायु के प्रति संवेदनशील जनसंख्या के लिए, जैसे कि बाढ़ प्रवण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग :

(i) पहुँच की खाई को पाटने और विधिक सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए, डीएलएसए, धुबरी ने पैनल वकीलों और पराविधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) के साथ मोबाइल विधिक सहायता क्लीनिक तैनात किए हैं । ये मोबाइल इकाइयाँ

चार क्षेत्रों और अन्य दूरदराज के निवास स्थानों में मौके पर विधिक परामर्श और सेवाएँ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण वितरण वाहनों के रूप में कार्य करती हैं । पिछले वर्ष, मोबाइल विधिक सहायता वैन जिले में सात बार तैनात की गई थी ।

(ii) विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना कम सेवा वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से की गई है ताकि जमीनी स्तर पर विधिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके ।

**(ख)** : डीएलएसए, धुबरी ने विधिक साक्षरता और आउटरीच पहलों को अपनाया है । पिछले तीन वर्षों में, 69 विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन शैक्षिक संस्थानों, पंचायतों, पुलिस स्टेशनों और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से किया गया ताकि विभिन्न नालसा योजनाओं के अधीन अधिकारों और हकों की जानकारी प्रसारित की जा सके । इसी अवधि में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन लगभग 9,295 लाभार्थियों तक इन कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचा गया है ।

इसके अलावा, आपदा के मौसम में राहत केन्द्रों पर विशेष बाढ़ राहत विधिक सहायता शिविरों का आयोजन भी किया गया, जिसे आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाओं के लिए योजना के अनुसार जिला स्तर पर एक कोर ग्रुप के माध्यम से समन्वयित किया गया । इसके अलावा, पराविधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) द्वारा घर-घर जागरूकता अभियान, स्थानीय भाषाओं में आईईसी सामग्री का उपयोग, और जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय (डीआईपीआरओ) के माध्यम से घोषणाओं ने जागरूकता निर्माण के प्रयासों में और योगदान किया ।

**(ग)** : संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और विधिक अधिकारों के बारे में प्रारंभिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, डीएलएसए, धुबरी ने निम्नलिखित कार्य किए हैं:

(i) वर्तमान में, 26 पराविधिक स्वयंसेवक, 6 मध्यस्थ, और 12 पैनल वकील डीएलएसए, धुबरी के अधीन लगाए गए हैं ।

(ii) 5 शैक्षणिक संस्थानों में विधिक साक्षरता क्लब स्थापित किए गए हैं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में 16 विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए ।

(iii) पिछले तीन वर्षों में 279 पीएलवी और पैनल वकीलों को कवर करते हुए 30 प्रशिक्षण और पुनश्चर्या कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं ।

(iv) 12 स्थानों पर विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए हैं, जिसमें पुलिस स्टेशन, पंचायत, विधि महाविद्यालय, जिला कारागार, धुबरी चिकित्सा महाविद्यालय, सीडब्लूसी/जेजेबी और सखी वन स्टॉप सेंटर सम्मिलित हैं, जिन्होंने विधिक सहायता को निरंतर और सामुदायिक-संवहनित पहुंच प्रदान की है ।

*******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1072
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**अदालती मामलों के समाधान का समय**

**1072. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में देश में दीवानी मामले (जैसे संपत्ति विवाद और अनुबंध प्रवर्तन), आपराधिक मामले (अपराध की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत), पारिवारिक कानून के मामले (तलाक, बाल सुपुर्दगी और भरण-पोषण सहित), वाणिज्यिक विवाद और जनहित याचिकाएँ (पीआएल) सहित विभिन्न प्रकार के अदालती मामलों के निपटारे में लगने वाले औसत समय के आँकड़े क्या हैं ;

(ख) न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों (जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय) में तुलनात्मक औसत समाधान समय क्या है ;

(ग) मामलों के निपटारे में देरी के प्रमुख कारण और लंबित मामलों को कम करने के लिए किए गए सुधार क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी में वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या कितनी है और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए लागू किए जा रहे उपाय क्या हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख) :** सरकार न्यायालय के मामलों के निपटारे में लगने वाले औसत समय का डेटा नहीं रखती है। तथापि, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, न्यायालयों द्वारा सिविल और दांडिक मामलों के निपटारे में लगने वाला समय **उपाबंध-I** पर दिया गया है।

**(ग) और (घ) :** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 22.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है:

| क्र.सं. | न्यायालय का नाम | सिविल मामले | दांडिक मामले |
|---|---|---|---|
| 1. | उच्चतम न्यायालय | 67,964 | 18,663 |
| 2. | उच्च न्यायालय | 44,35,763 | 18,92,051 |
| 3. | जिला और अधीनस्थ न्यायालय | 1,10,51,761 | 3,54,96,782 |

मामलों के निपटारे में देरी के कारणों के संदर्भ में, कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की उपलब्धता, मामले से जुड़े तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाहों और वादियों का सहयोग शामिल है। मामलों के निपटारे में देरी के अन्य कारणों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए समूहों में मामलों को एकत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

**i.** राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

**ii.** न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों,

वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में इस स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक 30.06.2025 तक 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अंतर्गत न्यायालय भवनों की संख्या 15,818 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 22,372 (30.06.2025 तक) हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 19,851 (30.06.2025 तक) हो गई है।

**iii.** ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है और 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 2977 साइटों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए 778 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए। 17 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 21 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए, जिन्होंने 2.78 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया और मार्च 2023 तक 384.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया।

ई-न्यायालय परिस्कीम के तीसरे चरण (2023-2027) को 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय में आसानी की व्यवस्था लाना है। इसका उद्देश्य न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृतिम आसूचना (एआई) जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करना है। अब तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय अभिलेख के 506.05 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.65 करोड़ से अधिक सुनवाई हुई है और 11 उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यात्मक है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 1814 हो गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला प्रबंधन सुनवाई और मौखिक निर्णयों के प्रतिलेखन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

**iv.** सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 21.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 794 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक

1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

| निम्न तारीख के अनुसार | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत पद संख्या |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 21.07.2025 | 25,843 | 21,122 |

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

**v.** अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

**vi.** चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 30.06.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 865 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों विधानसभा सदस्यों/से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 30.06.2025 तक, देश भर के 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 725 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,34,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

**vii.** न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

**viii.** वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन

किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

**ix.** लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

| वर्ष | मुकदमे-पूर्व मामले | लंबित मामले | कुल योग |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,06,294 | 55,81,743 | 1,27,88,037 |
| 2022 | 3,10,15,215 | 1,09,10,795 | 4,19,26,010 |
| 2023 | 7,10,32,980 | 1,43,09,237 | 8,53,42,217 |
| 2024 | 8,70,19,059 | 1,75,07,060 | 10,45,26,119 |
| 2025(मार्च तक) | 2,58,28,368 | 50,82,181 | 3,09,10,549 |
| कुल | **22,21,01,916** | **5,33,91,016** | **27,54,92,932** |

**x.** सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने

वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

| **30 जून 2025 तक** | **रजिस्ट्रीकृत मामले** | **% वार ब्रेक अप** | **सलाह सक्षम** | **% वार ब्रेक अप** |
|---|---|---|---|---|
| **लिंग वार** | | | | |
| महिला | 44,81,170 | 39.58% | 44,21,450 | 39.55% |
| पुरुष | 68,39,728 | 60.42% | 67,58,085 | 60.45% |
| **जाति श्रेणी वार** | | | | |
| सामान्य | 26,89,371 | 23.76% | 26,48,100 | 23.69% |
| ओबीसी | 35,64,430 | 31.49% | 35,16,236 | 31.45% |
| अनुसूचित जाति | 35,27,303 | 31.16% | 34,90,737 | 31.22% |
| अनुसूचित जनजाति | 15,39,794 | 13.60% | 15,24,462 | 13.64% |
| **कुल** | **1,13,20,898** | | **1,11,79,535** | |

**xi.** देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

*********

**उपाबंध-** 1

**'अदालती मामलों के समाधान समय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 जिसका उत्तर 25.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

मामलों को सुलझाने/निपटाने में न्यायालयों द्वारा लिया गया समय (22.07.2025 तक)

| लिया गया समय | उच्चतम न्यायालय | | उच्च न्यायालय | | जिला और अधीनस्थ न्यायालय | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सिविल | दांडिक | सिविल | दांडिक | सिविल | दांडिक |
| 1 वर्ष के भीतर | 13,675 (67.68%) | 8,545 (79.50%) | 4,55,893 (64.42%) | 4,23,543 (85.26%) | 8,21,981 (38.75%) | 73,90,610 (70.57%) |
| 1-2 वर्ष | 2,135 (10.57%) | 872 (8.11%) | 56,837 (8.03%) | 22,699 (4.57%) | 351978 (16.59%) | 8,01,406 (7.65%) |
| 2-3 वर्ष | 1,004 (4.97%) | 305 (2.84%) | 33,735 (4.77%) | 10,553 (2.12%) | 249335 (11.76%) | 7,31,028 (6.98%) |
| 3-4 वर्ष | 460 (2.28%) | 152 (1.41%) | 21,993 (3.11%) | 6,884 (1.39%) | 155430 (7.33%) | 3,35,736 (3.21%) |
| 4-5 वर्ष | 367 (1.82%) | 94 (0.87%) | 14,461 (2.04%) | 3,831 (0.77%) | 110619 (5.22%) | 2,16,011 (2.06%) |
| 5-6 वर्ष | 690 (3.42%) | 187 (1.74%) | 22,987 (3.25%) | 5,397 (1.09%) | 98274 (4.63%) | 2,37,649 (2.27%) |
| 6-7 वर्ष | 421 (2.08%) | 99 (0.92%) | 19,989 (2.82%) | 4,223 (0.85%) | 84635 (3.99%) | 1,87,756 (1.79%) |
| 7-8 वर्ष | 331 (1.64%) | 70 (0.65%) | 15,599 (2.20%) | 3,822 (0.77%) | 58392 (2.75%) | 1,37,057 (1.31%) |
| 8-9 वर्ष | 413 (2.04%) | 69 (0.64%) | 11,616 (1.64%) | 2,604 (0.52%) | 40526 (1.91%) | 89,400 (0.85%) |
| 9-10 वर्ष | 187 (0.93%) | 75 (0.70%) | 9,242 (1.31%) | 1,886 (0.32%) | 33172 (1.56%) | 65,616 (0.63%) |
| 10-11 वर्ष | 138 (0.68%) | 69 (0.64%) | 7,444 (1.05%) | 1,166 (0.23%) | 25545 (1.20%) | 50,007 (0.48%) |
| 11-12 वर्ष | 82 (0.41%) | 120 (1.12%) | 5,964 (0.84%) | 1,279 (0.26%) | 19295 (0.91%) | 38,754 (0.37%) |
| 12-13 वर्ष | 110 (0.54%) | 61 (0.57%) | 5,044 (0.71%) | 989 (0.20%) | 14852 (0.70%) | 29,023 (0.28%) |
| 13-14 वर्ष | 76 (0.38%) | 9 (0.08%) | 3,710 (0.52%) | 682 (0.14%) | 10374 (0.49%) | 20,932 (0.20%) |
| 14-15 वर्ष | 55 (0.27%) | 9 (0.08%) | 3,250 (0.46%) | 734 (0.15%) | 7696 (0.36%) | 16,789 (0.16%) |
| 15-16 वर्ष | 25 (0.12%) | 7 (0.07%) | 2,569 (0.36%) | 890 (0.18%) | 6106 (0.29%) | 14,711 (0.14%) |
| 16-17 वर्ष | 14 (0.07%) | 2 (0.02%) | 2,498 (0.35%) | 932 (0.19%) | 5017 (0.24%) | 12,402 (0.12%) |
| 17-18 वर्ष | 11 (0.05%) | 2 (0.02%) | 1,884 (0.27%) | 1,097 (0.22%) | 3900 (0.18%) | 9,379 (0.09%) |
| 18-19 वर्ष | 2 (0.01%) | - | 1,956 (0.28%) | 829 (0.17%) | 2971 (0.14%) | 8,594 (0.08%) |
| 19-20 वर्ष | 1 (0.00%) | 1 (0.01%) | 1,820 (0.26%) | 602 (0.12%) | 2728 (0.13%) | 8,112 (0.08%) |
| 20-21 वर्ष | - | - | 1,443 (0.20%) | 518 (0.10%) | 2467 (0.12%) | 8,429 (0.08%) |
| 21 वर्ष से अधिक | 7 (0.03%) | - | 7,798 (1.10%) | 1,586 (0.32%) | 15713 (0.74%) | 63,367 (0.61%) |

********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1075
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

## उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया में सुधार

**1075. श्रीमती डी. के. अरुणा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक कदाचार से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया में विधायी सुधारों की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषज्ञों के परामर्श से इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ;**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ख) :** अनुच्छेद 124(4) उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, अनुच्छेद 217(1)(ख) मांग करता है कि "किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा।"

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और सबूत तथा संसद द्वारा राष्ट्रपति को अभिभाषण प्रस्तुत करने और उससे संबंधित मामलों के लिए प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 अधिकथित की गई है। अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट है :

"**3. न्यायाधीश के सदाचार या असमर्थता का समिति द्वारा अन्वेषण**–(1) यदि राष्ट्रपति को ऐसा समावेदन, जिसमें किसी न्यायाधीश के हटाए जाने की प्रार्थना हो, उपस्थापित करने के प्रस्ताव की ऐसी सूचना दी जाए जो,–

(क) लोक सभा में दी गई सूचना की दशा में, उस सदन के सौ से अन्यून सदस्यों द्वारा,

(ख) राज्य सभा में दी गई सूचना की दशा में, उस सभा के पचास से अन्यून सदस्यों द्वारा,

हस्ताक्षरित हो तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति ऐसे व्यक्तियों से, यदि कोई हों, परामर्श करने के पश्चात् जिन्हें वह ठीक समझे और ऐसी सामग्री पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् जो उसे उपलभ्य हो या तो प्रस्ताव को ग्रहण कर लेगा या उसे ग्रहण करने से इंकार कर देगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव ग्रहण कर लिया जाता है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को लमबित रखेगा और उन आधारों का अन्वेषण करने के लिए जिन पर न्यायाधीश के हटाए जाने की प्रार्थना की गई है, यथाशाक्य शीघ्र, एक समिति गठित करेगा जो तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से–

(क) एक सदस्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, और अन्य न्यायाधीशों में से चुना जाएगा :

(ख) एक सदस्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों में से चुना जाएगा ; और

(ग) एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति की राय में, विशिष्ट विधिवेत्ता है :"

***********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1128
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

## उच्च न्यायालयों की पृथक पीठों की स्थापना

**1128. श्रीमती लवली आनंद :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ राज्यों में उच्च न्यायालयों की पृथक पीठों की स्थापना का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वकील इस मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, उच्च न्यायालयों की पृथक पीठों की स्थापना की दिशा में कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ;**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** उच्च न्यायालय के न्यायपीठों की स्थापना, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों तथा शीर्ष न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि) संख्या 379 वर्ष 2000 में सुनाए गए निर्णय के अनुरूप की जाती है, और इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार किया जाता है जिसमें आवश्यक व्यय एवं आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की सहमति शामिल होती है, साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति भी आवश्यक होती है जो उस उच्च न्यायालय के दैनिक प्रशासन के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रस्ताव में संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी सम्मिलित होनी चाहिए।

वर्तमान में किसी भी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

**********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1072
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**अदालती मामलों के समाधान का समय**

**1072. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में देश में दीवानी मामले (जैसे संपत्ति विवाद और अनुबंध प्रवर्तन), आपराधिक मामले (अपराध की गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत), पारिवारिक कानून के मामले (तलाक, बाल सुपुर्दगी और भरण-पोषण सहित), वाणिज्यिक विवाद और जनहित याचिकाएँ (पीआएल) सहित विभिन्न प्रकार के अदालती मामलों के निपटारे में लगने वाले औसत समय के आँकड़े क्या हैं ;

(ख) न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों (जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय) में तुलनात्मक औसत समाधान समय क्या है ;

(ग) मामलों के निपटारे में देरी के प्रमुख कारण और लंबित मामलों को कम करने के लिए किए गए सुधार क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक श्रेणी में वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या कितनी है और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए लागू किए जा रहे उपाय क्या हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख) :** सरकार न्यायालय के मामलों के निपटारे में लगने वाले औसत समय का डेटा नहीं रखती है। तथापि, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, न्यायालयों द्वारा सिविल और दांडिक मामलों के निपटारे में लगने वाला समय **उपाबंध-I** पर दिया गया है।

**(ग) और (घ) :** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 22.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है:

| क्र.सं. | न्यायालय का नाम | सिविल मामले | दांडिक मामले |
|---|---|---|---|
| 1. | उच्चतम न्यायालय | 67,964 | 18,663 |
| 2. | उच्च न्यायालय | 44,35,763 | 18,92,051 |
| 3. | जिला और अधीनस्थ न्यायालय | 1,10,51,761 | 3,54,96,782 |

मामलों के निपटारे में देरी के कारणों के संदर्भ में, कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की उपलब्धता, मामले से जुड़े तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाहों और वादियों का सहयोग शामिल है। मामलों के निपटारे में देरी के अन्य कारणों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए समूहों में मामलों को एकत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

**i.** राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

**ii.** न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों,

वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में इस स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक 30.06.2025 तक 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अंतर्गत न्यायालय भवनों की संख्या 15,818 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 22,372 (30.06.2025 तक) हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 19,851 (30.06.2025 तक) हो गई है।

**iii.** ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है और 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 2977 साइटों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए 778 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए। 17 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 21 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए, जिन्होंने 2.78 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया और मार्च 2023 तक 384.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया।

ई-न्यायालय परिस्कीम के तीसरे चरण (2023-2027) को 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय में आसानी की व्यवस्था लाना है। इसका उद्देश्य न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृतिम आसूचना (एआई) जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करना है। अब तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय अभिलेख के 506.05 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.65 करोड़ से अधिक सुनवाई हुई है और 11 उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यात्मक है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 1814 हो गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला प्रबंधन सुनवाई और मौखिक निर्णयों के प्रतिलेखन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

**iv.** सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 21.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 794 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक

1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

| निम्न तारीख के अनुसार | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत पद संख्या |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 21.07.2025 | 25,843 | 21,122 |

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

**v.** अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

**vi.** चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 30.06.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 865 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों विधानसभा सदस्यों/से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 30.06.2025 तक, देश भर के 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 725 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,34,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

**vii.** न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

**viii.** वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन

किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

**ix.** लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

| वर्ष | मुकदमे-पूर्व मामले | लंबित मामले | कुल योग |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,06,294 | 55,81,743 | 1,27,88,037 |
| 2022 | 3,10,15,215 | 1,09,10,795 | 4,19,26,010 |
| 2023 | 7,10,32,980 | 1,43,09,237 | 8,53,42,217 |
| 2024 | 8,70,19,059 | 1,75,07,060 | 10,45,26,119 |
| 2025(मार्च तक) | 2,58,28,368 | 50,82,181 | 3,09,10,549 |
| कुल | **22,21,01,916** | **5,33,91,016** | **27,54,92,932** |

**x.** सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने

वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

| **30 जून 2025 तक** | **रजिस्ट्रीकृत मामले** | **% वार ब्रेक अप** | **सलाह सक्षम** | **% वार ब्रेक अप** |
|---|---|---|---|---|
| **लिंग वार** | | | | |
| महिला | 44,81,170 | 39.58% | 44,21,450 | 39.55% |
| पुरुष | 68,39,728 | 60.42% | 67,58,085 | 60.45% |
| **जाति श्रेणी वार** | | | | |
| सामान्य | 26,89,371 | 23.76% | 26,48,100 | 23.69% |
| ओबीसी | 35,64,430 | 31.49% | 35,16,236 | 31.45% |
| अनुसूचित जाति | 35,27,303 | 31.16% | 34,90,737 | 31.22% |
| अनुसूचित जनजाति | 15,39,794 | 13.60% | 15,24,462 | 13.64% |
| **कुल** | **1,13,20,898** | | **1,11,79,535** | |

**xi.** देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

*********

उपाबंध- 1

**'अदालती मामलों के समाधान समय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 जिसका उत्तर 25.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

मामलों को सुलझाने/निपटाने में न्यायालयों द्वारा लिया गया समय (22.07.2025 तक)

| लिया गया समय | उच्चतम न्यायालय | | उच्च न्यायालय | | जिला और अधीनस्थ न्यायालय | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सिविल | दांडिक | सिविल | दांडिक | सिविल | दांडिक |
| 1 वर्ष के भीतर | 13,675 (67.68%) | 8,545 (79.50%) | 4,55,893 (64.42%) | 4,23,543 (85.26%) | 8,21,981 (38.75%) | 73,90,610 (70.57%) |
| 1-2 वर्ष | 2,135 (10.57%) | 872 (8.11%) | 56,837 (8.03%) | 22,699 (4.57%) | 351978 (16.59%) | 8,01,406 (7.65%) |
| 2-3 वर्ष | 1,004 (4.97%) | 305 (2.84%) | 33,735 (4.77%) | 10,553 (2.12%) | 249335 (11.76%) | 7,31,028 (6.98%) |
| 3-4 वर्ष | 460 (2.28%) | 152 (1.41%) | 21,993 (3.11%) | 6,884 (1.39%) | 155430 (7.33%) | 3,35,736 (3.21%) |
| 4-5 वर्ष | 367 (1.82%) | 94 (0.87%) | 14,461 (2.04%) | 3,831 (0.77%) | 110619 (5.22%) | 2,16,011 (2.06%) |
| 5-6 वर्ष | 690 (3.42%) | 187 (1.74%) | 22,987 (3.25%) | 5,397 (1.09%) | 98274 (4.63%) | 2,37,649 (2.27%) |
| 6-7 वर्ष | 421 (2.08%) | 99 (0.92%) | 19,989 (2.82%) | 4,223 (0.85%) | 84635 (3.99%) | 1,87,756 (1.79%) |
| 7-8 वर्ष | 331 (1.64%) | 70 (0.65%) | 15,599 (2.20%) | 3,822 (0.77%) | 58392 (2.75%) | 1,37,057 (1.31%) |
| 8-9 वर्ष | 413 (2.04%) | 69 (0.64%) | 11,616 (1.64%) | 2,604 (0.52%) | 40526 (1.91%) | 89,400 (0.85%) |
| 9-10 वर्ष | 187 (0.93%) | 75 (0.70%) | 9,242 (1.31%) | 1,886 (0.32%) | 33172 (1.56%) | 65,616 (0.63%) |
| 10-11 वर्ष | 138 (0.68%) | 69 (0.64%) | 7,444 (1.05%) | 1,166 (0.23%) | 25545 (1.20%) | 50,007 (0.48%) |
| 11-12 वर्ष | 82 (0.41%) | 120 (1.12%) | 5,964 (0.84%) | 1,279 (0.26%) | 19295 (0.91%) | 38,754 (0.37%) |
| 12-13 वर्ष | 110 (0.54%) | 61 (0.57%) | 5,044 (0.71%) | 989 (0.20%) | 14852 (0.70%) | 29,023 (0.28%) |
| 13-14 वर्ष | 76 (0.38%) | 9 (0.08%) | 3,710 (0.52%) | 682 (0.14%) | 10374 (0.49%) | 20,932 (0.20%) |
| 14-15 वर्ष | 55 (0.27%) | 9 (0.08%) | 3,250 (0.46%) | 734 (0.15%) | 7696 (0.36%) | 16,789 (0.16%) |
| 15-16 वर्ष | 25 (0.12%) | 7 (0.07%) | 2,569 (0.36%) | 890 (0.18%) | 6106 (0.29%) | 14,711 (0.14%) |
| 16-17 वर्ष | 14 (0.07%) | 2 (0.02%) | 2,498 (0.35%) | 932 (0.19%) | 5017 (0.24%) | 12,402 (0.12%) |
| 17-18 वर्ष | 11 (0.05%) | 2 (0.02%) | 1,884 (0.27%) | 1,097 (0.22%) | 3900 (0.18%) | 9,379 (0.09%) |
| 18-19 वर्ष | 2 (0.01%) | - | 1,956 (0.28%) | 829 (0.17%) | 2971 (0.14%) | 8,594 (0.08%) |
| 19-20 वर्ष | 1 (0.00%) | 1 (0.01%) | 1,820 (0.26%) | 602 (0.12%) | 2728 (0.13%) | 8,112 (0.08%) |
| 20-21 वर्ष | - | - | 1,443 (0.20%) | 518 (0.10%) | 2467 (0.12%) | 8,429 (0.08%) |
| 21 वर्ष से अधिक | 7 (0.03%) | - | 7,798 (1.10%) | 1,586 (0.32%) | 15713 (0.74%) | 63,367 (0.61%) |

********

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *188

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**मद्रास उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन**

*188. **डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार का मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर चेन्नई उच्च न्यायालय करने का विचार/प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से** (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"मद्रास उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *188 **जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है** के भाग (क) से (ग) के उत्तर मे **निर्दिष्ट** विवरण **।**

(क) से (ग) : मद्रास **नगर** (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1996 के अधिनियमन के **अनुसरण में** मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था। तत्पश्चात्, वर्ष 1997 में, मद्रास उच्च न्यायालय का नाम चेन्नई उच्च न्यायालय करने के लिए तमिलनाडु सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने यह भी सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016 को 19.07.2016 को लोक सभा में **प्रस्तुत** किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर चेन्नई उच्च न्यायालय किया गया था।

लोक सभा में विधेयक के पुरस्थापन के तत्काल बाद, तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि तमिलनाडु विधान सभा ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु उच्च न्यायालय करने के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है। **तथापि**, जब इसे 07.12.2019 को मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायालय की बैठक के समक्ष रखा गया, तो न्यायालय ने संकल्प किया कि उच्च न्यायालय का नाम बदलना उचित नहीं होगा।

**इसी** बीच, सोलहवीं लोकसभा **का विघटन** होने के कारण उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016 **व्यपगत** हो गया।

इस विषय पर तमिलनाडु राज्य सरकार और मद्रास उच्च न्यायालय के बीच मतभेद को ध्यान में रखते हुए, आज की तारीख में मद्रास उच्च न्यायालय के नाम को परिवर्तन करने का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *197

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**न्यायपालिका में सामाजिक विविधता**

*197. **श्री सचिदानन्दम आर.:**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों की नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका में सामाजिक विविधता की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के आलोक में उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में आरक्षण के मुद्दे को उठाया है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्ष 2018 से 78 प्रतिशत न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च जातियों से होने के दृष्टिगत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक नियुक्तियों की प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की तत्काल आवश्यकता है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(**क**) **से** (**ग**) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**श्री सचिदानन्दम आर. द्वारा न्यायपालिका में सामाजिक विविधता से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *197 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) से (ग) :**उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है। अतः, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रवर्ग-वार डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। 2018 से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों के लिए विहित रुपविधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार किया गया) में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरे का उपबंध करना अपेक्षित है। सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपबंधित सूचना के अनुसार, 2018 से 28.07.2025 तक 753 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 24 अनुसूचित जाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 17 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित है और 42 अल्पसंख्यक प्रवर्ग से संबंधित हैं।इसी अवधि के दौरान 117 महिलाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

प्रक्रिया के ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है। तथापि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को भेजने के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रुप से ध्यान दिया जाए। केवल वे व्यक्ति जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

उच्च न्यायालयों के कर्मचारिवृंद की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 229(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी है। जो उपबंध करता है कि "उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं"।

***********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2079
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**सुरक्षा संबंधी कानूनों का दुरुपयोग**

**2079. श्री कुलदीप इंदौरा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), विधिविरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) और नागरिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल आजकल छात्रों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है ;

(ख) क्या इन कानूनों के तहत कई लोगों को बिना सुनबाई के वर्षों तक जेल में रखा जाता है, जिससे संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रभावित होता है ;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कानूनों के तहत बिना दोषसिद्धि के विभिन्न जेलों में बंद लोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का इन कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करने और केवल अत्यंत गंभीर मामलों में ही इनका उपयोग करने के लिए कोई ठोस नीति या दिशानिर्देश बनाने का विचार है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 कतिपय मामलों में निवारक निरोध का उपबंध करता है और केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने के आदेश देने का अधिकार देता है, यदि वे संतुष्ट हों कि ऐसी निरोध भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, राज्य की

सुरक्षा,  लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए हानिकारक कृत्यों को रोकने के लिए आवश्यक है।

जम्मू और कश्मीर नागरिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 कतिपय मामलों में निवारक निरोध का उपबंध करता है। प्रत्येक निरोध उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित और भौतिक आधार पर आधारित होना अपेक्षित है । पुनर्विलोकन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन समीक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 देश में आतंकवाद और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रमुख विधिक व्यवस्था है और यह मुख्य रूप से राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह विधि प्रवर्तन अभिकरणों को आतंकवाद और विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल या उनका समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। अधिनियम की धारा 45 के अधीन, यथास्थिति, कोई भी न्यायालय केंद्रीय या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन निरुद्ध  की अधिकतम अवधि निरुद्ध  किए जाने की तारीख से बारह महीने है। यूएपीए मामलों के संबंध में, दोषसिद्धि न्यायिक प्रक्रिया का एक परिणाम है जो मुकदमे की अवधि, साक्ष्य के मूल्यांकन और साक्षियों की परीक्षा जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 और नागरिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 के अधीन वर्तमान में निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराध के आंकड़ों को संकलित करता है और उसे अपने वार्षिक प्रकाशन क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित करता है।

*************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2081
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**रिक्त पदों को भरना**

**2081. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और संबद्ध कार्यालयों में बैकलॉग रिक्तियां सहित रिक्त पदों की संख्या कितनी है ;

(ख) कर्नाटक के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में बैकलॉग रिक्तियां सहित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने बैकलॉग रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ)** : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | न्यायालय का नाम | 25.07.2025 तक रिक्तियां |
|---|---|---|
| 1. | उच्चतम न्यायालय | 01 |
| 2. | उच्च न्यायालय | 362 |
| 3. | जिला और अधीनस्थ न्यायालय* | 4,721( *28.07.2025 तक* ) |

** न्याय विभाग के एमआईएस पोर्टल के अनुसार*

इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों (उच्च न्यायालय-वार) और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) में विद्यमान रिक्तियों का ब्यौरा क्रमशः ***उपाबंध-1*** और ***उपाबंध-2*** में दिया गया है।

सरकार समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरती रही है। 01.05.2014 से 21.07.2025 तक, उच्चतम

न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 794 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या मई 2014 में 906 से बढ़कर आज तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

| तारीख से | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत पद संख्या |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 28.07.2025 | 25,843 | 21,122 |

*स्रोत : न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल*

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों की ज़िम्मेदारी है। संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती से संबंधित नियम और विनियम बनाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मज़हर सुल्तान मामले में पारित आदेश के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

*****

उपाबंध-1

**'रिक्त पदों को भरने' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2081 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

**उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्ति** (25.07.2025 तक)

| क्रम सं. | उच्च न्यायालय | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत पद संख्या | रिक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इलाहाबाद | 160 | 80 | 80 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 37 | 28 | 9 |
| 3 | बंबई | 94 | 67 | 27 |
| 4 | कलकत्ता | 72 | 48 | 24 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 22 | 16 | 6 |
| 6 | दिल्ली | 60 | 43 | 17 |
| 7 | गुवाहाटी | 30 | 21 | 9 |
| 8 | गुजरात | 52 | 39 | 13 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 17 | 11 | 6 |
| 10 | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | 25 | 15 | 10 |
| 11 | झारखंड | 25 | 15 | 10 |
| 12 | कर्नाटक | 62 | 47 | 15 |
| 13 | केरल | 47 | 43 | 4 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 53 | 33 | 20 |
| 15 | मद्रास | 75 | 57 | 18 |
| 16 | मणिपुर | 5 | 3 | 2 |
| 17 | मेघालय | 4 | 4 | 0 |
| 18 | उड़ीसा | 33 | 20 | 13 |
| 19 | पटना | 53 | 36 | 17 |
| 20 | पंजाब और हरियाणा | 85 | 49 | 36 |
| 21 | राजस्थान | 50 | 43 | 7 |
| 22 | सिक्किम | 3 | 3 | 0 |
| 23 | तेलंगाना | 42 | 26 | 16 |
| 24 | त्रिपुरा | 5 | 4 | 1 |
| 25 | उत्तराखंड | 11 | 9 | 2 |
|  | **कुल** | **1122** | **760** | **362** |

**उपाबंध-2**

**'रिक्त पदों को भरने' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2081 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

**जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी के पद (28.07.2025 तक)**

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत पद संख्या | रिक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 639 | 574 | 65 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 44 | 39 | 5 |
| 3. | असम | 485 | 461 | 24 |
| 4. | बिहार | 2022 | 1679 | 343 |
| 5. | चंडीगढ़ | 30 | 30 | 0 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 663 | 465 | 198 |
| 7. | दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव | 7 | 6 | 1 |
| 8. | दिल्ली | 897 | 788 | 109 |
| 9. | गोवा | 50 | 40 | 10 |
| 10. | गुजरात | 1720 | 1185 | 535 |
| 11. | हरियाणा | 781 | 661 | 120 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 179 | 160 | 19 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 322 | 272 | 50 |
| 14. | झारखंड | 707 | 501 | 206 |
| 15. | कर्नाटक | 1394 | 1167 | 227 |
| 16. | केरल | 614 | 579 | 35 |
| 17. | लद्दाख | 17 | 10 | 7 |
| 18. | लक्षद्वीप | 4 | 4 | 0 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 2028 | 1669 | 359 |
| 20. | महाराष्ट्र | 2190 | 1940 | 250 |
| 21. | मणिपुर | 62 | 49 | 13 |
| 22. | मेघालय | 99 | 57 | 42 |
| 23. | मिजोरम | 74 | 45 | 29 |
| 24. | नागालैंड | 34 | 24 | 10 |
| 25. | ओडिशा | 1043 | 835 | 208 |
| 26. | पुडुचेरी | 38 | 26 | 12 |
| 27. | पंजाब | 811 | 716 | 95 |
| 28. | राजस्थान | 1683 | 1506 | 177 |
| 29. | सिक्किम | 35 | 23 | 12 |
| 30. | तमिलनाडु | 1375 | 1240 | 135 |
| 31. | तेलंगाना | 560 | 445 | 115 |
| 32. | त्रिपुरा | 133 | 106 | 27 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 3700 | 2675 | 1025 |
| 34. | उत्तराखंड | 298 | 270 | 28 |
| 35. | पश्चिमी बंगाल | 1105 | 875 | 230 |
| 36. | अंदमान और निकोबार | | | |
| **कुल** | | **25,843** | **21,122** | **4,721** |

*स्रोत: न्याय विभाग (डीओजे) का एमआईएस पोर्टल*

**************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2095
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**तेलंगाना की निचली अदालतों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा**

**2095. श्री कुंदुरु रघुवीर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना की निचली अदालतों में पार्किंग, प्रतीक्षालय, शौचालय और अदालत कक्ष क्षमता जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि नलगोंडा जैसे जिलों सहित तेलंगाना के कई अधीनस्थ न्यायालयों में विनिर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र, उचित भवन स्थान और वादियों, वकीलों और कर्मचारियों के लिए जनसुविधाओं का अभाव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को तेलंगाना राज्य सरकार या उच्च न्यायालय से ऐसे न्यायालय परिसरों में अवसंरचना के उन्नयन के लिए केंद्रीय सहायता मांगने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत या लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन कमियों को दूर करने की समय-सीमा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 से ही अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से, भारत सरकार उन राज्य सरकारों के संसाधनों को पूरक सहायता प्रदान करती है, जिन पर न्यायिक अवसंरचना विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी है। योजना के अंतर्गत पाँच

घटक सम्मिलित हैं, अर्थात्: न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयाँ, अधिवक्ताओं के लिए हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष तथा शौचालय परिसर । इन अवसंरचना इकाइयों के विनिर्देशन उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस) समिति की संस्तुतियों, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसरित मौजूदा मानदंडों और व्यवहारों, तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुसरित कुछ मानदंडों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वर्ष 2018-19 (आन्ध्र प्रदेश से पृथक्करण के पश्चात्) से अब तक तेलंगाना राज्य को कुल 60.21 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य को 39.82 करोड़ रुपये की धनराशि अनंतिम रूप से उद्दिष्ट की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु तेलंगाना राज्य से आठ (08) चालू परियोजनाओं तथा एक (01) नवीन परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 26.33 करोड़ रुपये एवं 9.30 करोड़ रुपये है। तदनुसार, उद्दिष्ट धनराशि की 25% प्रथम किश्त के रूप में राज्य को जारी की गई है। आगामी किश्तें जारी करने की आकस्मिकता व्यय की गति पर आधारित होगी।

तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, नलगोंडा जिला न्यायालय परिसर के प्राङ्गण में दिनांक 27.04.2024 को पांच न्यायालय कक्षों वाला एक नया न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। यह परिसर अधिवक्ता संघ भवन, वादकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के लिये शौचालय तथा पार्किंग स्थल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। पूर्ववर्ती 10 न्यायिक जिलों के 33 जिलों में विभाजन (राजस्व जिलों के साथ सह-व्यापी) के कारण, स्थायी आवास की कमी के चलते कुछ न्यायालय परिसर किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इस कमी को दूर करने हेतु, उच्च न्यायालय ने जनगांव, जयशंकर भूपलपल्ली, जोगुलम्बा गडवाल, करीमनगर, महबूबनगर, मंचिर्याल, मुलुगु, निर्मल, पेद्दापल्ली, सिर्सिल्ला, विकाराबाद, वानपर्ति और यदाद्री भुवनगिरी के 13 न्यायिक जिलों में 12 न्यायालय परिसरों (पोस्को न्यायालय और कुटुंब न्यायालय भवन सहित) के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

*********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2097
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति और स्थानांतरण**

**2097. श्री माथेश्वरन वी. एस.:**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित और सरकार के पास एक वर्ष से अधिक समय से लंबित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति हेतु नामों की सूची क्या है ; और

(ख) उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित और सरकार के पास एक वर्ष से अधिक समय से लंवित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण हेतु नामों की सूची क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख) :** 29.07.2025 तक, 1122 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के समक्ष 779 न्यायाधीश कार्यरत हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 343 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के समक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 139 प्रस्ताव सरकार तथा उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । 204 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी भी उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त होनी हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर 1998 की सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीशों का मामला) के साथ पठित और उसके 6 अक्तूबर 1993 के निर्णय (दूसरा न्यायाधीशों का मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की

नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों से पद रिक्ति होने से कम से कम 06 मास पहले सिफारिशें करने की अपेक्षा होती है। तथापि, इस समय सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबद्ध राज्य सरकार के विचार एमओपी के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार करना होता है, जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध हो । उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें फिर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। केवल वे व्यक्ति जिनके नाम की एससीसी द्वारा सिफारिश की जाती हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से प्रस्तुत किया जाता है। एमओपी में यह भी उपबंध करता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखें जहां से न्यायाधीश स्थानांतरित किया जाना है, और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखें जहां स्थानांतरण किया जाना है, इसके अतिरिक्त, वे उच्चतम न्यायालय के एक या एक से अधिक न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखेंगे जो विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हों । मुख्य न्यायमूर्ति सहित संबद्ध न्यायाधीश से संबंधित व्यक्तिगत कारकों और प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया, जिसमें उनके स्थान की प्राथमिकता भी सम्मिलित है, को प्रस्ताव पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के प्रथम चार अवर न्यायाधीशों द्वारा अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी स्थानांतरण लोकहित में, अर्थात् पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए किए जाने हैं। एमओपी में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है ।

***********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2100
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता**

**2100. श्री सी. एन. अन्नादुरई :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों के सदस्यों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित प्राधिकरणों और संस्थानों का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में तमिलनाडु में इसकी क्या स्थिति है ;

(ख) क्या सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को निशुल्क कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता पहल आरंभ की है और यदि हां, तो तमिलनाडु में आयोजित आउटरीच कार्यकलापों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा कितने मामलों पर विचार किया और प्रदान की गई कानूनी सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने एनएएलएसए सहित विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्य निष्पादन और कार्यप्रणाली की निगरानी और मूल्यांकन के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश भर में, विशेषकर तमिलनाडु में निशुल्क कानूनी सहायता प्रदायगी को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सहित समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निः शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण/संस्थाएँ स्थापित की गई हैं :-

i. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)
ii. उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी)
iii. उच्च न्यायालय स्तर पर 38 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ (एचसीएलएससी)

iv. राज्य स्तर पर 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)

v. जिला स्तर पर 708 (तमिलनाडु में 32 सहित) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)

vi. तालुक स्तर पर 2440 (तमिलनाडु में 193 सहित) तालुक विधिक सेवा समितियाँ (टीएसएससी)

**(ख)** : विधिक सेवा प्राधिकरण देश भर में बच्चों, मज़दूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और योजनाओं तथा मुफ़्त विधिक सहायता के अधिकार के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों के बीच वितरण के लिए विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पर्चे भी तैयार करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में (तमिलनाडु सहित) विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

| वर्ष | तमिलनाडु | | (तमिलनाडु सहित) संपूर्ण देश में | |
|---|---|---|---|---|
| | विधिक जागरूकता कार्यक्रम | भाग लेने वाले व्यक्ति | विधिक जागरूकता कार्यक्रम | भाग लेने वाले व्यक्ति |
| 2022-23 | 10,814 | 13,27,379 | 4,90,055 | 6,75,17,665 |
| 2023-24 | 4,408 | 7,12,534 | 4,30,306 | 4,49,22,092 |
| 2024-25 | 6,284 | 10,10,195 | 4,62,988 | 3,72,32,850 |
| कुल | 21,506 | 30,50,108 | 13,83,349 | 14,96,72,607 |

**(ग)** : पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अंतर्गत विधिक सहायता एवं सलाह से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :

| वर्ष | विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्ति |
|---|---|
| 2022-23 | 12,14,769 |
| 2023-24 | 15,50,164 |
| 2024-25 | 16,57,527 |
| कुल | 44,22,460 |

**(घ)** : विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए, नालसा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है, जिसमें किसी विशेष मास में की गई सभी गतिविधियों का विवरण होता है। इसके बाद, नालसा द्वारा मासिक आधार पर एक अंतिम गतिविधि रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है, जिसकी समीक्षा और संकलन किया जाता है। मासिक गतिविधि रिपोर्टों के अतिरिक्त, नालसा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे सरकार द्वारा संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत विधिक सहायता के कामकाज की समीक्षा करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है। इसके अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए नालसा द्वारा अक्सर अखिल भारतीय

बैठकें और क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाती हैं।इसके अतिरिक्त, विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर नालसा और न्याय विभाग के प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

*****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2119
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

## अदालती कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाएँ

**2119. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन उच्च न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जो अपनी कार्यवाहियों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न उच्च न्यायालयों से अपने-अपने उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के लिए कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने अदालती कार्यवाहियों/मामलों में लोगों की सुविधा के लिए कोई तंत्र विकसित करने हेतु विभिन्न राज्यों में बार काउंसिलों के साथ कोई बैठक की है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ङ) क्या सरकार ने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग हेतु एक सामान्य कानूनी शब्दकोश तैयार किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ग) :** भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1)(क) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) में कहा गया है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य में मुख्य पीठ वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा या राज्य के किसी भी राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।

कैबिनेट समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय में यह अनुबद्ध किया गया था कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त की जाएगी।

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अंतर्गत 1950 में प्राधिकृत किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कैबिनेट समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया था।

भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक सरकारों से मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में क्रमशः तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के प्रयोग की अनुमति देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह मांगी गई और यह सूचित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने उचित विचार-विमर्श के बाद इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है।

तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में पूर्व निर्णयों की समीक्षा करने और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति से अवगत कराने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि पूर्ण न्यायालय ने व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् इस प्रस्ताव को स्वीकृत न करने का निर्णय लिया है और माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णयों की पुनरावृत्ति की है ।

**(घ) और (ङ)** : विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में, भारतीय बार काउंसिल ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में ' भारतीय भाषा समिति' का गठन किया है। इसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के समान एक समान शब्दावली विकसित करके विधिक सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना है। इसके अतिरिक्त, विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने डिजिटलीकरण हेतु 65,000 शब्दों की एक विधिक शब्दावली हिंदी में तैयार की है, जिसे सभी के उपयोग हेतु खोज योग्य प्रारूप में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।

**************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2142
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**लंबित मामलों का बैकलॉग**

**2142. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:**

**श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:**

**डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:**

**श्री नीलेश ज्ञानदेव लंके:**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानीय न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक लंबित मामलों के बड़े बैकलॉग के कारण हमारी न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास कम हुआ है ;

(ख) यदि हों, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 28.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

| क्रम सं. | न्यायालय का नाम | लंबित मामले |
|---|---|---|
| 1. | उच्चतम न्यायालय | 86,844 |
| 2. | उच्च न्यायालयों | 63,32,256 |
| 3. | जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय | 4,66,69,624 |

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित) में लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** में दिया गया है।

सरकार न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों के मुद्दे से अवगत है। हालांकि लंबित मामलों का मुद्दा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी सरकार आवश्यक संसाधन, अवसंरचनात्मक सहायता और नीतिगत हस्तक्षेप प्रदान करके न्याय परिदान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। न्यायिक दक्षता की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मामलों के त्वरित निपटारे और न्यायालयों के समग्र कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

i. न्याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके दो उद्देश्य थे: व्यवस्था में देरी को कम करके न्याय तक पहुंच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों तथा कार्य-निष्पादन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके जवाबदेही बढ़ाना। यह मिशन न्यायिक प्रशासन में लंबित मामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध समाधान के लिए एक समन्वयित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयी प्रक्रिया का पुनर्गठन और मानव संसाधन विकास पर ज़ोर सम्मिलित है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में इस स्कीम के आरंभ होने के बाद से 30.06.2025 तक 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 15,818 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 22,372 (30.06.2025 तक) हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 (30.06.2014 तक) से बढ़कर 19,851 (30.06.2025 तक) हो गई है ।

iii. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-1 और चरण-2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को आईटी सक्षम बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया और 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया। 2977 स्थलों को वॉन कनेक्टिविटी प्रदान की गई। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई। वकीलों

और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल खाई को पाटने के लिए 778 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए। 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए, जिनमें मार्च 2023 तक 2.78 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया और 384.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 (2023-2027) को 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय में आसानी की व्यवस्था लाना है। इसका उद्देश्य न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है। अब तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय अभिलेख के 506.05 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.65 करोड़ से अधिक सुनवाई हुई है और 11 उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यात्मक है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 1814 हो गई है

iv. सरकार समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरती रही है। 01.05.2014 से 21.07.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 794 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई 2014 में 906 से बढ़कर आज 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या में निम्नलिखित वृद्धि हुई है:

| तारीख को | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 28.07.2025 | 25,843 | 21,122 |

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, सभी 25 उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। अब जिला न्यायालयों में भी बकाया समितियां गठित की गई हैं।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की गई है। 30.06.2025 तक, देश भर में 865 फास्ट ट्रैक न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के उद्देश्य से, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने ब्लात्संग और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम को मंजूरी दी थी। 30.06.2025 तक, 392 अनन्य पोक्सो (ईपोक्सो) न्यायालयों सहित 725 एफटीएससी 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से 3,34,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और कामकाज को सुचारू करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को उत्तरोत्तर बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, अगस्त, 2018 में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्व मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) आज्ञापक हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। विवादों के शीघ्र समाधान हेतु माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है, जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्यों और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले की अवधि के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए प्रारंभ की गई एक अन्य नवीन विशेषता कलर बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जा सकने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जहां न्यायालय में या मुकदमे-पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व-निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

| **वर्ष** | **मुकदमे-पूर्व मामले** | **लंबित मामले** | **कुल योग** |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,06,294 | 55,81,743 | 1,27,88,037 |
| 2022 | 3,10,15,215 | 1,09,10,795 | 4,19,26,010 |
| 2023 | 7,10,32,980 | 1,43,09,237 | 8,53,42,217 |
| 2024 | 8,70,19,059 | 1,75,07,060 | 10,45,26,119 |
| 2025 (मार्च तक) | 2,58,28,368 | 50,82,181 | 3,09,10,549 |
| **कुल** | **22,21,01,916** | **5,33,91,016** | **27,54,92,932** |

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-

लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार विवरण

| **30 जून, 2025 तक** | **दर्ज मामले** | **% वार ब्रेक अप** | **सलाह सक्षम** | **% वार ब्रेक अप** |
|---|---|---|---|---|
| **लिंग-वार** | | | | |
| महिला | 44,81,170 | 39.58% | 44,21,450 | 39.55% |
| पुरुष | 68,39,728 | 60.42% | 67,58,085 | 60.45% |
| **जाति श्रेणीवार** | | | | |
| सामान्य | 26,89,371 | 23.76% | 26,48,100 | 23.69% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 35,64,430 | 31.49% | 35,16,236 | 31.45% |
| अनुसूचित जाति | 35,27,303 | 31.16% | 34,90,737 | 31.22% |
| अनुसूचित जनजाति | 15,39,794 | 13.60% | 15,24,462 | 13.64% |
| **कुल** | **1,13,20,898** | | **1,11,79,535** | |

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड, आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल प्रारंभ किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति का संचार करने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब प्रारंभ किए गए हैं।

*******

उपाबंध-1

**'लंबित मामलों का बैकलॉग' के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2142 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

**28.07.2025 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | लंबित मामले |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8,99,526 |
| 2. | तेलंगाना | 9,54,794 |
| 3. | अंदमान और निकोबार | 8,299 |
| 4. | अरुणाचल प्रदेश | 10,263 |
| 5. | असम | 5,46,047 |
| 6. | बिहार | 36,58,281 |
| 7. | चंडीगढ़ | 1,03,495 |
| 8. | छत्तीसगढ़ | 4,33,967 |
| 9. | दिल्ली | 15,58,494 |
| 10. | दादरा और नागर हवेली तथा दीव और दमण | 8,298 |
| 11. | गोवा | 59,962 |
| 12. | गुजरात | 16,48,509 |
| 13. | हरियाणा | 15,06,784 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 6,73,692 |
| 15. | जम्मू-कश्मीर | 3,35,513 |
| 16. | झारखंड | 5,54,553 |
| 17. | कर्नाटक | 22,10,048 |
| 18. | केरल | 17,45,154 |
| 19. | लद्दाख | 1,417 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 20,37,995 |
| 21. | महाराष्ट्र | 58,03,555 |
| 22. | मणिपुर | 13,785 |
| 23. | मेघालय | 15,632 |
| 24. | मिजोरम | 6,645 |
| 25. | न ागालैंड | 3,583 |
| 26. | उड़ीसा | 16,93,114 |
| 27. | पुडुचेरी | 35,406 |
| 28. | पंजाब | 8,91,601 |
| 29. | राजस्थान | 23,24,222 |
| 30. | सिक्किम | 1,797 |
| 31. | तमिलनाडु | 15,73,944 |
| 32. | त्रिपुरा | 55,999 |
| 33. | संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप | 521 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 1,13,94,105 |
| 35. | उत्तराखंड | 3,24,441 |
| 36. | पश्चिमी बंगाल | 35,76,183 |
| **कुल** | | **4,66,69,624** |

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

**उपाबंध-2**

**'लंबित मामलों का बैकलॉग' के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2142 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

28.07.2025 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

| क्र. सं. | उच्च न्यायालय का नाम | लंबित मामले |
|---|---|---|
| 1. | इलाहाबाद | 11,88,704 |
| 2. | बंबई | 6,67,629 |
| 3. | कलकत्ता | 1,94,800 |
| 4. | गुवाहाटी | 62,670 |
| 5. | तेलंगाना | 2,34,823 |
| 6. | आंध्र प्रदेश | 2,48,292 |
| 7. | छत्तीसगढ | 80,755 |
| 8. | दिल्ली | 1,37,411 |
| 9. | गुजरात | 1,74,820 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 1,00,268 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | 45,296 |
| 12. | झारखंड | 73,671 |
| 13. | कर्नाटक | 3,18,580 |
| 14. | केरल | 2,57,721 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 4,86,974 |
| 16. | मणिपुर | 5,615 |
| 17. | मेघालय | 1,369 |
| 18. | पंजाब और हरियाणा | 4,34,073 |
| 19. | राजस्थान | 6,61,083 |
| 20. | सिक्किम | 255 |
| 21. | त्रिपुरा | 1,214 |
| 22. | उत्तराखंड | 57,293 |
| 23. | मद्रास | 5,31,992 |
| 24. | उड़ीसा | 1,53,477 |
| 25. | पटना | 2,13,471 |
| कुल | | **63,32,256** |

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

*************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2159
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

## न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

**2159. डॉ. नामदेव किरसानः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विधिक अनुसंधान और अनुवाद में एआई उपकरणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए उचित उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में न्यायिक कर्मचारियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार की एआई के उपयोग के संबंध में डेटा गोपनीयता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या योजना है ;

(घ) क्या न्यायालयों की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए कोई उपकरण या अनुप्रयोग है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त उपकरण या अनुप्रयोग का दायरा और प्रभावशीलता क्या है ?

## उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ङ)** : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-न्यायालय परियोजना चरण 3 के अधीन, सहज उपयोगकर्ता अनुभव के लिए आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने और एक "स्मार्ट" प्रणाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें रजिस्ट्री में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच होगी । एक स्मार्ट प्रणाली बनाने के लिए, ई-न्यायालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इसके उपसमूह मशीन लर्निंग (एमएल), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), आदि जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है । एआई का उपयोग बुद्धिमान शेड्यूलिंग, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), स्वचालित

फाइलिंग, केस सूचना प्रणाली को बढ़ाने, चैटबॉट और अनुवाद के माध्यम से वादियों के साथ संवाद करने जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है ।

उच्च न्यायालयों की एआई समितियां उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद से संबंधित संपूर्ण कार्य की मॉनीटरी कर रही हैं । e-HCR/e-ICR जैसे डिजिटल विधिक प्लेटफार्म निर्णयों को विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन अभिगमन का उपबंध करते है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय e-SCR पोर्टल पर उपलब्ध हैं : (https://judgments.ecourts.gov.in/pdfsearch/index.php)

[illegible] : https://ecommitteesci.gov.in/document-category/training-and-awareness- programmes/.

डॉटा संरक्षण के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी और प्रमाणीकरण तंत्र का सुझाव देने/सिफारिश करने, गोपनीयता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों की एक उपसमिति का गठन किया गया है, जिसमें डोमेन विशेषज्ञों से युक्त तकनीकी कार्य समूह के सदस्य सहायता प्रदान करते हैं । उपसमिति को डॉटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए समाधान देने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के अधीन बनाए गए डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा वितरण समाधानों का गंभीर रूप से आकलन और जांच करने का अधिदेश प्राप्त है ।

[illegible] : https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab/uploads/2021/06/2022091599.pdf.

********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2163
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**निचली न्यायपालिका में रिक्तियां**

**2163. श्री मनीश तिवारीः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) संपूर्ण देश में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है ;
(ख) जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की कुल संख्या राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी है ;
(ग) ग्रेड तीन और ग्रेड चार के कर्मचारियों के लिए क्रमशः जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में अलग-अलग राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है ;
(घ) उक्त कर्मचारियों की जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में रिक्तियों की कुल संख्या राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी है ; और
(ङ) जिला न्यायालयों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान लंबित मामलों की कुल संख्या राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्ष-वार कितनी है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** 28.07.2025 को यथा विद्यमान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्तर पर न्यायिक अधिकारियों की संस्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों की स्थिति के विवरण **उपाबंध-1** में दिये गए हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों के विरुद्ध संस्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों के विवरण के बारे में डेटा का संधारण केंद्र स्तर पर नहीं किया जाता है।
**(ङ) :** देश भर के जिला न्यायालयों में विगत पांच वर्षों के दौरान लंबित मुकदमों का राज्य-वार / संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

*************

उपाबंध-1

**तारीख 01.08.2025 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2163 के खंड (क) से (घ ) के उत्तर से संबंधित 'निचली न्यायपालिका में रिक्ति' विषयक विवरण**

**28.07.2025 को यथा विद्यमान** जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पद

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | संस्वीकृत पद संख्या | कार्यरत पद संख्या | कुल रिक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 639 | 574 | 65 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 44 | 39 | 5 |
| 3. | असम | 485 | 461 | 24 |
| 4. | बिहार | 2022 | 1679 | 343 |
| 5. | चंडीगढ़ | 30 | 30 | 0 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 663 | 465 | 198 |
| 7. | दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव | 7 | 6 | 1 |
| 8. | दिल्ली | 897 | 788 | 109 |
| 9. | गोवा | 50 | 40 | 10 |
| 10. | गुजरात | 1720 | 1185 | 535 |
| 11. | हरियाणा | 781 | 661 | 120 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 179 | 160 | 19 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 322 | 272 | 50 |
| 14. | झारखंड | 707 | 501 | 206 |
| 15. | कर्नाटक | 1394 | 1167 | 227 |
| 16. | केरल | 614 | 579 | 35 |
| 17. | लद्दाख | 17 | 10 | 7 |
| 18. | लक्षद्वीप | 4 | 4 | 0 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 2028 | 1669 | 359 |
| 20. | महाराष्ट्र | 2190 | 1940 | 250 |
| 21. | मणिपुर | 62 | 49 | 13 |
| 22. | मेघालय | 99 | 57 | 42 |
| 23. | मिजोरम | 74 | 45 | 29 |
| 24. | नागालैंड | 34 | 24 | 10 |
| 25. | ओडिशा | 1043 | 835 | 208 |
| 26. | पुदुचेरी | 38 | 26 | 12 |
| 27. | पंजाब | 811 | 716 | 95 |
| 28. | राजस्थान | 1683 | 1506 | 177 |
| 29. | सिक्किम | 35 | 23 | 12 |
| 30. | तमिलनाडु | 1375 | 1240 | 135 |
| 31. | तेलंगाना | 560 | 445 | 115 |
| 32. | त्रिपुरा | 133 | 106 | 27 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 3700 | 2675 | 1025 |
| 34. | उत्तराखंड | 298 | 270 | 28 |
| 35. | पश्चिमी बंगाल | 1105 | 875 | 230 |
| 36. | अंदमान और निकोबार | | | |
| **योग** | | **25,843** | **21,122** | **4,721** |

स्रोत : न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

उपाबंध-2

तारीख 01.08.2025 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2163 के खंड (उ) के उत्तर से संबंधित 'निचली न्यायपालिका में रिक्ति' विषयक विवरण

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमे

| क्र.सं. | राज्य | 31.12.2020 को यथा विद्यमान लंबित मुकदमे | 31.12.2021 को यथा विद्यमान लंबित मुकदमे | 31.12.2022 को यथा विद्यमान लंबित मुकदमे | 31.12.2023 को यथा विद्यमान लंबित मुकदमे | 31.12.2024 को यथा विद्यमान लंबित मुकदमे | *28.07.2025 को यथा विद्यमान लंबित मुकदमे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 649157 | 785379 | 841998 | 876689 | 893993 | 899526 |
| 2 | तेलंगानी | 691646 | 790360 | 841405 | 873848 | 907392 | 954794 |
| 3 | अंदमान और निकोबार | 9839 | 9321 | 9234 | 9950 | 10407 | 8299 |
| 4 | अरूणाचल प्रदेश | 12651 | 14318 | 15923 | 16556 | 15335 | 10263 |
| 5 | असम | 360753 | 415024 | 485455 | 445759 | 491720 | 546047 |
| 6 | बिहार | 3016743 | 3276696 | 3464725 | 3609527 | 3716100 | 3658281 |
| 7 | चंडीगढ़ | 70633 | 72384 | 89254 | 104116 | 120210 | 103495 |
| 8 | छत्तीसगढ़ | 331849 | 381984 | 414839 | 414463 | 417325 | 433967 |
| 9 | दिल्ली | 1018642 | 1231373 | 1440549 | 1359103 | 1527969 | 1558494 |
| 10 | दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव | 6281 | 6523 | 6733 | 7305 | 7740 | 8298 |
| 11 | गोवा | 58967 | 59414 | 56319 | 57195 | 59190 | 59962 |
| 12 | गुजरात | 1917992 | 1952262 | 1725939 | 1547276 | 1528794 | 1648509 |
| 13 | हरियाणा | 1101330 | 1313881 | 1496883 | 1533521 | 1489585 | 1506784 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 420891 | 464892 | 483642 | 578246 | 631442 | 673692 |
| 15 | जम्मू-कश्मीर | 198771 | 216245 | 272543 | 247244 | 266146 | 335513 |
| 16 | लद्धाख |  |  |  |  |  | 1417 |
| 17 | झारखंड | 427130 | 490905 | 504697 | 524241 | 521274 | 554553 |
| 18 | कर्नाटक | 1709220 | 1780802 | 1864827 | 1925330 | 2060206 | 2210048 |
| 19 | केरल | 2089289 | 2089147 | 1991193 | 1851414 | 1750373 | 1745154 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1727293 | 1920613 | 2008566 | 2023950 | 2052363 | 2037995 |
| 21 | महाराष्ट्र | 4504573 | 4800895 | 4953521 | 5131895 | 5510544 | 5803555 |
| 22 | मणिपुर | 6957 | 8183 | 7590 | 8125 | 7615 | 13785 |
| 23 | मेघालय | 15830 | 16010 | 15014 | 14136 | 13227 | 15632 |
| 24 | मिजोरम | 6338 | 6304 | 5620 | 6113 | 6480 | 6645 |
| 25 | नागालैंड | 4206 | 4569 | 4443 | 3923 | 3881 | 3583 |
| 26 | ओडिशा | 1592250 | 1789677 | 1826100 | 1873312 | 1920825 | 1693114 |
| 27 | पुदुचेरी | 33470 | 32998 | 31868 | 32086 | 33352 | 35406 |
| 28 | पंजाब | 843791 | 945609 | 923581 | 875009 | 863867 | 891601 |
| 29 | राजस्थान | 1947688 | 2162774 | 2272463 | 2422125 | 2455623 | 2324222 |
| 30 | सिक्किम | 1455 | 1616 | 1696 | 1523 | 1659 | 1797 |
| 31 | तमिलनाडु | 1263758 | 1331944 | 1387919 | 1375098 | 1386582 | 1573944 |
| 32 | त्रिपुरा | 44654 | 43096 | 40661 | 43526 | 43098 | 55999 |
| 33 | संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप | 453 | 470 | 540 | 512 | 535 | 521 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 8781104 | 9966606 | 10986875 | 11147755 | 11486655 | 11394105 |
| 35 | उत्तराखंड | 249350 | 287204 | 308694 | 331002 | 328911 | 324441 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 2170788 | 2384020 | 2512418 | 2698188 | 2923585 | 3576183 |
| **योग** |  | **37285742** | **41053498** | **43293727** | **43970061** | **45454003** | **66669624** |

*राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2175
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**उच्च न्यायपालिका में समावेशिता**

**2175. श्री राहुल गांधीः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्च न्यायपालिका में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए क्या पहलें की जा रही हैं ;

(ख) वर्ष 2019 से अब तक उच्च न्यायालयों में नियुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित और अल्पसंख्यक तथा महिला न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख) :** उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं ।अत:, उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रवर्ग-वार डाटा केंद्रीय रूप् से अनुरक्षित नहीं किया जाता ।2018 से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों को, विहित रूप विधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार) में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरा उपबंध करना अपेक्षित है । सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपबंधित सूचना के अनुसार, 2018 से 28.07.2025 तक नियुक्त किए गए 753 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 24 अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, 17 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, 93 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग से संबंधित है तथा 42

अल्पसंख्यंक समुदायों से संबंध रखते हैं ।उसी अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में 117 महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं ।

प्रक्रिया के ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है, जबकि, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आंरभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम-अवर न्यायाधीशों के परामर्श से, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है ।तथापि, सरकार ने उच्च् न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अनुरोध किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजने के दौरान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यको तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभर्थियों पर सम्यक रुप से ध्यान दिया जाए, ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को सुनिश्चित किया जा सके ।केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त किया जाता है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलिजीयम द्वारा सिफारिश की जाती है ।

**(ग) और (घ) :** उच्च न्यायालयों में कर्मचारीवृंद की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 229(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में की जाती है, जो उपबंध करता है कि "*न्यायालय के अधिकारियों और सवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए*" ।

***********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2188
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**न्यायपालिका हेतु अवसंरचना का विकास**

**2188. श्रीमती भारती पारधीः**

**श्री संजय उत्तमराव देशमुखः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) की प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बिगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय कक्षों और आवासीय इकाइयों के निर्माण में उक्त सहायता ने क्या योगदान दिया है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अपर्याप्त न्यायालय कक्षों, कर्मचारियों और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित अवसंरचना संबंधी कमियों की समस्या के समाधान के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ड.) :** न्याय विभाग द्वारा राज्य सरकारों के संसाधनों में निर्धारित कोष साझाकरण प्रारूप में वृद्धि करने हेतु, वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिए आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पांच घटक हैं, जो इस प्रकार हैं: न्यायालय हॉल, आवासीय क्वार्टर, अधिवक्ताओं का कक्ष, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष तथा शौचालय परिसर।

योजना के आरंभ से अब तक 12,101.89 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है, जिसमें से 8,657.59 करोड़ रु. (71.54%) वर्ष 2014-15 से जारी की गई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण

**उपाबंध-1** में दिया गया है। वर्ष 2014 में 15,818 न्यायालय भवन और 10,211 आवासीय इकाइयों से, उपलब्ध न्यायालय भवनों और आवासीय इकाइयों की संख्या क्रमशः 22372 (41.43% वृद्धि) और 19,851 (94.40% वृद्धि) तक बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, 3,128 भवन और 2,772 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। भवनों और आवासीय इकाइयों की राज्यवार उपलब्धता का विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

योजना प्रारंभ होने की तिथि से अब तक महाराष्ट्र राज्य को 1,099.83 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उक्त राशि में से 700.17 करोड़ रुपये (63.67%) की धनराशि वर्ष 2014-15 से निर्गत की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 28.06 करोड़ रुपये की राशि महाराष्ट्र राज्य के लिए उद्दिष्ट की गई है। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में 2503 न्यायालय हॉल तथा 2202 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 560 न्यायालय हॉल तथा 144 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंग के रूप में भारतीय न्यायपालिका के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास हेतु, ई-न्यायालय परियोजना वर्ष 2007 से एकीकृत मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण-III (वर्ष 2023 से 2027 की अवधि हेतु) को सितम्बर 2023 में ₹7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। चरण-III के अंतर्गत, न्यायालय प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुधारने तथा अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं न्यायाधीशों सहित विभिन्न हितधारकों हेतु सेवाओं के डिजिटलीकरण हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं।

ई- न्यायालय परियोजना चरण-III का एक घटक मुकदमा अभिलेखों की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण एवं डिजिटल संरक्षण है, जिसके लिए ₹2038.40 करोड़ की धनराशि उद्दिष्ट की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, 30.06.2025 तक उच्च न्यायालयों में 213.29 करोड़ पृष्ठों, और जिला न्यायालयों में 307.897 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के न्यायिक अभिलेखों के संरक्षण हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल न्यायालय 2.1 सॉफ्टवेयर को कागजरहित मोड में कार्य करने के लिए न्यायालयों के सहायतार्थ विकसित किया गया है।

ई-फाइल पद्धति (संस्करण 3.0) को उन्नत सुविधाओं के साथ लागू किया गया है, जिससे अधिवक्ताओं को किसी भी स्थान से प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज़ों तक पहुँच प्राप्त करने तथा उन्हें अपलोड करने की सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, शुल्क आदि के निर्बाध हस्तांतरण हेतु ई-भुगतान प्रणाली प्रारंभ की गई है। "राष्ट्रीय सेवा एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के ट्रैकिंग" (एन एस टी ई पी) प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रक्रिया समन जारी करने और समन की तामीली की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। साथ ही, एक "निर्णय खोज पोर्टल" का शुभारंभ किया गया है, जिसमें न्यायपीठ मुक़दमे के प्रकार, मुक़दमा संख्या, वर्ष, वादी / प्रतिवादी के नाम आदि के माध्यम से खोज की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है। नागरिक-केन्द्रित सेवाओं तक सरल एवं सुविधाजनक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश भर में 1814 ई-सेवा केन्द्र (सुविधा केन्द्र) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 21 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 29 आभासी न्यायालय कार्यरत हैं ।

*****

उपाबंध-1

**तारीख 01.08.2025 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2188 के उत्तर से संबंधित विवरण**

(करोड़ रुपये में धनराशि)

| क्र.सं. | राज्य / संघ राज्यक्षेत्र | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 (30.06.2025 को यथास्थिति ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 0.00 | 0.49 | 0.08 | 0.00 |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश | 22.50 | 49.82 | 0.99 | 5.24 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 32.38 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |
| 4 | असम | 25.00 | 40.00 | 40.75 | 0.00 |
| 5 | बिहार | 0.00 | 67.45 | 107.81 | 15.14 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 60.00 | 6.69 | 45.35 | 7.75 |
| 7 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली एवं दमण और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 |
| 10 | गोवा | 25.00 | 1.53 | 14.27 | 0.00 |
| 11 | गुजरात | 6.22 | 95.62 | 51.34 | 0.00 |
| 12 | हरियाणा | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 6.00 | 13.62 | 0.00 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 12.60 | 12.00 | 31.50 | 0.00 |
| 15 | झारखंड | 16.51 | 40.81 | 14.57 | 3.99 |
| 16 | कर्नाटक | 82.01 | 133.16 | 73.92 | 0.00 |
| 17 | केरल | 0.00 | 7.00 | 45.89 | 0.00 |
| 18 | लद्दाख | 0.00 | 1.40 | 6.93 | 0.00 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 125.00 | 104.00 | 42.69 | 6.14 |
| 21 | महाराष्ट्र | 100.00 | 119.53 | 118.36 | 0.00 |
| 22 | मणिपुर | 12.85 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 23 | मेघालय | 50.00 | 33.72 | 35.79 | 0.00 |
| 24 | मिजोरम | 0.00 | 8.86 | 13.57 | 0.00 |
| 25 | नागालैंड | 0.00 | 4.39 | 4.00 | 0.00 |
| 26 | ओडिशा | 31.49 | 30.88 | 51.48 | 0.00 |
| 27 | पुदुचेरी | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | पंजाब | 12.50 | 18.42 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | राजस्थान | 71.66 | 80.41 | 58.35 | 12.22 |
| 30 | सिक्किम | 2.27 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | तमिलनाडु | 133.85 | 0.00 | 61.27 | 0.00 |
| 32 | तेलंगाना | 26.61 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 33 | त्रिपुरा | 0.00 | 40.49 | 20.00 | 0.00 |
| 34 | उत्तराखंड | 0.00 | 13.75 | 46.14 | 0.00 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 102.96 | 174.12 | 0.00 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 0.00 | 18.00 | 22.22 | 0.00 |
| | योग | 858.00 | 1,060.17 | 1,123.40 | 50.48 |

# पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार

**उपाबंध-2**

**तारीख 01.08.2025 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2188 के उत्तर से संबंधित विवरण**

| क्र.सं. | राज्य / संघ राज्यक्षेत्र | न्यायालय हॉल की कुल संख्या | निर्माणाधीन न्यायालय हॉल की कुल संख्या * | आवासीय इकाइयों की कुल संख्या | निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों की कुल संख्या * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 15 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश | 661 | 97 | 661 | 13 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 34 | 6 | 32 | 3 |
| 4 | असम | 422 | 83 | 381 | 20 |
| 5 | बिहार | 1667 | 207 | 1242 | 296 |
| 6 | चंडीगढ़ | 31 | 1 | 30 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 495 | 74 | 473 | 776 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली एंव दमण और दीव | 8 | 3 | 8 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 739 | 0 | 331 | 70 |
| 10 | गोवा | 50 | 37 | 20 | 3 |
| 11 | गुजरात | 1509 | 106 | 1360 | 331 |
| 12 | हरियाणा | 589 | 75 | 599 | 65 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 178 | 11 | 155 | 7 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 209 | 45 | 146 | 8 |
| 15 | झारखंड | 652 | 13 | 611 | 24 |
| 16 | कर्नाटक | 1244 | 185 | 1198 | 45 |
| 17 | केरल | 575 | 111 | 566 | 20 |
| 18 | लद्दाख | 11 | 4 | 4 | 2 |
| 19 | लक्षद्वीप | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1656 | 262 | 1781 | 119 |
| 21 | महाराष्ट्र | 2503 | 560 | 2202 | 144 |
| 22 | मणिपुर | 42 | 12 | 16 | 33 |
| 23 | मेघालय | 72 | 16 | 140 | 86 |
| 24 | मिजोरम | 47 | 32 | 38 | 8 |
| 25 | नागालैंड | 30 | 8 | 39 | 0 |
| 26 | ओडिशा | 905 | 156 | 769 | 101 |
| 27 | पुदुचेरी | 34 | 0 | 27 | 0 |
| 28 | पंजाब | 643 | 21 | 643 | 33 |
| 29 | राजस्थान | 1402 | 351 | 1180 | 122 |
| 30 | सिक्किम | 20 | 5 | 15 | 2 |
| 31 | तमिलनाडु | 1256 | 45 | 1386 | 11 |
| 32 | तेलंगाना | 552 | 23 | 472 | 6 |
| 33 | त्रिपुरा | 86 | 27 | 74 | 33 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2892 | 366 | 2553 | 361 |
| 35 | उत्तराखंड | 253 | 69 | 212 | 4 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 887 | 117 | 473 | 26 |
| योग | | 22,372 | 3,128 | 19,851 | 2,772 |

*न्याय विकास पोर्टल के अनुसार

***********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2215
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

## फास्ट ट्रैक न्यायालय

**2215. श्री केसिनेनि शिवनाथः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्भया निधि के अंतर्गत देश भर में स्थापित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की राज्यवार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) एफटीएससी की स्थापना से लेकर अब तक उनके माध्यम से दायर किए गए और निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ग) इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों के समक्ष लाए गए मामलों के निपटान में लगने वाले औसत समय का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित, अनुमोदित और संवितरित की गई है ;

(ङ) क्या सरकार ने इन एफटीएससी में अवसंरचना को सुदृढ़ करने, रिक्त पदों को भरने और मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख)** : न्याय विभाग बलात्संग के मामलों और पॉक्सो अधिनियम के अधीन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना हेतु एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम लागू कर रहा है। इस स्कीम को दो बार बढ़ाया जा चुका है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है, जिसके अंतर्गत 790 न्यायालयों की स्थापना के लिए 1952.23 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसमें से 1207.24 करोड़ रुपये निर्भया कोष से केंद्रीय अंश के रूप में खर्च किए जाएंगे।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में (30.06.2025 तक) 392 विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। स्कीम की शुरुआत से अब तक इन न्यायालयों ने 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है। ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय का राज्य/

संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण और इन न्यायालयों द्वारा अपनी स्थापना के बाद से शुरू किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या **उपाबंध-1** में दी गई है।

**(ग)** : उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) द्वारा मामलों के निपटारे में लगने वाले औसत समय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध**-**2** में दिया गया है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में देरी के कई कारण हैं, जिनमें भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, अन्वेषण अभिकरणों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों व प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। मामलों के निपटारे में देरी के अन्य कारणों में बार-बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए उन्हें समूहबद्ध करने की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।

**(घ)** : इस स्कीम के अंतर्गत, प्रति न्यायालय 1 न्यायिक अधिकारी और 7 सहायक कर्मचारियों के वेतन और न्यायालय के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए लचीले अनुदान के लिए सीएसएस पैटर्न (केंद्रीय हिस्सा: राज्य हिस्सा: 60:40, 90:10) पर धनराशि जारी की जाती है। विभाग ने स्कीम की शुरुआत से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1034.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित बजट और जारी धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | आवंटित बजट | जारी निधि |
|---|---|---|
| 2019-20 | 140.00 | 140.00 |
| 2020-21 | 160.00 | 160.00 |
| 2021-22 | 180.00 | 134.55* |
| 2022-23 | 200.00 | 200.00 |
| 2023-24 | 200.00 | 200.00 |
| 2024-25 | 200.00 | 200.00 |
| 2025-26 | 200.00 | - |
| **कुल** | | **1034.55** |
| *कोविड लॉकडाउन और पीएफएमएस के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के कारण 2021-22 में आवंटित बजट के मुकाबले कम धनराशि जारी की गई | | |

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधि संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कार्यरत न्यायालयों की संख्या के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। स्कीम की शुरुआत से अब तक जारी केंद्रीय निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **उपाबंध- 3** में दिया गया है।

**(ङ) और (च)** : केंद्रीय सरकार ने त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों में अवसंरचना को समर्थन देने और मामलों के निपटान में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं:

i. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) सहित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयाँ, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष बनाने में राज्यों के प्रयासों का पूरक है। वर्ष 2014 में 15,818 न्यायालय हॉल और 10,211 आवासीय इकाइयों से, उपलब्ध न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों की संख्या क्रमशः 2,2372 (41.43% वृद्धि) और 19,851 (94.40% वृद्धि) हो गई है। इसके अतिरिक्त, 3,128 न्यायालय हॉल और 2,772 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

ii. त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) के कामकाज को मजबूत करने के लिए, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र और उच्च न्यायालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियो को पाक्सो अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन समय पर कार्रवाई और समयसीमा के सख्त अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में पत्र लिखा है। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में एफटीएससी का प्रदर्शन अंतर-सरकारी समन्वय में सुधार और न्याय वितरण में तेजी लाने के लिए एक नियमित कार्यसूची मद है।

जहाँ तक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भर्ती का प्रश्न है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (एफटीएससी सहित) में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों का उत्तरदाईत्व है। संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ अनुच्छेद 309 के उपबंध के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें, उच्च न्यायालय के परामर्श से, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मज़हर सुल्तान मामले में पारित आदेश के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

*************

उपाबंध 1

**अनन्य पाक्सो न्यायालयों सहित कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण तथा स्थापना के बाद से स्थापित और निपटाए गए मामलों की संख्या (30.06.2025 तक)**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | क्रियात्मक न्यायालय | | स्कीम के आरंभ से संस्थित किए गए मामले | स्कीम के आरंभ से अब तक संचयी निपटान |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनन्य पाक्सो सहित एफटीएससी | अनन्य पाक्सो | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 16 | 16 | 13790 | 7487 |
| 2 | असम | 17 | 17 | 15378 | 8943 |
| 3 | बिहार | 46 | 46 | 35691 | 17232 |
| 4 | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 588 | 374 |
| 5 | छत्तीसगढ | 15 | 11 | 8167 | 6428 |
| 6 | दिल्ली | 16 | 11 | 6278 | 2718 |
| 7 | गोवा | 1 | 0 | 271 | 116 |
| 8 | गुजरात | 35 | 24 | 21931 | 16616 |
| 9 | हरियाणा | 18 | 14 | 12507 | 8087 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 6 | 3 | 2050 | 1407 |
| 11 | जम्मू - कश्मीर | 4 | 2 | 808 | 311 |
| 12 | कर्नाटक | 30 | 17 | 19251 | 14031 |
| 13 | केरल | 55 | 14 | 32494 | 26202 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 67 | 56 | 42826 | 32113 |
| 15 | महाराष्ट्र | 2 | 1 | 21034 | 20744 |
| 16 | मणिपुर | 2 | 0 | 243 | 194 |
| 17 | मेघालय | 5 | 5 | 1830 | 733 |
| 18 | मिजोरम | 3 | 1 | 344 | 269 |
| 19 | नागालैंड | 1 | 0 | 127 | 68 |
| 20 | ओडिशा | 44 | 23 | 29319 | 20254 |
| 21 | पुदुचेरी | 1 | 1 | 380 | 162 |
| 22 | पंजाब | 12 | 3 | 6716 | 5265 |
| 23 | राजस्थान | 45 | 30 | 24324 | 19432 |
| 24 | तमिलनाडु | 14 | 14 | 15433 | 10199 |
| 25 | तेलंगाना | 36 | 0 | 20161 | 11379 |
| 26 | त्रिपुरा | 3 | 1 | 713 | 489 |
| 27 | उत्तराखंड | 4 | 0 | 3024 | 1930 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 218 | 74 | 184159 | 91459 |
| 29 | पश्चिमी बंगाल | 8 | 8 | 5611 | 457 |
| 30 | झारखण्ड* | 0 | 0 | 13324 | 9114 |
| 31 | अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | अरुणाचल प्रदेश*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल** | **725** | **392** | **538772** | **334213** |

टिप्पण: स्कीम की शुरुआत में, देश भर में त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) का आवंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, अर्थात प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित किया जाएगा। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ही इस स्कीम में शामिल होने के पात्र थे।

*झारखंड राज्य ने त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम से बाहर निकलने का फैसला किया है। तथापि, स्कीम की शुरुआत से लेकर मई 2025 तक 9,114 मामलों के संचयी निपटान को त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम के अधीन दर्ज किए गए समग्र निपटान आंकड़ों में शामिल किया जाना जारी रहेगा।

** अंदमान और निकोबार द्वीप समूह ने इस स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक कोई भी न्यायालय चालू नहीं हुई है।

*** अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर होने का विकल्प चुना है।

उपाबंध 2

**बलात्संग और पाक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) द्वारा लिया गया औसत समय दर्शाने वाला विवरण**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | एफटीएससी में सुनवाई में लगने वाला औसत समय (दिन में) | |
|---|---|---|---|
| | | बलात्संग | पाक्सो |
| 1 | आंध्र प्रदेश | - | 257 |
| 2 | असम | - | 940 |
| 3 | बिहार | - | 941 |
| 4 | चंडीगढ़ | 760 | 425 |
| 5 | छत्तीसगढ | 365 | 300 |
| 6 | दिल्ली | 1562 | 1717 |
| 7 | गोवा | 730 | 365 |
| 8 | गुजरात | 1716 | 869 |
| 9 | हरियाणा | 605 | 545 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 407 | 462 |
| 11 | जम्मू -कश्मीर | 1095 | 730 |
| 12 | झारखंड | 730 | 545 |
| 13 | कर्नाटक | 910 | 724 |
| 14 | केरल | 999 | 594 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 365 | 395 |
| 16 | महाराष्ट्र | - | 575 |
| 17 | मणिपुर | 1395 | 1305 |
| 18 | मेघालय | - | 910 |
| 19 | मिजोरम | - | 1155 |
| 20 | नागालैंड | - | 1185 |
| 21 | ओडिशा | 439 | 560 |
| 22 | पुदुचेरी | - | 180 |
| 23 | पंजाब | 650 | 530 |
| 24 | राजस्थान | 1028 | 732 |
| 25 | तमिलनाडु | - | 466 |
| 26 | तेलंगाना | 461 | 408 |
| 27 | त्रिपुरा | 2097 | 871 |
| 28 | उत्तराखंड | 508 | 517 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 606.41 | 1116.27 |
| 30 | पश्चिमी बंगाल | - | 910 |
| 31 | अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह | - | - |
| 32 | अरुणाचल प्रदेश | - | - |

*स्रोत: उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

**उपाबंध 3**

**एफटीएससी स्कीम की शुरुआत से अब तक जारी केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण**

(रुपये करोड़ में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2019-20 में जारी की गई राशि | 2020-21 में जारी की गई राशि | 2021-22 में जारी की गई राशि | 2022-23 में जारी की गई राशि | 2023-24 में जारी की गई राशि | 2024-25 में जारी की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | असम | 2.85625 | 1.86875 | 3.375 | 6.7325 | 5.528655 | 10.975085 |
| 3 | बिहार | 2.025 | 15.26255 | 20.25 | 11.895 | 9.874035 | 11.35878 |
| 4 | चंडीगढ़ | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ | 3.375 | 3.375 | 4.259 | 3.93 | 3.25215 | 3.70395 |
| 6 | दिल्ली | 3.6 | 0 | 0 | 4.2225 | 3.46896 | 1.97544 |
| 7 | गोवा | 0.225 | 0 | 0 | 0.47255 | 0.21681 | 0.49386 |
| 8 | गुजरात | 7.875 | 7.875 | 0 | 9.26 | 7.58835 | 8.64255 |
| 9 | हरियाणा | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2225 | 3.46896 | 7.90176 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 1.0125 | 1.51875 | 0 | 2.375 | 1.95129 | 2.22237 |
| 11 | जम्मू - कश्मीर | 0.5625 | 0 | 2.635 | 1.58 | 2.32086 | 1.48158 |
| 12 | झारखण्ड | 4.95 | 4.95 | 0 | 5.825 | 4.76982 | 0 |
| 13 | कर्नाटक | 6.975 | 0 | 6.635 | 7.3925 | 7.45091 | 7.65483 |
| 14 | केरल | 8.4 | 0 | 0 | 7.405 | 25.39836 | 13.58115 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 15.075 | 15.075 | 26.175 | 17.72 | 15.37627 | 16.54431 |
| 16 | महाराष्ट्र | 31.05 | 0 | 0 | 8.72 | 6.59259 | 1.23465 |
| 17 | मणिपुर | 0.675 | 0.675 | 0.3375 | 0.785 | 0.65043 | 0.74079 |
| 18 | मेघालय | 1.6875 | 0 | 0 | 1.977 | 1.626075 | 1.851975 |
| 19 | मिजोरम | 1.0125 | 1.0125 | 2.02625 | 1.18 | 0.975645 | 1.111185 |
| 20 | नागालैंड | 0.3375 | 0.3375 | 0 | 0.3875 | 0.325215 | 0.370395 |
| 21 | ओडिशा | 5.4 | 1.3 | 16.2 | 11.64 | 9.52128 | 10.86492 |
| 22 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0.195975 | 0.24693 |
| 23 | पंजाब | 2.7 | 0 | 0 | 4.312 | 3.95972 | 5.92632 |
| 24 | राजस्थान | 5.85 | 14.4 | 19.745 | 11.895 | 21.1383 | 22.2237 |
| 25 | तमिलनाडु | 3.15 | 3.15 | 2.59 | 6.6225 | 6.496035 | 6.91404 |
| 26 | तेलंगाना | 8.1 | 0 | 0 | 8.9875 | 7.60671 | 4.44474 |
| 27 | त्रिपुरा | 1.0125 | 1.0125 | 0 | 1.1725 | 0.975645 | 1.111185 |
| 28 | उत्तराखंड | 2.7 | 0 | 2.092 | 1.53 | 1.30086 | 1.48158 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 13.80625 | 84.29375 | 24.525 | 57.68 | 47.26458 | 53.83074 |
| 30 | पश्चिमी बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70551 | 1.111185 |
| 31 | अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल** | **140.00** | **159.706** | **134.5573** | **199.92155** | **200.00** | **200.00** |
| | तृतीय पक्ष मूल्यांकन लागत | | **0.29** | | **0.07788** | | |
| | **कुल योग** | **140.00** | **160.00** | **134.55** | **200.00** | **200.00** | **200.00** |

**टिप्पण**: चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है; तथापि, अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

***********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2249
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**न्यायालय कक्षों में आईटी अवसंरचना**

**2249. श्री एंटो एन्टोनी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश में कितने प्रतिशत न्यायालय वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणालियों सहित पूर्ण कार्यात्मक आईटी अवसंरचना से सुसज्जित हैं ;
(ख) न्यायालयों में आईटी अवसंरचना विकास के लिए आवंटित कुल बजट कितना है ;
(ग) कितने प्रतिशत जिला और निचली अदालतें ई-न्यायालय परियोजना में सफलतापूर्वक जोड़ी जा चुकी हैं ; और
(घ) गत पाँच वर्षों के दौरान इस पर वर्ष-वार और राज्य-वार व्यय सहित ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणालियों सहित पूर्ण रूप से कार्यात्मक आईटी अवसंरचना से सुसज्जित वर्तमान न्यायालय कक्षों के उच्च न्यायालय-वार प्रतिशत के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर है ।ई-न्यायालय परियोजना चरण 3 (2023-27) के अधीन, न्यायालय अवसंरचना के संपूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 7210 करोड़ रुपये का बजट निश्चित किया गया है। घटक-वार बजट परिव्यय के ब्यौरे **उपाबंध-2** पर है ।राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल के अनुसार, आज तक 23007 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को ई-न्यायालय परियोजना में सफलतापूर्वक एकीकृत किया जा चुका है। ई-न्यायालय परियोजना के अधीन पिछले पांच वर्षों में राज्य-वार और उच्च न्यायालय-वार उपगत व्यय के ब्यौरे **उपाबंध-3** पर है।

********

**उपाबंध 1**

**न्यायालय कक्षों में आईटी अवसंरचना से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2249 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**वर्तमान में पूर्ण रूप से कार्यात्मक आईटी अवसंरचना से सुसज्जित न्यायालय कक्षों का प्रतिशत**

| न्यायालय कक्षों में आईटी अवसंरचना | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **उच्च न्यायालय** | **[क]<br>उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अधीन न्यायालय कक्षों की कुल संख्या (उच्च न्यायालय सहित)** | **[ख]<br>[क] में से न्यायालय कक्षों की कुल संख्या जो वर्तमान में पूर्ण रूप से कार्यात्मक आईटी अवसंरचना जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली भी है, से सुसज्जित हैं।** | **[ग]<br>वर्तमान में पूर्ण रूप से कार्यात्मक आईटी अवसंरचना जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली भी है, से सुसज्जित न्यायालय कक्षों का प्रतिशत। (ख/क*100)** |
| 1 | इलाहाबाद | 3045 | 2648 | 87% |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 656 | आईटी अवसंरचना वाले न्यायालय: 649<br>वीसी सुविधा वाले न्यायालय कक्ष: 461 | 70%<br>(461/656*100%) |
| 3 | बॉम्बे | 2439 | 2383 | 97.70 % |
| 4 | कलकत्ता | 911 | 897 | 98.46% |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 530 | 504 | 95.09% |
| 6 | दिल्ली | 794 | 794 | 100% |
| 7 (क) | गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश) | 33 | 33 | 100% |
| 7 (ख) | गुवाहाटी (असम) | 436 | 436 | 100% |
| 7 (ग) | गुवाहाटी (मिजोरम) | 54 | 34 | 62.90% |
| 7 (घ) | गुवाहाटी (नागालैंड) | 29 | 27 | 93.00% |
| 8 | गुजरात | 1115 | 1115 | 100% |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 201 | 201 | 100% |
| 10 | जम्मू - कश्मीर और लद्दाख | 257 | 248 | 96.40% |
| 11 | झारखंड | 575 | 512 | 89.04% |
| 12 | कर्नाटक | 1307 | 349 | 26.70% |
| 13 | केरल | 609 | वी.सी. प्रणाली से सुसज्जित न्यायालय कक्ष = 603<br>इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाओं से सुसज्जित न्यायालय कक्ष = 136 | वी.सी. प्रणाली से सुसज्जित न्यायालय कक्षों का प्रतिशत = 99.01%<br>इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाओं से सुसज्जित न्यायालय कक्षों का प्रतिशत = 22.33% |
| 14 | मध्य प्रदेश | 1706 | 1706 | 100% |
| 15 | मद्रास | 1405 | 1372 | 97.65% |
| 16 | मणिपुर | 48 | 48 | 100% |
| 17 | मेघालय | 81 | 81 | 100% |
| 18 | उड़ीसा | 862 | 831 | 96.40% |

| न्यायालय कक्षों में आईटी अवसंरचना | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **उच्च न्यायालय** | [क]<br>**उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अधीन न्यायालय कक्षों की कुल संख्या (उच्च न्यायालय सहित)** | [ख]<br>**[क] में से न्यायालय कक्षों की कुल संख्या जो वर्तमान में पूर्ण रूप से कार्यात्मक आईटी अवसंरचना जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली भी है, से सुसज्जित हैं।** | [ग]<br>**वर्तमान में पूर्ण रूप से कार्यात्मक आईटी अवसंरचना जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली भी है, से सुसज्जित न्यायालय कक्षों का प्रतिशत। (ख/क*100)** |
| 19 | पटना | 1712<br>उच्च न्यायालय: 36<br>जिला न्यायालय: 1676 | आईटी अवसंरचना सहित<br>उच्च न्यायालय: 36<br>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली सहित जिला न्यायालय: 1413<br>नए न्यायालय कक्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड सहित जिला न्यायालय: 331 | उच्च न्यायालय - 100%<br>जिला न्यायालय: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली - (1413/1676*100) = लगभग 84%<br>331 नए न्यायालय कक्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड - (331/1676*100) = लगभग 20% |
| 20 | पंजाब और हरियाणा | 1220<br>उच्च न्यायालय: 49 कार्यात्मक न्यायालय कक्ष<br>जिला न्यायालय: 1171 | आईटी अवसंरचना सहित<br>उच्च न्यायालय: 49<br>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली सहित जिला न्यायालय: 1059<br>नए न्यायालय कक्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड सहित जिला न्यायालय: 1171 | उच्च न्यायालय: 100%<br>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली वाले जिला न्यायालय: 90.43%<br>नए न्यायालय कक्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड वाले जिला न्यायालय: 100% |
| 21 | राजस्थान | 1517 | 1422 | 93.74% |
| 22 | सिक्किम | 35 | 35 | 100% |
| 23 | तेलंगाना | 550 | 537 | 97.63% |
| 24 | त्रिपुरा | 91 | 91 | 100% |
| 25 | उत्तराखंड | 291 | 101 | 35.00% |

**न्यायालय कक्षों में आईटी अवसंरचना से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2249 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

| क्र. सं. | स्कीम घटक | परिव्यय (रुपये करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | मामला अभिलेखों का अवलोकन, डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण | 2038.40 |
| 2 | क्लाउड अवसंरचना | 1205.23 |
| 3 | विद्यमान न्यायालयों में अतिरिक्त हार्डवेयर | 643.66 |
| 4 | नए स्थापित न्यायालयों में अवसंरचना | 426.25 |
| 5 | वर्चुअल न्यायालय | 413.08 |
| 6 | ई-सेवा केंद्र | 394.48 |
| 7 | कागज़ रहित न्यायालय | 359.20 |
| 8 | सॉफ्टवेयर विकास प्रणाली और अनुप्रयोग | 243.52 |
| 9 | सौर ऊर्जा बैकअप | 229.50 |
| 10 | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप | 228.48 |
| 11 | ई-फाइलिंग | 215.97 |
| 12 | कनेक्टिविटी (प्राथमिक + अतिरेक) | 208.72 |
| 13 | क्षमता निर्माण | 208.52 |
| 14 | क्लास (कोर्ट रूम लाइव-ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम) | 112.26 |
| 15 | परियोजना प्रबंधन इकाई | 56.67 |
| 16 | भविष्य की तकनीकी प्रगति | 53.57 |
| 17 | न्यायिक प्रक्रिया पुनर्रचना | 33.00 |
| 18 | दिव्यांगों के अनुकूल आईसीटी सक्षम सुविधाएँ | 27.54 |
| 19 | एनएसटीईपी | 25.75 |
| 20 | ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) | 23.72 |
| 21 | ज्ञान प्रबंधन प्रणाली | 23.30 |
| 22 | उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए ई-कार्यालय | 21.10 |
| 23 | अंतर-करणीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के साथ एकीकरण | 11.78 |
| 24 | एस3 डब्ल्यूएएस प्लेटफ़ॉर्म | 6.35 |
| | कुल | **7210** |

**उपाबंध-3**

**न्यायालय कक्षों में आईटी अवसंरचना से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2249 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**उपगत किए गए व्यय के वर्ष-वार ब्यौरे** (करोड़ रुपये में रकम)

| क्र. सं. | उच्च न्यायालय | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23* | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इलाहाबाद | 13.79 | 0.00 | - | 95.87 | 51.78 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1.96 | 0.00 | - | 25.44 | 31.74 |
| 3 | बॉम्बे | 8.86 | 0.00 | - | 69.54 | 83.19 |
| 4 | कलकत्ता | 4.93 | 0.00 | - | 16.73 | 27.65 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 2.34 | 0.00 | - | 16.27 | 24.17 |
| 6 | दिल्ली | 3.00 | 0.00 | - | 17.89 | 48.19 |
| 7 (क) | गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश) | 1.52 | 1.26 | - | 2.03 | 9.76 |
| 7 (ख) | गुवाहाटी (असम) | 6.11 | 3.49 | - | 24.97 | 33.85 |
| 7 (ग) | गुवाहाटी (मिजोरम) | 0.72 | 0.30 | - | 3.12 | 6.22 |
| 7 (घ) | गुवाहाटी (नागालैंड) | 0.83 | 0.84 | - | 1.79 | 3.91 |
| 8 | गुजरात | 3.48 | 0.00 | - | 27.72 | 73.21 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 2.00 | 0.00 | - | 6.06 | 6.89 |
| 10 | जम्मू - कश्मीर | 1.00 | 0.00 | - | 6.52 | 14.53 |
| 11 | झारखंड | 2.98 | 0.00 | - | 10.59 | 29.22 |
| 12 | कर्नाटक | 4.29 | 0.00 | - | 32.37 | 67.40 |
| 13 | केरल | 2.83 | 1.58 | - | 15.40 | 32.62 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 6.28 | 0.00 | - | 22.90 | 77.31 |
| 15 | मद्रास | 4.73 | 0.00 | - | 90.69 | 91.75 |
| 16 | मणिपुर | 1.30 | 0.76 | - | 11.12 | 7.54 |
| 17 | मेघालय | 2.32 | 2.23 | - | 3.33 | 8.50 |
| 18 | उड़ीसा | 3.37 | 0.00 | - | 6.77 | 53.24 |
| 19 | पटना | 5.44 | 0.00 | - | 32.43 | 89.55 |
| 20 | पंजाब और हरियाणा | 4.55 | 0.00 | - | 14.58 | 26.01 |
| 21 | राजस्थान | 10.58 | 1.62 | - | 19.80 | 34.72 |
| 22 | सिक्किम | 1.01 | 0.77 | - | 1.71 | 8.98 |
| 23 | तेलंगाना | 1.79 | 0.00 | - | 22.03 | 28.57 |
| 24 | त्रिपुरा | 4.44 | 0.96 | - | 0.53 | 7.05 |
| 25 | उत्तराखंड | 1.28 | 0.00 | - | 13.68 | 19.95 |
| **कुल** | | **107.73** | **13.81** | **-** | **611.88** | **997.49** |

** चरण-2 के अधीन उच्च न्यायालयों को केवल 31 मार्च, 2022 तक निधियां जारी की गई थी। यद्यपि चरण-2 परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति (अर्थात मार्च 2023) तक जारी रहा, तथापि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोई बजट परिव्यय नहीं किया गया।*

***************

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2250

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त,  2025 को दिया जाना है

**लद्दाख में न्यायालय का बुनियादी ढांचा**

**2250. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार लद्दाख के दूरदराज उप-मंडलों में जिला न्यायालयों के बुनियादी ढांचे की कमी से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में कानूनी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि स्वीकृत न्यायिक पदों में से 30 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, जिसके कारण लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में पूर्णकालिक न्यायिक अधिकारियों की भारी कमी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या सरकार न्याय तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में मोबाइल अदालतें या नियमित लोक अदालतें स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(च) क्या लद्दाख में एनएएलएसए ढांचे के अंतर्गत कानूनी सहायता सेवाओं, महिला हेल्पलाइन डेस्क और बाल कल्याण अदालतों को पर्याप्त रूप से संस्थागत बनाया गया है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख) :** भारत सरकार, न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए वर्ष 1993-94 से एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना (सीएसएस) लागू कर रही है । सीएसएस में न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयां, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों का निर्माण भी सम्मिलित है ।

लद्दाख प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में 10 उपमंडल  हैं । ज़ांस्कर, सांकू, खलत्सी, नुबरा और द्रास नामक 05 उपमंडलों में न्यायालय अवसंरचना उपलब्ध है । पिछले पांच वर्षों के दौरान सीएसएस के अधीन लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को 8.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए सीएसएस के अधीन 2.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । लद्दाख में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत एवं कार्यरत/पदस्थापित संख्या क्रमशः 17 एवं 10 है । वर्तमान में, लद्दाख में 11 न्यायालय हॉल और 4 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं। हालाँकि, 4 न्यायालय हॉल और 02 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

**(ग) और (घ) :** संवैधानिक आदेश के अनुसार, संबद्ध राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाते हैं । उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मज़हर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका अनुपालन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाना है ।

**(ङ) और (च) :** संपूर्ण देश में लोक अदालत का आयोजन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार, उक्त अधिनियम और विनियमों में यथा विहित विषयों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(ककक) के अधीन यथा परिभाषित न्यायालयों में किया जाता है । प्रत्येक वर्ष, नालसा राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य लोक अदालतों का आयोजन करते हैं । एक कैलेंडर वर्ष में चार राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान लद्दाख में राष्ट्रीय लोक अदालत और राज्य लोक अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

**(i)<u>राष्ट्रीय लोक अदालत :</u>**

| **वर्ष** | **मुकदमे-पूर्व मामले** | **लंबित मामले** | **कुल मामले** |
|---|---|---|---|
| 2022 | 416 | 1028 | 1444 |
| 2023 | 383 | 1398 | 1781 |
| 2024 | 523 | 1627 | 2150 |
| कुल | 1322 | 4053 | 5375 |

**(ii)<u>राज्य लोक अदालत:</u>**

| वर्ष | मुकदमे-पूर्व मामले | लंबित मामले | कुल  मामले |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 7 | 233 | 240 |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 7 | 233 | 240 |

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011, विधिक सेवा क्लिनिक में मुफ्त विधिक सेवाओं के लिए पात्रता मानदंड, क्लिनिकों के संचालन के लिए वकीलों का चयन, क्लिनिक में अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों के कार्य इत्यादि का उपबंध करता है । सितंबर 2023 में, लेह जिले के एक सुदूर गांव तांगत्से में विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना की गई । यह क्लिनिक लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएलएसए) ढांचे का हिस्सा है और स्थानीय स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) से लैस है । एलएलएसए ने लेह और कारगिल जिलों में कई विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित किए हैं । लद्दाख प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने समय पर न्याय दिलाने के लिए लेह और कारगिल दोनों जिलों में विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एलएलएसए द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अधीन विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से लद्दाख में लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :

| वर्ष | महिला | बालक | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 180 | 12 | 519 | 711 |
| 2023-24 | 105 | 3 | 397 | 505 |
| 2024-25 | 192 | 9 | 123 | 324 |
| कुल | 477 | 24 | 1039 | 1540 |

***********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2267
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान**

**2267. श्री बिप्लब कुमार देबः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान के उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) अभियान की शुरुआत से अब तक उप-अभियानों सहित आयोजित कार्यक्रमों की संख्या कितनी है ; और

(ग) त्रिपुरा राज्य में आयोजित ऐसे अभियानों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क)** : संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर 2024 को एक वर्ष का स्मरणोत्सव प्रारंभ किया गया, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, अभियान की टैगलाइन "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" है । संस्कृति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अभियान के उद्देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

i. जन चेतना में भारत के संविधान के लिए एक दृश्य चिह्न बनाना ।
ii. भारत के संविधान के विवरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना ।
iii. संविधान के निर्माण में जो अथक परिश्रम किया गया है, उसे सार्वजनिक पटल पर लाना ।
iv. भारत के लोगों में संविधान के प्रति गौरव की भावना पैदा करना ।

**(ख)** : पूरे भारत में 13700 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया ।

**(ग)** : त्रिपुरा में अब तक 5000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 51 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं ।

******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2273
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**प्रौद्योगिकी और मामले के बैकलॉग**

**2273. एडवोकेट चन्द्र शेखरः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फरवरी 2025 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद से उच्च न्यायालयों में 'एक-समान मामला वर्गीकरण' लागू करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) दिसंबर 2024 तक लंबित कुल 4.5 करोड़ मामलों में से कितने लंबित मामले राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड और ई-कोर्ट जैसे तकनीकी साधनों के माध्यम से सुलझाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला वर्गीकरण कार्यान्वित किया गया है । 01 फरवरी, 2025 को आयोजित राज्य न्यायपालिका के सामने आने वाले मुद्दों पर ध्यान देने हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय की मामला वर्गीकरण सलाहकार समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल को उच्च न्यायालयों द्वारा दोहराया जा सकता है । तथापि, उच्च न्यायालयों द्वारा मामला वर्गीकरण के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं रखी जाती है ।

**(ख)** : न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता और भौतिक अवसंरचना, अंतर्ग्रस्त तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति और हितधारकों अर्थात बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादकारियों का सहयोग

सम्मिलित है । अन्य पहलों के साथ-साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ, लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना सुकर बनाता है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमता और मशीन लर्निंग आधारित उपकरणों के उपयोग सहित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप दक्षता और न्याय तक पहुंच बढ़ी है । अब तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा के माध्यम से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.73 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई की गई है । हितधारकों को नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 1773 ई-सेवा केन्द्र (सुविधा केन्द्र) कार्यरत हैं । जिला न्यायालयों में 30.06.2025 तक लगभग 308 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है । ई-फाइलिंग नियम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर देश भर के सभी जिला न्यायालयों में आरंभ किए गए हैं । देश भर के वकीलों/वादकारियों के पास कई भाषाओं में मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि से संबंधित जानकारी तक ऑनलाइन पहुंच है । वकीलों/वादकारियों के लिए ई-कोर्ट मोबाइल ऐप और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप को क्रमशः 3.16 करोड़ और 21716 से अधिक बार डाउनलोड किया गया है । देश भर के न्यायालयों के मामलों, निर्णयों/आदेशों आदि के बारे में जानकारी राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर ऑनलाइन उपलब्ध है । एनजेडीजी पोर्टल पर लंबित मामलों का आयु-वार विवरण और उनका वर्गीकरण देरी के कारणों का विश्लेषण करने में मदद करता है । एनजेडीजी अपने समय पर इनपुट के माध्यम से नीतिगत निर्णयों, न्यायालय के प्रदर्शन की निगरानी, प्रणालीगत बाधाओं की पहचान और प्रभावी संसाधन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है ।

*********

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. ∗287

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**टेली-लॉ 2.0 सेवाएँ और नोटरी पोर्टल का आधुनिकीकरण**

**∗287. श्री विभु प्रसाद तराई :**

**श्री सुरेश कुमार कश्यप :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए नोटरी पोर्टल से कागज रहित आवेदन और डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है, यदि हाँ, तो नए पोर्टल का ब्यौरा और मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) अब तक नई ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जुड़े कुल नोटरियों की संख्या कितनी है और 'न्याय बंधु' के अंतर्गत टेली-लॉ 2.0 सेवाओं के शुभारंभ के बाद से कितने नागरिक इससे लाभान्वित हुए हैं ;

(ग) क्या कानूनी सहायता संबंधी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सहायता उपकरणों को समाविष्ट करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) न्याय बंधु प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कितने अवैतनिक अधिवक्ता पंजीकृत हैं और निपटाए गए मामलों का स्वरूप क्या है ;

(ङ) विशेषकर दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में टेली-लों 2.0 का विस्तार करने में आने वाली चुनौतियों क्या हैं ; और उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा इस संबंध में अब तक कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया है ; और

(च) इस मंच के माध्यम से जुड़े सेवारत अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों और अधिवक्ताओं के लिए कौन-सा प्रशिक्षण और गुणवत्ता आश्वासन ढांचा स्थापित किया गया है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (च) :** एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

**<u>'टेली-लॉ 2.0 सेवाएं और नोटरी पोर्टल आधुनिकीकरण' के संबंध में श्री बिभु प्रसाद तराई और श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *287 जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>**

**(क) :** सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समर्पित मंच के रूप में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है । इसका उद्देश्य नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता के सत्यापन और नोटरी के रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस प्रदान करना है । नोटरी पोर्टल एक फेसलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल प्रणाली प्रदान करता है । वर्तमान में, केवल दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता और नव नियुक्त नोटरियों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने से संबंधित मॉड्यूल लाइव है । नोटरी पोर्टल बनाने का उद्देश्य सरकार के कामकाज के डिजिटलीकरण की सरकारी नीति के अनुरूप है ।

**(ख) :** तारीख 28.07.2025 तक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटरी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नवनियुक्त नोटरियों को 34865 डिजिटल हस्ताक्षरित प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं । न्याय बंधु के अधीन टेली-लॉ 2.0 सेवाओं के प्रारंभ से 31 जुलाई, 2025 तक, कुल 14,557 नागरिक इससे लाभान्वित हुए हैं ।

**(ग) :** न्याय विभाग ने न्याय सेतु नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चैटबॉट विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल विधिक सहायक है, जो विधिक जानकारी और मुकदमे-पूर्व सेवाओं का प्रसार करता है । सुगमता और दक्षता बढ़ाने के लिए, इस सुविधा को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित करने की योजना है ।

**(घ) :** 31 जुलाई, 2025 तक न्याय बंधु ऐप पर रजिस्ट्रीकृत निशुल्क वकीलों की संख्या 9381 है और निपटाए गए मामलों की प्रकृति में महिला और बाल सुरक्षा, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि सहित सिविल और आपराधिक विधियां सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं ।

**(ङ) :** दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में टेली-लॉ 2.0 के विस्तार में कई चुनौतियां हैं, जिनमें कम डिजिटल साक्षरता, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, भाषाई विविधता, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं और दुर्गम क्षेत्रों में प्रशिक्षित विधिक वृतिकों की सीमित उपलब्धता सम्मिलित है । इन चुनौतियों से निपटने के लिए, 500 आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायकों को तैनात किया गया है, जिन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में लाभार्थियों को मुकदमेबाजी-पूर्व सलाह प्राप्त करने और उन्हें उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायता करने की आज्ञा दी गई है । दिशा स्कीम के अधीन, वित्त वर्ष 2023-2024 से वित्त वर्ष 2024-2025 की अवधि के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम के लिए आबंटित कुल बजट 80.82 करोड़ रुपया है, जिसमें से 31.03.2025 तक 62.21 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है ।

**(च) :** टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों को निःशुल्क मुकदमा-पूर्व सलाह प्रदान करने के लिए न्याय सहायकों और पैनल वकीलों की सेवाएं ली जाती हैं । न्याय सहायकों और पैनल वकीलों, दोनों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात् नियमित प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाता है । पैनल वकीलों का प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि वे गुणवत्तापूर्ण मुकदमा-पूर्व सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हों, क्षेत्रीय भाषाओं और केंद्रीय, राज्य और स्थानीय विधियों, नियमों और विनियमों से अच्छी तरह परिचित हों । तकनीकी, प्रक्रियात्मक और विधिक पहलुओं को सम्मिलित करते हुए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नियमित क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

******

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3231

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त,  2025 को दिया जाना है

**फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की योजना**

**3231. श्री कृपानाथ मल्लाह :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के आरंभ से अब तक स्थापित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या कितनी है और बलात्कार और पोक्सो मामलों के निपटान की दर पर नियमित न्यायालयों की तुलना में उनका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इन न्यायालयों की स्थापना और संचालन में सहायता करने के लिए कौन से निधियन तंत्र हैं और इस संदर्भ में निर्भया निधि का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा रिट (आपराधिक) संख्या 01/2019 में दिए गए आदेशों के अनुसरण में अनन्य पोस्को (ई-पोस्को) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु  केंद्रीकृत प्रायोजित योजना अक्टूबर 2019 में प्रारंभ की गई। ये न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम, 2012 के तहत अपराधों और बलात्कार संबंधी लंबित प्रकरणों के समयबद्ध विचारण और निपटान के लिए समर्पित हैं। 30 मार्च, 2026 तक नवीनतम विस्तार के साथ, 790 न्यायालयों की स्थापना हेतु अब तक इस योजना का दो बार विस्तार किया गया है। योजना के अंतर्गत 1952.23 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसमें केंद्र राज्य अंश (सीएसएस) प्रतिमान पर 1207.24 करोड़ रुपये निर्भया निधि से केंद्रीय अंश के तौर पर व्यय किया जाएगा।

30.06.2025 को 29 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पोस्को (ई-पोस्को) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान न्यायालय प्रकार्यात्मक हैं, योजना की शुरुआत से इन न्यायालयों ने 3,34,213 वादों को निष्पादित किया है। योजना की शुरुआत से निष्पादित वादों की संख्या सहित प्रकार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों का राज्यवार / राज्यक्षेत्रवार विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों में बलात्संग और पोस्को अधिनियम के वादों का निस्तारण दर नियमित न्यायालयों की तुलना में काफी अधिक प्रतीत होती है। जहाँ नियमित न्यायालयों में बलात्संग और पोस्को अधिनियम के वादों के निस्तारण की औसत दर प्रतिमाह प्रति न्यायालय 3.26 वाद आँकी गई है, वहीं त्वरित निपटान विशेष न्यायालय प्रतिमाह प्रति न्यायालय औसतन 9.51 वादों का निस्तारण करती हैं। इससे त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के माध्यम से समस्या निपटान में संवर्धित दक्षता का संकेत मिलता है।

**(ख) :** 16 दिसंबर,2012 के निर्भया प्रकरण के अनुवर्ती, सरकार ने एक समर्पित निधि गठित की है जिसका उपयोग महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा में सुधार हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। यह एक अव्यपगत निधि कोष है, जिसका प्रशासन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया निधि के अंतर्गत वित्तपोषित की जाने वाली प्रस्तावों एवं योजनाओं के मूल्यांकन/अनुशंसा हेतु नोडल मंत्रालय है l महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यह भी दायित्व है कि वह संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ मिलकर स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी करे l

निर्भया कोष के अंतर्गत त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है तथा इन्हें परिचालित किया गया है । विभाग ने न्यायालयों के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु, इसकी स्थापना के पश्चात् से अब तक राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को 1034.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। एक न्यायिक अधिकारी के साथ में सात सहायक कर्मचारीवृंद के वेतन का भुगतान करने और दैनिक खर्चों के नम्य अनुदान हेतु केंद्र राज्य अंश प्रतिमान (केंद्रीय अंश : राज्य अंश :: 60:40, 90:10) पर निधि जारी की जाती है। संबंधित राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में सक्रिय न्यायालयों की संख्या के आधार पर निर्धारित, प्रतिपूर्ति आधार पर राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जाती हैं। योजना के आरंभ से अब तक जारी की गई निधि के केंद्रीय अंश का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

*****

**उपाबंध - 1**

**योजना के आरम्भ होने के बाद से संचयी निपटान के साथ अनन्य पोस्को (ई-पोस्को) न्यायालयों सहित प्रकार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा (30.06.2025 को यथाविद्यमान)**

| क्र. सं. | राज्य / संघ राज्यक्षेत्र | प्रकार्यात्मक न्यायालय | | योजना के आरम्भ होने के बाद से संचयी निपटान_ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ई- पोस्को सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालय | ई-पोस्को | एफटीएससीएस | ई-पोस्को | योग |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 16 | 16 | 0 | 7487 | 7487 |
| 2 | असम | 17 | 17 | 0 | 8943 | 8943 |
| 3 | बिहार | 46 | 46 | 0 | 17232 | 17232 |
| 4 | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 374 | 0 | 374 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 15 | 11 | 1289 | 5139 | 6428 |
| 6 | दिल्ली | 16 | 11 | 760 | 1958 | 2718 |
| 7 | गोवा | 1 | 0 | 82 | 34 | 116 |
| 8 | गुजरात | 35 | 24 | 3389 | 13227 | 16616 |
| 9 | हरियाणा | 18 | 14 | 2018 | 6069 | 8087 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 6 | 3 | 600 | 807 | 1407 |
| 11 | जम्मू-कश्मीर | 4 | 2 | 144 | 167 | 311 |
| 12 | कर्नाटक | 30 | 17 | 5377 | 8654 | 14031 |
| 13 | केरल | 55 | 14 | 18256 | 7946 | 26202 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 67 | 56 | 4920 | 27193 | 32113 |
| 15 | महाराष्ट्र | 2 | 1 | 8727 | 12017 | 20744 |
| 16 | मणिपुर | 2 | 0 | 194 | 0 | 194 |
| 17 | मेघालय | 5 | 5 | 0 | 733 | 733 |
| 18 | मिजोरम | 3 | 1 | 199 | 70 | 269 |
| 19 | नागालैंड | 1 | 0 | 65 | 3 | 68 |
| 20 | ओडिशा | 44 | 23 | 7218 | 13036 | 20254 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | पुदुचेरी | 1 | 1 | 0 | 162 | 162 |
| 22 | पंजाब | 12 | 3 | 2785 | 2480 | 5265 |
| 23 | राजस्थान | 45 | 30 | 5830 | 13602 | 19432 |
| 24 | तमिलनाडु | 14 | 14 | 0 | 10199 | 10199 |
| 25 | तेलंगाना | 36 | 0 | 8648 | 2731 | 11379 |
| 26 | त्रिपुरा | 3 | 1 | 252 | 237 | 489 |
| 27 | उत्तराखंड | 4 | 0 | 1930 | 0 | 1930 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | | 74 | 43558 | 47901 | 91459 |
| 29 | पश्चिमी बंगाल | 8 | 8 | 0 | 457 | 457 |
| 30 | झारखंड* | 0 | 0 | 2777 | 6337 | 9114 |
| 31 | अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | अरूणाचल प्रदेश*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **योग** | **725** | **392** | **119392** | **214821** | **334213** |

**टिप्पण :** योजना की शुरूआत में, प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित प्रकरणों के मानक के आधार पर देशभर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के आबंटन किया गया था, इसका अभिप्राय यह है कि एक त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्थापना प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित प्रकरणों के लिए की जाएगी। इस आधार पर इस योजना में शामिल होने के लिए सिर्फ इकतीस राज्य / संघ राज्यक्षेत्र पात्र थे।

* तारीख 07/07/2025 के पत्र के तहत झारखंड सरकार ने त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना से बाहर होने का निर्णय लिया है। हालांकि, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना के प्रारंभ से लेकर मई 2025 तक 9,114 वादों का संचयी निपटान, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना के अंतर्गत प्रतिवेदित किये गए संचयी निपटान आंकड़ों में सम्मिलित है।

**अंदमान और निकोबार द्वीप ने योजना में शामिल होने की सहमति प्रदान की है, परंतु किसी न्यायालय का संक्रियात्मीकरण होना शेष है।

***बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के लंबित प्रकरणों की संख्या काफी न्यून होने को उद्धृत करते हुए अरूणाचल प्रदेश योजना से अलग हो गया है।

**उपाबंध – 2**

**योजना के आरंभ से 31.07.2025 तक जारी निधियों के केन्द्रीय अंश का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्योरा**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | जारी निधियों के केन्द्रीय अंश (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1.80 |
| 2. | असम | 31.34 |
| 3. | बिहार | 70.67 |
| 4. | चंडीगढ़ | 0.19 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 21.90 |
| 6. | दिल्ली | 13.27 |
| 7. | गोवा | 1.41 |
| 8. | गुजरात | 41.24 |
| 9. | हरियाणा | 26.39 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 9.08 |
| 11. | जम्मू-कश्मीर | 8.58 |
| 12. | झारखंड* | 20.49 |
| 13. | कर्नाटक | 36.11 |
| 14. | केरल | 54.78 |
| 15. | | 105.97 |

| | | |
|---|---|---|
| | मध्य प्रदेश | |
| 16. | महाराष्ट्र | 47.60 |
| 17. | मणिपुर | 3.86 |
| 18. | मेघालय | 7.14 |
| 19. | मिजोरम | 7.32 |
| 20. | नागालैंड | 1.76 |
| 21. | ओडिशा | 54.93 |
| 22. | पुदुचेरी | 0.56 |
| 23. | पंजाब | 16.90 |
| 24. | राजस्थान | 95.25 |
| 25. | तमिलनाडु | 28.92 |
| 26. | तेलंगाना | 29.14 |
| 27. | त्रिपुरा | 5.28 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 281.40 |
| 29. | उत्तराखंड | 9.10 |
| 30. | पश्चिमी बंगाली | 1.82 |
| 31. | अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह** | - |

| | | |
|---|---|---|
| 32. | अरूणाचल प्रदेश*** | - |
| | **राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई कुल राशि** | **1034.19** |
| | **तृतीय पक्ष मूल्यांकन लागत** | **0.37** |
| | **महायोग** | **1034.56** |

* तारीख 07/07/2025 के पत्र के तहत झारखंड सरकार ने त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना से बाहर होने का निर्णय लिया है।

**अंदमान और निकोबार द्वीप ने योजना में शामिल होने की सहमति प्रदान की है, परंतु किसी न्यायालय का संक्रियात्मीकरण होना शेष है।

***बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के लंबित वादों की संख्या काफी न्यून होने को उद्धृत करते हुए अरूणाचल प्रदेश योजना से अलग हो गया है।

***************

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3272
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**संसद सदस्य/विधायक संबंधी न्यायालयों का कामकाज**

3272. **श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी** :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सहित वर्तमान में कार्यरत, निर्माणाधीन और प्रस्तावित संसद सदस्य/विधायक (एमपी/एमएलए) न्यायालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में देशभर के विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सहित एमपी/एमएलए न्यायालयों में दायर, लंबित और निपटाए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देशभर में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सहित एमपी/एमएलए न्यायालयों में रिक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देशभर में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सहित स्थापित एमपी/एमएलए न्यायालयों के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि राज्यवार कितनी है ; और

(ङ) क्या सरकार ने एमपी/एमएलए न्यायालयों में मामलों के निपटारे की गति बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख) :** रिट याचिका (सिविल) संख्या 699/2016 (अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एवं अन्य) में, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 1 नवंबर, 2017 और तारीख 14 दिसंबर 2017 के आदेश के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने, निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण और निपटान के लिए, 11 राज्यों में 12 विशेष न्यायालयों (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 2 और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल, प्रत्येक में 1) की स्थापना को सुकर बनाया। शीर्ष न्यायालय के तारीख 04.12.2018 की निर्देश के अनुसार बिहार और केरल के विशेष न्यायालयों के बंद होने के पश्चात्, (तारीख 30.06.2025 के अनुसार) 9 राज्यों में 10 ऐसे विशेष न्यायालय कार्यरत थे । इन 10 विशेष संसद् सदस्य/विधायक न्यायालयों का, इनमें प्रस्तुत किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों की जानकारी सहित, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार विवरण, **उपाबंध-1** में है। इन विशेष संसद् सदस्य/विधायक न्यायालयों

के अतिरिक्त, राज्य अतिरिक्त संसद् सदस्य/विधायक न्यायालय भी चला रहे हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में संसद् सदस्यों/विधायकों के संबंध में आपराधिक मामलों के विचारण के लिए विजयवाड़ा में एक (01) विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार पूरे राज्य पर है। आंध्र प्रदेश में उक्त संसद् सदस्य/विधायक न्यायालय में संस्थित, निपटाए गए और लंबित मामलों का, पिछले पांच वर्षों का, विवरण इस प्रकार है :

| वर्ष | संस्थित मामले | निपटाए गए | अंत में लंबित |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | 6 | 126 |
| 2021 | 27 | 16 | 137 |
| 2022 | 23 | 76 | 84 |
| 2023 | 38 | 46 | 76 |
| 2024 | 8 | 58 | 26 |
| 2025 (तारीख 31.07.2025 को) | 2 | 9 | 19 |

**(ग) :** जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (संसद् सदस्य/विधायक न्यायालयों सहित) में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार और संबंधित उच्च न्यायालय का उत्तरदायित्व है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के लिए नियम और विनियम विरचित करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मज़हर सुलतान मामले में जनवरी 2007 में पारित आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय समयसीमाएं अवधारित की हैं, जिनका राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अनुपालन करना होता है।

**(घ) :** केंद्रीय सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार स्थापित और कार्यरत 10 संसद् सदस्य/विधायक न्यायालयों को 65.00 लाख रुपये प्रति न्यायालय प्रति वर्ष की राशि से वित्तपोषित करती है, जिसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार की अनुरोध पर जारी किया जाता है। संसद् सदस्य/विधायक न्यायालयों के लिए अब तक जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अनुसार विवरण **अनुबंध-2** में है।

**(ङ)** : लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा न्यायपालिका के अनन्य क्षेत्राधिकार में है। हालाँकि, केंद्रीय सरकार मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सुकर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने वर्ष 2011 में न्याय वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की, जिसका दोहरा उद्देश्य प्रणाली में देरी और बकाया को घटाकर पहुँच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से तथा प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करके जवाबदेही बढ़ाना है। मिशन न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणबद्ध निपटान के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, जिसमें कम्प्यूटराइजेशन, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी के लिए संवैधानिक और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालयों की प्रक्रिया का पुनः-इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर सम्मिलित है।

ई-न्यायालय परियोजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अधीन भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विकास के लिए एकीकृत मिशन मोड परियोजना के रूप में लागू की जा रही है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 (2023 से 2027 के बीच) के अधीन, न्यायालय प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने और विधि से जुड़े विभिन्न हितधारकों

जैसे वकीलों, वादकारियों और न्यायाधीशों के लिए सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

**********

**उपाबंध-1**

**विशेष संसद् सदस्य/विधायक न्यायालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम | 30.06.2025 के अनुसार कार्यरत न्यायालय | 2020 से 30.06.2025 तक रजिस्ट्रीकृत मामले | 2020 से 30.06.2025 तक निपटाए गए मामले | 30.06.2025 को लंबित मामले |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | आंध्र प्रदेश* | 1 | 128 | 211 | 19 |
| **2** | दिल्ली | 2 | 401 | 404 | 38 |
| **3** | कर्नाटक | 1 | 720 | 658 | 91 |
| **4** | मध्य प्रदेश | 1 | 427 | 733 | 5 |
| **5** | महाराष्ट्र | 1 | 680 | 743 | 11 |
| **6** | तमिलनाडु | 1 | 223 | 361 | 18 |
| **7** | तेलंगाना | 1 | 365 | 439 | 197 |
| **8** | उत्तर प्रदेश | 1 | 2077 | 1934 | 7 |
| **9** | पश्चिमी बंगाल | 1 | 136 | 280 | 9 |
| | **योग** | **10** | **5157** | **5763** | **395** |

*तारीख 31.07.2025 के अनुसार आंकड़ें

***स्रोत:*** न्याय विभाग के डैशबोर्ड पर संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार ।

**उपाबंध-2**

**विशेष संसद् सदस्य/विधायक न्यायालयों के लिए जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण**

**क्रम संख्या. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम | कुल जारी निधि (रु) |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1,30,00,000 |
| 2 | दिल्ली | 2,60,00,000 |
| 3 | कर्नाटक | 3,90,00,000 |
| 4 | मध्य प्रदेश | 2,60,00,000 |
| 5 | महाराष्ट्र | 2,58,00,000 |
| 6 | तमिलनाडु | 2,60,00,000 |
| 7 | तेलंगाना | 1,30,00,000 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 1,30,00,000 |
| 9 | पश्चिमी बंगाल | 1,30,00,000 |
| 10 | बिहार* | 65,00,000 |
| 11 | केरल* | 65,00,000 |
| | **योग** | **20,78,00,000** |
| * शीर्ष न्यायालय के तारीख 04.12.2018 की निर्देश के अनुसार बिहार और केरल के विशेष न्यायालय बंद हो गए हैं । | | |

**********

5

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3282
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**विधिक तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता**

**3282. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधिक तंत्र में नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए कोई विशिष्ट नीतियां या दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारत में लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों की दक्षता में सुधार लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) भारत के विधिक तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू करने में आ रही सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और सरकार द्वारा उनका समाधान करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग ई-न्यायालय परियोजना के भाग 3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में उल्लेखित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर ही किया जाएगा ।भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा, निजता के अधिकार को संरक्षित करने की दृष्टि से डेटा संरक्षण के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी और प्रमाणीकरण तंत्र का सुझाव/सिफारिश करने के लिए, विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों की एक उप-समिति, जो कि डोमेन विशेषज्ञों के तकनीकी कार्य समूह द्वारा सहायता प्राप्त है, गठित की गई है ।उप-समिति को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन बनाई गई डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा वितरण समाधानों का संवेदनशीलता से मूल्यांकन और परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है, जिससे डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की निजता की संरक्षा करने के लिए समाधान प्रदान किए जा सकें ।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मामले प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ।ये उपकरण संवैधानिक न्यायपीठ मामलों में मौखिक तर्कों को लिप्यंतरित (ट्रांसक्राइब) करने में प्रयुक्त हो रहे हैं ।एआईए सहायता से लिप्यंतरित किए गए तर्कों को उच्चतम

न्यायालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।भारत का उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के निकट सहयोग से, निर्णयों का अंग्रेजी भाषा से 18 भारतीय भाषाओं, जैसे असमिया, बंगला, गारो, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगू और उर्दू में अनुवाद करने के लिए, एआई और एमएल आधारित उपकरणों का उपयोग कर रहा है।निर्णयों को भारत के उच्चतम न्यायालय के ईएससीआर पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है।

भारत का उच्चतम न्यायालय, आईआईटी मद्रास के निकट समन्वय में, दोषों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत एआई और एमएल आधारित उपकरण विकसित और लागू किया है।प्रोटोटाइप की पहुँच 200 एडवोकेट्स-ऑन-रिकार्ड को दी गई है।इसके अतिरिक्त, भारत का उच्चतम न्यायालय आईआईटी मद्रास के सहयोग से दोष ठीक करने, मेटा डेटा निष्कर्षण के लिए एआई और एमएल उपकरणों के प्रोटोटाइप का परीक्षण कर रहा है।यह एआई और एमएल आधारित उपकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और केस प्रबंधन सॉफ़्टवेयर, अर्थात् इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (आईसीएमआईएस) के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई गई है।

न्यायालय दक्षता में उच्चतम न्यायालय पोर्टल सहायता (एसयूपीएसीई) नामक एक एआई आधारित उपकरण, मामलों के तथ्यों की रूपरेखा को समझने के लिए एक मॉड्यूल विकसित करने के उद्देश्य से, प्रकरणों की पहचान करने के साथ-साथ पूर्व-निर्णय की बुद्धिमान खोज के लिए, विकास के प्रयोगात्मक चरण में है।एसयूपीएसीई को ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित इकाइयों जैसे टेन्सर प्रोसेसिंग यूनिट की अधिग्रहण और संचालन के बाद लागू किया जा सकता है।हालाँकि, भारत के उच्चतम न्यायालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई एआई और एमएल आधारित उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, न्यायिक प्रक्रियाओं में एआई को एकीकृत करने में चुनौतियों में मामले प्रबंधन, विधिक अनुसंधान और अनुवाद सेवाओं में एआई एल्गोरिदम में संभावित पूर्वाग्रह, भाषा की बाधाएँ, अनुवाद की सटीकता, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा पर चिंताएँ सम्मिलित हैं।प्रौद्योगिकी, कौशल उन्नयन और प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग में निरंतर अपग्रेड के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।ई-न्यायालय चरण 3 के अधीन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सहित एआई के हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए 208.52 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।इसके अतिरिक्त, न्यायिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने में इन भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उनके अपनाने के लिए 53.57 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

********

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3289
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**नैनीताल उच्च न्यायालय का स्थानांतरण**

**3289. श्री जय प्रकाश :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से बदलकर किसी उपयुक्त स्थान, अधिमानतः हल्द्वानी में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उच्च न्यायालय के स्थानांतरण की स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से उक्त स्थान पर पर्याप्त भूमि चिह्नित कर ली है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उच्च न्यायालय के कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ङ)** : उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 26(2) में कहा गया है कि "उत्तरांचल उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा नियत करें।" तदनुसार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तारीख 09.11.2000 को नैनीताल में गठित की गई थी। उच्च न्यायालय के स्थानांतरण की आगे की अधिसूचना राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् सरकार द्वारा की जाती है जिसमें उच्च न्यायालय के संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता की पुष्टि की जाती है और उच्च न्यायालय की सहमति के साथ-साथ उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ के कार्य करना आरंभ करने की संभावित तारीख भी दी जाती है। वर्तमान में उपरोक्त पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित नहीं है।

***********